छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 09, शक सम्वत् 1940)

[अंक 20]

छत्तीसगढ़ विधानसभा

गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1940)

विधानसभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न संख्या : 01 XX XX

प्रदेश में एग्रीक्लीनिक-एग्रीबिजेनेस योजना का संचालन

2. (*क्र. 1717) श्री दलेश्वर साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कृषि महाविद्यालय के स्नातक डिप्लोमाधारी युवकों के लिए एग्रीक्लीनिक-एग्रीबिजेनेस योजना संचालित है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से जनवरी, 2019 तक उक्त योजना में कितने को लाभान्वित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जी हां. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से मान्यता एवं संबंद्घता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में स्नातक डिप्लोमाधारी युवकों के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित एग्रीक्लीनिक-एग्रीबिजनेस योजना संचालित है. उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित की संख्या
2015-16	35
2016-17	34
2017-18	35
2018-19 (जनवरी 2019 तक)	32

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एग्रीक्लीनिक-एग्रीबिजेनेस योजना के तहत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने 2015-16 में 35, 2016-17 में 34, 2017-18 में 35 और 2018-19 में 32 है। यह योजना क्या है और इसमें किस ढंग से क्या क्या लाभ दिया गया है। अभी तक के कहां कहां और किन किन बच्चों को दिया गया। मंत्री जी बताने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या तो माननीय सदस्य खुद ही पढ़ के सुना रहे हैं कि कितने बच्चों को लाभ दिया गया है। कुल मिला के ये डिप्लोमा कोर्स है। कोई सरकार की योजना नहीं है। पी.जी. जैसा कोर्स है, इसमें केवल एक कॉलेज में संचालित है जितनी संख्या आपने गिर करके बताया है। इतने बच्चे वहां डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिये। अब आप जानकारी चाहते हैं कि इसमें कितने कितने बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 2015-16 में इनमें से स्वयं की पूंजी से व्यवसाय करने वालों की संख्या 20 पुरूष 2 महिला है। बैंक की सहायता से व्यवसाय करने वालों की संख्या 7 पुरूष 8 महिला है। लाभान्वित द्वारा स्वयं व्यवसाय प्रारंभ नहीं करने के कुछ लोगों के कारण दिये हुए हैं। सभी 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 सारे आंकडें हैं। अब कौन किस प्रकार बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय में क्या लाभ लिया है। उसकी जानकारी आप कहें तो मैं पटल पर रख दूं, या माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सिम्पल सा प्रश्न है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत सिम्पल प्रश्न है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीक्लीनिक-एग्रीबिजनेस योजना आपने कृषि विभाग में लागू किया। आपका उस बच्चे को क्या योगदान है, आपने क्या सब्सिडी दिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इधर के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप बिना मतलब के क्यों वकालत कर रहे हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने सब्सिडी दिये, या उनको दुकान उपलब्ध कराये या आपने कौशल योजना के तहत उस बच्चे को और अतिरिक्त प्रभार, राशि दिये। आपने योजना तो लागू कर दिये, मगर क्या लाभ दिये मैं ये पूछना चाह रहा हूं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने संख्या भी बता दिया। उसमें जो सब्सिडी का प्रावधान है। उसका उल्लेख इसमें नहीं है लेकिन जिस संख्या में आपने जानकारी चाही है वह मैंने दे दिया।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सिम्पल प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा जांच का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विषय नहीं है। किसी बच्चे को एग्रीक्लीनिक योजना का लाभ साधारण से पूछने पर अगर गोल मोल जवाब आता हो तो, अगर डिपार्टमेंट मंत्री जी को गुमराह कर रहे हों तो मैं सदन से यह जानना चाहता हूं

कि क्लीयर बतायें कि योजना क्या है ? इसमें किस तरह का लाभ दिया जाता है। एकदम सिम्पल सा है। एग्रीक्लीनिक में हम अमूक बच्चों को दुकान उपलब्ध कराते हैं या सब्सिडी देते हैं या दुकान खोलते हैं । सिम्पल से सवाल में अगर उत्तर न आये तो ...।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर उनने कहा है कि आपको लिखित रूप में भेज दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या : 03 XX XX

राजीव गांधी व्यवपर्तन जलाशय कार्य की पूर्णता

4. (*क्र. 1439) सुश्री शकुन्तला साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महानदी पर समोदा/निसदा ग्राम के समीप पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के नाम पर बने राजीव व्यपवर्तन जलाशय का निर्माण कब पूर्ण कर लिया गया है ? (ख) क्या उक्त योजना में महानदी नहर/लवन शाखा नगर के अंतिम छोर तक सिंचाई होती है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होना ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) महानदी पर समोदा/निसदा ग्राम के समीप राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण (शीर्ष कार्य + लिंक नहर 0 से 4.50 कि.मी. + मुख्य नहर 0 से 12.25 कि.मी.) का निर्माण मई 2006 को पूर्ण कर लिया गया है. (ख) उक्त योजना से वर्तमान में महानदी नहर/लवन शाखा नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई नहीं होती. योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत निर्माण कार्य, कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकायें, वन भूमि प्रकरण के निराकरण एवं भू-अर्जन प्रकरणों का अर्द्घन्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत निराकरण किए जाने के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

सुश्री शकुन्तला साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महानदी पर समोदा/निसदा ग्राम के समीप पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के नाम पर बने राजीव व्यपवर्तन जलाशय का निर्माण दस बारह वर्ष पूर्व कर लिया गया है। लेकिन इससे निकलने वाली नहर जिससे सत्तर हजार एकड़ जमीन की सिंचाई प्रस्तावित है जिससे ज्यादातर महानदी लवण शाखा नहर के अंतिम छोर जिसमें किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। यह कसडोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है । माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को बधाई और धन्यवाद। वे अपने क्षेत्र के बारे में इतनी चिन्तित हैं और एक बड़ी योजना के बारे में सदन का ध्यान आपने आकर्षित किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 31.10.2001 को 64.77 करोड़ रूपये की शुरूआत हुई थी। उसके बाद आपने जिसका प्रश्न किया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत किलोमीटर 1225 से किलोमीटर 8218 तक इसका कार्य अभी शेष है। 28 हजार हेक्टेयर की सिंचाई इसमें प्रस्तावित है। इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। अब थोड़ा आवार्ड की कार्यवाही लैण्ड एक्वीजेशन की कार्यवाही और हाईकोर्ट में एकाध मामला पेंडिंग होने के कारण, ये तीन बड़े कारण है, जिसके कारण ये लंबित है। लेकिन अब ये शासन का प्रयास है और विभाग का भी प्रयास है। माननीय जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो इसको शीघ्रतापूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा प्रश्न पूछिए।

सुश्री शकुन्तला साहू :- माननीय मंत्री जी, माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में सरकार की ओर से ओ.आई.सी. किसे नियुक्त किया गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। अब ये योजना के बारे में था कि हाईकोर्ट में विभाग की तरफ से कौन ओ.आई.सी. है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय सदस्य जी को बता दीजिएगा। श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, वे केवल ओ.आई.सी. का नाम नहीं पूछ रही हैं। वे यह चाहती है कि अगर हाईकोर्ट में 20 साल तक मामला पेंडिंग रहेगा तो क्या 20 सालों तक यह निर्माण नहीं होगा ? इसलिए आप विशेष रूचि लेकर, जो हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल वगैरह हैं, उनको वहां खड़े करवाईये और हाईकोर्ट को यह बतवाईये कि ये प्रदेश की बड़ी सिंचाई योजना है। किसी मसले को लेकर, छोटे से मसले को लेकर नहीं रोका जा सकता। इसलिए वे आपसे आग्रह करना चाहती हैं, वही आग्रह हम भी करना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो मामले पेंडिंग हैं, उसकी पैरवी समय सीमा के अंदर विशेष रूचि लेकर, आपका विभाग करेगा क्या ? नाम से मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां।

<u>महासमुंद जिले में कृषि उपकरणों की खरीदी</u>

5. (*क्र. 1422) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2016-17 से 25-01-2019 तक सी-बीज एक्ट्रक्ट, सी-बीड जेल तथा एमिनों, ह्यूमिक एसिड की खरीदी अथवा प्रदाय आदेश किन-किन योजनाओं के तहत् कब-कब किस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिकारी द्वारा दिया गया ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित सामग्री क्या योजना में अनुशंसित है ? यदि नहीं, तो खरीदी या प्रदाय किस आधार पर किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2016-17 से 25-01-2019 तक विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों की प्रदाय हेतु क्रय/आदेशित "सी-बीड एक्सट्रेट/सी-वीड जेल/एमीनों एसिड/हयमिक एसिड" का योजनावार, वर्षवार, अधिकारीवार विवरण †[1] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित सामग्री "सी-वीड एक्सट्रेक्ट/सी-वीड जेल/एमीनो एसिड/हयमिक एसिड" कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुशंसित नहीं है. उप संचालक कृषि, जिला महासमुन्द द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर, महासमुन्द की अनुशंसा के आधार पर उक्त सामग्री को सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत मानते हुये विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को प्रदाय हेतु क्रय/आदेशित किया गया है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न था कि महासमुंद जिले में वर्ष 2016-17 से 25-01-2019 तक सी-बीज एक्ट्रक्ट, सी-बीड जेल तथा एमिनों, ह्यूमिक एसिड की खरीदी अथवा प्रदाय आदेश किन-किन योजनाओं के तहत् कब-कब किस अधिकारी द्वारा दिया गया ?जिसमें जवाब आया है कि उक्त दवाईयां, वर्णित सामग्री "सी-वीड एक्सट्रेक्ट/सी-वीड जेल/एमीनो एसिड/हयमिक एसिड" कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुशंसित नहीं है. उप संचालक कृषि, जिला महासमुन्द द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर, महासमुन्द की अनुशंसा के आधार पर उक्त सामग्री को सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत मानते हुये विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को प्रदाय हेतु क्रय/आदेशित किया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब कृषि विभाग इसको अनुशंसित नहीं किया है तो उप संचालक कृषि इन दवाईयों को कैसे खरीदें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो बातें तो पढ़ी कि कृषि विभाग की अनुशंसा नहीं है। लेकिन उसमें के.वी.के. की सिफारिश है, डेमो के लिए, ऐसा आप ही ने पढ़ा है। तो आधार वही था।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो क्या वे अधिकृत हैं ? वे अधिकृत तो नहीं हैं अगर कृषि विश्वविद्यालय उसको अधिकृत करती है या प्रमाणित करती है, उसमें रेट तय करती है, बीज विकास निगम उसमें रेट भी नहीं तय की है और खरीदी भी हो गई। इसमें तो टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। इसके ऊपर तो कार्यवाही होनी चाहिए और ये पूरे प्रदेश स्तर पर किया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इसके पहले प्रश्न के दिन माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने किया था। वह पूरे प्रदेश का मामला था और ये महासमुंद जिले का है। उस

[1] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिन मैंने इस सदन में कहा है कि हम इस प्रकरण की जांच करायेंगे, उसमें महासमुंद जिला भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें दवाईयां खरीदने के लिए के.वी.के. की अनुशंसा थी?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

<u>जिला बस्तर में कोपेगुड़ा मंडी की स्थापना</u>

6. (*क्र. 1195) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर अंतर्गत कोपेगुड़ा मंडी की स्थापना की अधिसूचना शासन द्वारा कब जारी की गई थी ? (ख) कोपेगुड़ा मंडी के भवन निर्माण की निविदा कब जारी की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बस्तर अंतर्गत कोपेगुड़ा में उपमंडी की स्थापना की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2015 को जारी की गई थी. (ख) कोपेगुड़ा उपमंडी के भवन निर्माण की निविदा दिनांक 05-09-2013 को जारी की गई.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि उपमंडी की अधिसूचना 2015 में जारी हुई और बिल्डिंग 2013 में बन गई। शादी नहीं हुई और बच्चे पहले ही पैदा हो गये। ये कैसे हो गया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- यह तो गंभीर हो गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- कैसे गंभीर हो गया, यह बताईये तो ?

श्री नारायण चंदेल :- शादी हुई नहीं और बच्चा हो गया, यह गंभीर मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, लिव इन रिलेशन की मान्यता प्राप्त है, ऐसा माननीय शर्मा जी का कहना है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 में अधिसूचना जारी होती है और 2013 में बिल्डिंग बन गई। यह कैसे हो सकता है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या विभागीय अधिकारी जिसने बिल्डिंग बनाई, उसको अधिसूचना की जानकारी नहीं थी ? अगर अधिसूचना की जानकारी थी तो किसके आदेश से बनाई और क्यों बनाई ? क्या नियम प्रक्रिया में ऐसा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, उसमे सचचाई है। लेकिन 09.09.2009 द्वारा कलेक्टर जिला बस्तर के पत्र यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं भारी वाहनों के आवक-जावक दुर्घटना की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मंडी को अन्यंत्र स्थापित करने के लिए, माननीय सदस्य जी शुरूआत वहां से हुई। ऐसा नहीं है कि कोई आधार नहीं था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जगदलपुर की मंडी को अन्यंत्र स्थानांतरित करने के लिए कलेक्टर ने पत्र लिखा, उसके तहत ये कार्य की शुरूआत हुई थी। उसके बाद अलग-अलग दिवस हैं, उसको कब जमीन आवंटित की गई, उसमें कुछ प्राब्लम आये, मंडी बोर्ड को लिखा गया। लेकिन ये सही है कि मंडी की अधिसूचना जारी होने के पहले मंडी बोर्ड ने कार्य स्वीकृत करा दिया। ये सच्चाई है। और उसके द्वारा भी जिन लोगों को दोषी पाया गया, इसमें उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है, दो इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही की गई है, लेकिन अब आवश्यकता है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं तत्कालीन अधीक्षण अभियंता राय और आई.ए. खैरानी को उत्तरदायी पाने के कारण, मंडी बोर्ड ने उसकी जांच भी की कि पहले कैसे आर्डर हो गया, बाद में अधिसूचना जारी हुई, उनके खिलाफ में कार्यवाही भी की गई है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी बोर्ड के बिल्डिंग के निर्माण की राशि तो मंडी बोर्ड से गई होगी तो क्या राशि विमोचित करने के समय मंडी बोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इलीगल कार्यवाही हो रही है ? क्या कलेक्टर को अधिकार था कि इस तरह की अधिसूचना जारी होने के पहले भवन का निर्माण करा सके ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, दो अलग-अलग बात है। मंडी बोर्ड भवन का निर्माण करने की स्वीकृति मंडी बोर्ड की है। कलेक्टर वहां की सुविधा देखते हुए, जनप्रतिनिधियों की मांग भी हो सकती है, आवश्यकता को देखते हुए मंडी का स्थानांतरण किया। मैंने ये नहीं कहा कि कलेक्टर ने स्वीकृत किया, लेकिन मैंने कहा कि प्रक्रिया उस तारीख से प्रारंभ हो गई थी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी निर्माण पर शासन द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की कोई राशि खर्च नहीं हुई।

<u>धमतरी वि. स. क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत दिव्यांगों को प्रदत्त सुविधा</u>

7. (*क्र. 1704) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धमतरी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सभी पंजीकृत दिव्यांगों की यूनिक आई.डी. बना ली गई है ? यदि नहीं, तो कब तक बना ली जावेगी ? (ख) यूनिक आई.डी. के माध्यम से दिव्यांगों को कौन-कौन सी सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जी हां. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) यूनिक आई.डी. को भारत में संचालित समस्त शासकीय एवं गैर शाकसीय योजनाएं जिसमें दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता के प्रमाणन की आवश्यकता होगी, मान्य किया गया है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय विभागीय मंत्री जी से था और इनके प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर पूरा नहीं मिला है। इसमें मैने प्रश्न किया था कि दिव्यांगों को शासन की कौन-कौन सी सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यागों के लिए रिक्त स्थान होते हैं, दिव्यांगों के लिए इतनी सीट, सरकारी भर्तियों में भी रिक्त पद होते हैं। गैर सरकारी में भी दिव्यांगों के लिए अलग-अलग योजना है, हमारे राज्य में 5 योजना संचालित है, उसी में उनका स्थान रहता है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं पर भी 5 योजनाओं का जिक्र नहीं है।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- आपने यूनिक आई.डी. के बारे में पूछा था।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिक आई.डी. के बारे में पूछा था और साथ ही साथ कौन-कौन सी सरकारी और गैर सरकारी योजनायें दिव्यांगों को मुहैया कराई जा रही हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, नि:शक्तजन छात्रवृत्ति योजना, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना, सामर्थ्य विकास योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्तजन छात्र गृह योजना, स्वरोजगार हेतु ऋण योजना, नि:शक्तजन तीर्थयात्री योजना, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् उपलब्ध करायी जाती हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि इनको कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम दिव्यांगों को कहां तक इन योजनाओं का फायदा उपलब्ध करा पाये हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शक्तजनों को इन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको कोई और विस्तृत जानकारी लेनी हो तो आप माननीया मंत्री जी के पास कक्ष में चले जाईयेगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि इस यूनिक आई.डी. को बनाने का क्या तात्पर्य है ? दिव्यांगों के लिये यह जो यूनिक आई.डी. बनाई गयी है तो हम इससे कहां तक उनको लाभ पहुंचा पा रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.डी. का जो लाभ है जैसे परिचय पत्र अर्थात् पहचान पत्र होता है वैसे ही दिव्यांगों का पहचान पत्र है । हर जगह उनको इस आई.डी. से कुछ परसेंट आरक्षण मिलता है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीया मंत्री जी, आपने कितने परसेंट तय किया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप जाकर बात कर लीजियेगा । श्री शिशुपाल सोरी ।

जिला उत्तर बस्तर कांकेर में कृषि योजनाओं हेतु निर्धारित अनुदान राशि

8. (*क्र. 1509) श्री शिशुपाल सोरी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर में वितीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में जनवरी, 19 तक की अवधि में कृषकों हेतु लघुत्तम सिंचाई, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्घि योजना, भू-जल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना तथा नलकूप खनन योजना के तहत कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी ? योजनावार जानकारी देवें ? (ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्घ कितने-कितने कार्यो की पूर्ति हुई तथा कितने कृषकों को योजनानुसार कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) विभागीय लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान देय नहीं होता अपितु शासकीय व्यय पर विभाग द्वारा तालाब निर्माण कार्य किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में जनवरी, 19 तक जिला उत्तर बस्तर कांकेर में निर्मित तालाब निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण †[2] संलग्न प्रपत्र "अ" में है. किसान समृद्घि योजना एवं शैलो ट्यूबवेल (रा.कृ.वि.यो.) योजना अंतर्गत प्रदत्त अनुदान का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में है. सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है अपितु कृषकों को सामग्री प्रदाय उपरांत प्रावधान अनुसार अनुदान राशि का भुगतान संबंधित प्रदायकर्त्ता एजेंसी को किया जाता है. सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राज्य स्तरीय लक्ष्य के विरूद्घ लाभांवति कृषक संख्या, रकबे एवं प्रदाय सामग्री की अनुदान राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" पर है. जिला कांकेर में प्रश्नाधीन अवधि में भू-जल संवर्धन योजना एवं राज्य पोषित सूक्ष्म-सिंचाई योजना (स्प्रिंकलर) संचालित नहीं थी, अतः जानकारी निरंक है. (ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्घ समस्त निर्माण कार्य पूर्ण है. किसान समृद्घि योजना, शैलो ट्यूबवेल (रा.कृ.वि.यो.) योजना एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत कृषक संख्यावार अथवा संबंधित प्रदायकर्त्ता एजेंसी को प्रदत्त अनुदान का योजनावार, वर्षवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" पर है.

---

[2] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि विभाग के अनुदान प्राप्त योजनाओं के लक्ष्य और उनकी पूर्ति के संबंध में जानकारी चाही थी । जो जानकारी मिली है उसी के संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि लघुत्तम सिंचाई योजना जिसमें वर्ष 2018-19 में कांकेर जिले का मैंने पूछा था जो जीरो-जीरो है । वर्ष 2017-18 में 28 किसान उसमें लाभांवित हुए थे तो यह बहुत ही अच्छी योजना है, पॉपुलर योजना है और इसके संबंध में मुझे बताया गया कि यह योजना बंद कर दी गयी है तो मैं चाहता हूं कि क्या यह योजना पुन: चालू की जायेगी ? चूंकि यह जो माईक्रो इरीगेशन है, जिसमें हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना चालू होगी या केवल हमारे कांकेर जिले के लिये यह योजना बंद कर दी गयी थी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय-समय पर केंद्र पोषित योजनाएं हैं । आने वाले समय में फिर से इस प्रकार की योजनाएं आपके जिले में भी और प्रदेश में लागू किया जायेगा ।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा किसान समृद्धि योजना है जिसमें बोर खनन के लिये अनुदान राशि दी जाती है । इसमें पहले वॉटर रिचार्जिंग के लिये बोर खनन के साथ ही साथ स्ट्रक्चर बनाने पर 5000 का अनुदान भी दिया जाता था लेकिन अब यह किसानों को नहीं दिया जा रहा है जबकि मैं समझता हूं कि यह जल संवर्धन की दिशा में बड़ा अच्छा काम होता तो मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि क्या किसानों को जो वॉटर रिचार्जिंग के लिये पृथक से 5000 रूपये का अनुदान मिलता था क्या उसको दिलायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ड्रिप-स्प्रिंकलर, लघुत्तम सिंचाई ये सारे प्रश्न किये गये थे लेकिन उस अनुदान के बारे में यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो अभी किसी प्रकार के कोई अनुदान को बंद करने का निर्णय हुआ ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती छन्नी साहू ।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछ लीजिये ।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कांकेर जिले में अचानक ड्रिप और स्प्रिंकलर का लक्ष्य और पूर्ति एकदम कम हो गयी है । मैंने इसके संबंध में पता किया तो पता चला कि यह कोई गुजरात मॉडल है और उसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं तो इसमें प्रश्न क्या है ?

श्री शिशुपाल सोरी :- यह जो ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल से कांकेर को परेशानी हो रही है और पूरे देश को पूरेशानी हो रही है । (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिशुपाल सोरी :- तो क्या इसको खत्म करके जो पहले था यानी किसानों को जो सुविधा थी...।

श्री रविन्द्र चौबे :- है, माननीय सदस्य का प्रश्न पूरा होने के पहले ही उत्तर सुन लीजिये । (हंसी) इन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल के कारण कांकेर परेशान है, मैंने कहा कि कांकेर क्या पूरा देश परेशान है और उनका आगे का प्रश्न है कि क्या आप गुजरात मॉडल को खत्म करेंगे ? समय आ गया है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिना प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आज भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बिना प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं । यह नयी लेजिस्लेटिव स्टाईल है कि बिना प्रश्न के उत्तर आना । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको मुंगेरीलाल के सपने देखने की छूट है । गुजरात मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया है और फिर से स्वीकार करेगा, पूरी दुनिया उसका समर्थन कर रही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने खुद होकर तो गुजरात मॉडल नहीं कहा, आदरणीय सदस्य आपने कहा ना, गुजरात मॉडल ?

श्री शिशुपाल सोरी :- जी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा अध्यक्ष जी ।

प्रश्न संख्या : 9 XX XX

जिला जांजगीर-चांपा में ब्याज की राशि से नहरों का रख-रखाव कार्य

10. (*क्र. 1456) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले के किन-किन डिवीजन में विभाग के पास रखी हुई ब्याज की राशि से काडा नाली का रख-रखाव कार्य (मरम्मत) किये गये हैं ? (ख) क्या उक्त कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य व बिना कार्य के राशि आहरण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्घ क्या-क्या कार्यवाही हुई?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जांजगीर चाम्पा जिले में मात्र एक डिविजन मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया के पास रखी हुई ब्याज की राशि से काडा नाली का रखरखाव (मरम्मत) कार्य किया गया है. (ख) उक्त कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य तथा बिना कार्य के राशि आहरण किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः दोषियों के विरूद्घ कार्यवाही करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्याज की राशि कितनी थी ? दूसरा, कितने साल से खर्च नहीं हुआ था और ब्याज की कितनी राशि शेष है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सत्र लगने के बाद काडा की नालियों के बारे में माननीय नारायण चंदेल जी का यह दूसरा प्रश्न है । यह इन्हीं का दूसरा प्रश्न है । आखिर आप जानना क्या चाहते हैं, यह थोड़ा स्पष्ट रूप से पूछिए ना । पिछली बार भी हमने उसका उत्तर दिया था और कहा कि हम अपने अधिकारियों से उसकी जांच करा लेंगे । फिर से वही प्रश्न उत्पन्न हुआ है । अब लम्बी-चौड़ी लिस्ट है । गांव की लिस्ट पूछ रहे हैं, कितने लाख रूपया पूछ रहे हैं फिर कितने साल के ब्याज का पूछ रहे हैं । आप कुछ निश्चित बात पूछिए फिर मैं उसका उत्तर देता हूं । अगर आप इजाजत देंगे तो मैं पूरे गांव का नाम पढ़ दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं लम्बा है ।

श्री नारायण चंदेल :- काफी लम्बा चौड़ा नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो फिर मैं पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, प्लीज ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं फिर से दोहरा देता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि ब्याज की राशि उसमें कितनी थी, कितने साल तक वह खर्च नहीं हुई है और उसमें कितनी राशि बची है ? यह तो स्पेसीफिक प्रश्न है । एकदम साफ है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कितनी राशि बची है उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा । गांववार जो खर्च हुआ है यदि आप कहें तो उसे पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं यह पूछ रहा था कि उसमें क्या-क्या कार्य किया गया है ? कितना कार्य पूर्ण है और कितना कार्य अपूर्ण है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इन दोनों का प्रश्न उत्तर सदन के बाहर हो चुका होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर आपको उसमें कोई आशंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच की मांग कर लो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अरे, नहीं हुआ है । आप आसंदी से क्यों बोल रहे हैं (हंसी) अरे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं तो केवल इतना पूछा हूं कि कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना अपूर्ण ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिए, सुन लीजिए । अध्यक्ष जी ये पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड बन जाए, पूरे 25 प्रश्न हो जाएं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं नाम पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं उनको जरूरत नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कमली, बगौद, भांटा, कोटमी, कांसा, गोबरा, सिंगरा, धुरकोट, डभरा, बड़े मुड़पार । (हंसी) मैंने कक्ष में बुलाया भी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह ।

प्रश्न संख्या : 11 XX XX

बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री का क्रय

12. (*क्र. 1701) श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में वर्ष 2016 से दिसम्बर, 2018 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय हेतु कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत क्रय सामग्री हेतु किस-किस मद से कितना-कितना व्यय किया गया एवं किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया ? (ग) क्या प्रदाय की गई सामग्रियों का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं क्या पाया गया? (घ) क्या उक्त क्रय सामग्रियों को केन्द्रों में वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) बेमेतरा जिले में वर्ष 2016 से दिसम्बर 2018 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय हेतु क्रय की गई सामग्री की जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है. (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है. (ग) एवं (घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है.

श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल था, जिसका जवाब आ गया है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या भौतिक सत्यापन कराएंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेती हूं ।

श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे :- जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ में 60 व 75 वर्ष के किसानों की संख्या

13. (*क्र. 682) श्री अजय चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में 60 व 75 वर्ष के कितने किसान है ? क्या सरकार ने इनकी गणना करवाई है यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? (ख) क्या सरकार ने किसानों को पेंशन देने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो 60 वर्ष के किसान और 75 वर्ष के किसान के लिए कितनी-कितनी राशि देने की योजना है ? पृथक-पृथक बतायें? इससे शासन को कितना वित्तीय भार अनुमानित है ? (ग) यदि सरकार ने गणना करवाई है, तो किस एजेंसी से कब करवाई और उसमें कितना वित्तीय भार आया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राज्य शासन द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही नहीं की गई है. अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. (ख) विचाराधीन है. (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में निरंक.

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब किसान सम्मान निधि की घोषणा की, कि किसानों को प्रतिवर्ष 2000 रूपए किसानों को मिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इसी में पूछ रहा हूं । तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का बयान आ गया कि हम उससे अच्छी योजना लागू कर रहे हैं । जब उसी तरह की योजना में चर्चा हुई है तो घुमा फिराकर उत्तर आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय कृषि मंत्री जी, जो इस सदन में एक के बाद दूसरे सबसे संभावनाओं वाले मंत्री हैं । मैं उनसे जानना चाहूंगा और कक्ष में नहीं जाना चाहूंगा । यहीं जानना चाहूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने संभावना वाले मंत्री कहकर क्या इंगित किया, यह स्पष्ट करो आप ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अगर ये दूसरी संभावना वाले हैं, तो पहली संभावना वाले कौन हैं, यह भी बता दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में 60 वर्ष और 75 वर्ष के कितने किसान हैं ? क्या आपने उनको पेंशन देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- शासन के स्तर पर अभी किसी भी प्रकार की योजना तैयार नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह के योजना तैयार नहीं है लेकिन आपने कहा है और आपने प्रश्न में कहा है कि अभी हमने सर्वेक्षण नहीं कराया है तो क्या आप उसकी योजना तैयार करेंगे? तभी आपने कहा है कि हम सर्वेक्षण करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आपने प्रश्न में कहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि अभी सर्वेक्षण करने की कार्यवाही नहीं की गई है, तो कृपया ये बताए। कोई न कोई स्तर में लंबित है तभी आपने यह स्वीकार किया है कि सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। आप इस योजना का सर्वेक्षण कब करवाने जा रहे हैं? कि नहीं करवाने जा रहे हैं, यह बता दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अगर आपने प्रश्न में पूछा कि इनकी गणना करवाई क्या ? तो कुल मिलाकर उसी का उत्तर नहीं है लेकिन आप जो जानना चाहते हैं, उसका उल्लेख हमने अपने जनघोषणा पत्र में किया है और सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनघोषणा में उल्लेखित सारे बिंदुओं पर हम लोगों को न केवल कार्य करना है, एक्जीक्यूट भी करना है। क्रियान्वयन भी करना है। इसलिए शासन की तैयारी है कि जनघोषणा पत्र के अनुसार आने वाले समय हम क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन सर्वेक्षण करा लिया क्या ? कोई योजना बना लिया क्या ? इस दिशा में हमको पहल करनी है, शुरूआत करनी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि मैंने प्रश्न माननीय कृषि मंत्री जी से किया था। आप चेयर में थे, जब आपने मुख्यमंत्री जी का उल्लेख कर दिया तो मैं मुख्यमंत्री जी से उद्भूत बात ही आपसे पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने जनघोषणा पत्र का 60 प्रतिशत क्रियान्वयन कर दिया है तब कृपया उस 60 प्रतिशत में आप बताइए कि आप यह जो किसानों को देने जा रहे हैं, आपने भी उसका उल्लेख किया और प्रश्न के उत्तर में कहा कि शासन ने सर्वेक्षण की कार्यवाही नहीं की है। तो इस विषय में आप सर्वेक्षण कब तक करवाएंगे, उसके लिए कोई प्रक्रिया सुनिश्चित की है या किसी स्तर पर, आपके स्तर पर सरकार में विचार के जो स्तर होते हैं, उस किसी स्तर पर विचाराधीन है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- निश्चित रूप से हमने पहले ही लाइन में कहा कि जनघोषणा पत्र में उल्लिखित बिंदुओं पर हमको करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं तो आपके प्रश्न को पूछ रहा हूं। जनघोषणा पत्र को पूछ ही नहीं रहा हूं। आपने कहा है कि हम कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कहा कि कहां से शुरूआत हुई ? तो वही तो हमारा आधार है, वही हमारा बेस है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मैंने आपसे पूछा है कि सरकार में विचार की जहां पर..।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, ये मैंने कहा न। मैंने कहा न। हम उसी के आधार पर यह तैयारी कर रहे हैं और इस बात को निश्चिंत जानिए कि 500 रूपये महीने वाली योजना नहीं है, जिसका जिक्र आपने अपने प्रश्न के शुरूआत में कहा है। हमने कहा है कि हम एक हजार और डेढ़ हजार रूपये 60 और 75 साल के बुजुर्ग किसानों को देंगे तो हमारी तैयारी है लेकिन अभी आप..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषण है। जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं पर उस उत्तर के आधार पर भाषण जरूर दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। जब आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि जनघोषणा पत्र के आधार पर योजना लंबित है। आपने प्रश्न में कहा है तो मैंने उसे पूछा कि यदि लंबित है, आप विचार कर रहे हैं, आप उसमें भाषण कर रहे हैं तो शासन में जो विचार की प्रक्रिया लंबित रहती है कि साहब मंत्री के स्तर पर लंबित है या विभागाध्यक्ष के स्तर पर लंबित है। मैंने उस दिन भी पूछा था कि वित्त विभाग में लंबित है कि समन्वय में लंबित है कि केबिनेट के पास विचाराधीन के लिए लंबित है। यह कहां पर लंबित है, यह तो बताएं जब आप सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो। आप सिर्फ इसे वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बताइए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें मालूम है लोकसभा के पहले 500 रूपया देने का प्रावधान भी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? यह हमें मालूम है।

श्री कवासी लखमा :- मालूम है।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि हमारा कमिटमेंट है। हमको करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, कमिटमेंट है तो दिन, तिथि, अवधि कुछ तो बताइए फिर भी आप कमिटमेंट है और फिर वही राजनीतिक भाषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं है कि जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो भाषण क्यों कर रहे है? हम 500 रूपये नहीं देंगे। आप 5000 रूपये दीजिए न, हम समर्थन करेंगे लेकिन हम जो प्रक्रिया पूछ रहे हैं, उसको आप बताइए इधर-उधर घुमाने की बजाय कि इस तारीख से इस तिथि से ऐसा करेंगे और जब ऐसा पूछते हैं तो आप ही हैं जो उधर जाकर प्रश्न का उत्तर नहीं आने देते।

अध्यक्ष महोदय :- यह माननीय मंत्री जी पर आरोप है। माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, यह उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आपको विस्तृत जानकारी दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपको विस्तृत जानकारी दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैंने एक लाइन पूछी जिसका उत्तर नहीं दिया। आपने भाषण में कहा। चलिए, मैं भाषण शब्द हटा देता हूं। आपने प्रश्न के उत्तर में मैंने जो पूछा, उसे स्वीकार किया कि हम किसानों के लिए योजना लांच करने जा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि हम प्रधानमंत्री जी की तरह, आपकी तरह 500 रूपये लांच नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप 5000

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दीजिए हम समर्थन करेंगे। अभी सर्वेक्षण नहीं शुरू हुआ है। मैंने एक ही लाइन पूछा कि जब आप सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो इसको कब, कैसे और किस तरह कह सकते हैं कि हम 5 साल के अंदर देंगे। लोकसभा के बाद देंगे, विधान सभा के बाद देंगे लेकिन यह तो बिल्कुल हवा-हवाई बात हो गई, जैसे कल से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका पाईण्टेड प्रश्न क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईण्टेड प्रश्न यह है कि आप इसको कब से लागू करेंगे ? सीधी सी बात है जब आपने स्वीकार किया कि विचाराधीन है तो आप तारीख बताईये। हम कोई भी तारीख सुनने के लिए तैयार हैं, अभी कहां पर विचाराधीन है, जिसमें निर्णय लेने के कारण देरी हो रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- एक लाईन में।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा शांत बैठ जाओ न। अध्यक्ष जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कहा कि हमको करना है। हमने यह तो नहीं कहा। मैंने पहले लाईन ही में कहा कि हम आने वाले समय की योजना बना रहे हैं। शासन स्तर पर विचाराधीन है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा कि जन घोषणा-पत्र के किए हुए वायदों को ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर राजनीति की बात हो गई।

श्री नारायण चंदेल :- समय-सीमा बता दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो फिर राजनीति की बात हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर तो आने दीजिये। प्लीज, आप उत्तर आने दीजिये।

श्री नारायण चंदेल :- स्पेसीफिक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप उत्तर आने दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि शासन के स्तर पर विचाराधीन है, मैंने कहा ही नहीं है मैंने कहा कि ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने लिखित में, उत्तर में कहा है कि विचाराधीन है। तो किस स्तर पर विचाराधीन रहेगा ? शासन के स्तर पर ही तो विचाराधीन होगा।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आने दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सर्वेक्षण के लिए प्रश्न था। इसलिए उसमें उस प्रकार का उत्तर आया है। लेकिन आप योजना जानना चाहते हैं तो अभी तिथि बताना संभव नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है कि हम देंगे। आपने बार-बार कहा कि पांच साल के लिए घोषणा-पत्र है। कहते-कहते आपका गला सूख गया

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

कि यह किसानों की सरकार है। अगर किसानों की सरकार है तो आप 5 साल की भीतर की अवधि बतायें न, दो साल, तीन साल, चार साल, ? किसी भी तिथि को बताईये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तिथि बतायेंगे तो सदन की गरिमा बढ़ेगी। ये बार-बार कहते हैं कि हम किसानों के हैं तो किसानों के बारे में घुमाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कृपया तिथि बताने का कष्ट करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सक्षम आदमी हैं, उसको आपकी जरूरत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, मेरा भी तो सुन लीजिये। ये भाषण देते-देते ऊंगली पीछे करते हैं उसके बाद नाक में ऐसा सूंघते हैं, हायपर हो जाते हैं। क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आता है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब से करेंगे, यह उत्तर तो आना चाहिए। एक लाईन में उत्तर आ जाये कि एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल।

अध्यक्ष महोदय :- संभव नहीं है। ऐसा उत्तर बताना संभव नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी का जो 'ख' प्रश्न है, आप उसको पढ़ेंगे, क्या सरकार ने किसानों को पेंशन देने की योजना बनाई है ? यदि हां तो 60 वर्ष के किसान और 75 वर्ष के किसान के लिए कितनी-कितनी राशि देने की योजना है, पृथक-पृथक बतायें ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर 'ख' में लिखा है, विचाराधीन है। आपने अभी मौखिक उत्तर दिया है उसमें कहा कि शासन के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह किस स्तर पर विचाराधीन है, आप यह बता दें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो सुन लो भाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन रहे हैं, बिलकुल सुन रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले प्रश्न में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था - 'क' क्या सरकार ने इसकी गणना कराई ? तो मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया। दूसरे में आपने पूछा कि 75 और 60 साल के कितने-कितने किसान हैं, इसका क्या वित्तीय भार अनुमानित है ? मैं अपने उत्तर में तो इसी को ही बोला, इसी को तो हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा लगेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने लिखा कि विचाराधीन है और मौखिक उत्तर में कहा कि शासन के स्तर पर विचाराधीन नहीं है मैंने बहुत स्पेसीफिक प्रश्न किया है कि आपके दोनों उत्तर में जो विरोधाभास है, यह किस स्तर पर कहां विचाराधीन है, यह तो आप स्पष्ट करो ? माननीय अध्यक्ष जी, आप उत्तर दिखवा लीजिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है और लिखित उत्तर में कहा कि विचाराधीन है। तो यह कहां विचाराधीन है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी, दो अलग-अलग प्रश्न है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय एक ही प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिलकुल-बिलकुल एक ही प्रश्न है, माननीय। आप प्रश्न 'ख' पढ़ लीजिये न।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ लिया इसीलिए तो बताया।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं भी पढ़ लिया इसीलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न 'ख' में पूछा है कि शासन को कितना भार अनुमानित है ? कितनी-कितनी राशि देने की योजना बनाई है ? यह पूछा है। मैंने उसका कहा कि विचाराधीन है। लेकिन अजय जी ने पूछा कि संपूर्ण पेंशन देने का जो प्रस्ताव है, जो योजना है, वह किस स्तर पर विचाराधीन है ? तो मैंने कहा कि अभी उस स्तर पर कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रक्रियाओं को जानना चाहेंगे कि हमने क्या-क्या, कुछ किया, यह भी आपको बता देता हूँ। जी0ए0डी0 को हमारा जन घोषणा-पत्र गया। जीएडी से जन घोषणा पत्र के सारे बिन्दुओं को किस प्रकार से इंम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, कितना बजट का प्रावधान हो सकता है, आखिर इसकी जानकारी देना है । आप तो सरकार में रहे हैं न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएडी को तथाकथित रूप से दे दिया तो जब आप बात को बढ़ा रहे हैं तो ये बता दीजिए कि उसमें जीएडी ने कब तक क्या किया है ? आप स्पेशिफिक प्रश्न का उत्तर बता दें कि जीएडी ने अब तक क्या-क्या किया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप को किसानों की सरकार बोलती है कि हम किसानों की सरकार है...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसानों की ही बात कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप उत्तर दे रहे हैं कि हम किसानों को पैसा देंगे और दूसरी तरफ प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है...(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से एक भी उत्तर नहीं आया और किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । हम बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है एवं माननीय मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है, न

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप पांच साल किसानों की सहायता करने की स्थिति में हैं । ऐसे में मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
11:36 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक के नेतृत्व में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं।

बस्तर जिले में कृषकों को वितरण हेतु सामाग्रियों का क्रय

14. (*क्र. 1774) श्री बघेल लखेश्वर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से जनवरी, 19 तक बस्तर संभाग में कृषकों को वितरण हेतु किन-किन सामाग्रियों का क्रय किया गया ? (ख) संभाग में किन-किन विकासखण्ड में कौन-कौन से सामग्रियों का वितरण कृषकों को किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वर्ष 2016-17 से जनवरी, 19 तक बस्तर संभाग के जिलों में उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को वितरण हेतु क्रय सामग्री का विवरण †[3] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) कृषकों को वितरित सामग्री का वर्षवार, जिलेवार एवं विकासखण्डवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कृषकों को वितरण हेतु सामग्रियों के क्रय के संबंध में प्रश्न पूछा था, जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्रय प्रक्रिया और वितरण प्रक्रिया क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को वितरण किये जाने वाले क्रय सामग्री के बारे में जानना चाहा है, मैंने पूरी लिस्ट दे दी है और आपका दूसरा प्रश्न किसानों की संख्या के बारे में है, उसकी भी पूरी जानकारी मैंने दे दी है । आपने प्रक्रिया के बारे में पूछा है तो मैं आपको शीघ्र अवगत करा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन होता है, फिर डिमांड होता है, फिर

[3] परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डिपार्टमेंट उसको डिमांड प्रेषित करता है, फिर जिन लोगों से खरीदी की जानी है, उसको आर्डर दिया जाता है, इस प्रकार से सारी प्रकिया है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर खरीदी होती है या राज्य स्तर पर खरीदी होती है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर आर्डर होता है और राज्य स्तर पर उसको आदेश किया जाता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काजू का पौधा अभी वर्तमान में हमारे बस्तर में लग रहा है । वह पौधा कब क्रय किया गया और ये समय काजू का पौधा लगाने के अनुकूल है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- काजू के बारे में तो प्रश्न है ही नहीं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे पौधों के बारे में है, आप काजू के बारे में स्पेशिफिक पूछ रहे हैं । अगर समय के उपरांत इस प्रकार से कोई सप्लाई की जा रही होगी तो उसको दिखवा लूंगा । ऐसा कुछ होगा तो आप बताईए कि काजू लगाने का वक्त निकल गया और पौधे खरीदे जा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो विभाग से उसकी जांच कराएंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए मैं पत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग को निर्देशित करूंगा कि अगर माननीय विधायक जी उसके बारे में पत्र दिये हैं कि काजू के प्लांटेशन करने का समय निकल गया और सप्लाई की जा रही है तो ये गंभीर मामला है ।

<u>कोण्डागांव जिले में स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण से लाभान्वित किसान</u>

15. (*क्र. 1298) श्री मोहन मरकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों में कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण हेतु कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार ब्यौरा देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : विगत 5 वर्षों में कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण हेतु 22 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट पर †[4] संलग्न है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण से संबंधित जानना चाहा

[4] परिशिष्ट "छः"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है । माननीय मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है कि कोण्डागांव विकासखण्ड और माकड़ी विकासखण्ड में 2015-16 में 4 और 2016-17 में दो तालाबों का निर्माण किया गया । मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तालाब निर्माण किस-किस नाम से किये गए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में चार तालाब क्रमश: पार्वती कोर्राम, लेखनराम, जामकोट पारा कोण्डागांव, लक्ष्मण कश्यप मुड़कू राम जोबा, कोण्डागांव, लक्ष्मी साबित डोंगरीपारा, कोण्डागांव, आरती मलिक श्यामला, बोनागांव, कोण्डागांव । आपने और कौन सा ब्लॉक कहा ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में माकड़ी विकासखण्ड का ।

अध्यक्ष महोदय :- इसका कोई औचित्य है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माकड़ी का देखना पड़ेगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य है । इसका औचित्य इसलिए है कि मेरी जानकारी में है कि पिछली सरकार ने वैसे लोगों को भी तालाब दे दिया था, जो पात्र नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप सीधा प्वाइंटेड प्रश्न करिए न ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम इसीलिए पूछा, ताकि हम उसका भी पूरक प्रश्न पूछें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 16 चन्द्रदेव राय ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितनी लागत की तालाब निर्माण की गई है और इसके लिए कौन पात्र है, पात्रता किनको दिया जा सकता है और कितनी लागत की है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, लगभग अनुदान 40 प्रतिशत और पात्रता किसको है, मैं ऐसा समझता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, पात्रता के संबंध में मैं आपको अवगत करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय ।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित आंगन बाड़ी केन्द्र

16. (*क्र. 1629) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 614 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न आया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूँ कि मेरे विधान सभा में
कितने आंगनबाड़ी, जर्जरविहीन एवं कितने भवनविहीन आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। इन भवनों की जानकारी तथा कितने कार्यकर्ता और सहायिका के पद रिक्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक साथ । उसमें जर्जरविहीन क्या है, यह भी मंत्री जी को बता दो ?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- जर्जर भवन जो बरसात के दिनों में पानी टपक रहा हो । टूट-फूट गया हो, कभी भी गिरने की स्थिति में हो, यह जर्जर भवन है । आज भी ऐसे हैं, उनकी जानकारी चाह रहा हूँ ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, जर्जर भवन की जानकारी तो नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या 172 है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग डेढ़ दर्जन ऐसे जर्जर भवन हैं, बिक्रीपाली, कोदवा, बालपुर, पूरे क्षेत्र में ऐसे गांव है, जहां बरसात के दिनों में बच्चे बाहर बैठते हैं । वहां पर दुर्घटना घटित होने की संभावना है । कृपया इसको दिखवकार कब तक नये भवन बनवा देंगे, स्वीकृति कर देंगे, यह आपसे मेरा निवेदन है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप लिस्ट दे दीजिए । आवश्यकता होगी तो जर्जर भवन को शासन द्वारा डिसमेंटल कराकर नया भवन स्वीकृत करा देंगे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- यह रिक्त पदों की भर्ती कब तक हो जायेगी ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया में है । प्रक्रिया पूरी हो जायेगी ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है । माननीय मंत्री जी, जो पिछली भर्ती आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की हुई है, इसमें जनपद द्वारा जो बाल विकास की कमेटी होती है, जिसमें डॉक्टर और डीओ की संयुक्त कमेटी होती है, वह पूरी पारदर्शिता से होती है, जब जनपद सदस्य की सूची मिल जाती है, वह घर-घर गोरखधंधा टाईप पहुंच जाते हैं कि आपकी सूची में है और आपकी हम नियुक्ति करा देंगे । यह पुरानी व्यवस्था क्या नई सरकार में समाप्त करेंगे ? मेरिट पर चयन होता है । आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो । क्योंकि एक लीगल प्रोसेस के तहत भर्ती होती है । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह नियम प्रक्रिया में है और यह कार्यवाही वहीं पर पेंडिंग है । इसमें जनपद सीईओ को बोलकर दिखवा लूंगी कि इस पर कार्यवाही जल्दी हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री आशीष छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो किराये के भवन पर चल रहे हैं या भवनविहीन है । आप इस वित्तीय वर्ष में भवनों की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बेमेतरा से संबंधित नहीं था । श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

<u>ग्राम सकलोर स्थित बांध में सड़क निर्माण से प्रभावित सिंचित रकबा</u>

17. (*क्र. 891) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत सकलोर, पो. हिरमी, सिमगा में स्थित बांध के बीच में अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग, हिरमी को सड़क निर्माण करने हेतु विभाग द्वारा अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो कब एवं किन-किन शर्तों के तहत ? (ख) सड़क निर्माण से पूर्व उक्त बांध से कुल कितने ग्रामों की कितनी भूमि में सिंचाई होती थी तथा सड़क निर्माण पश्चात् कितने ग्रामों की कुल कितनी भूमि में सिंचाई प्रभावित हुई ? (ग) क्या उक्त सड़क निर्माण के विरोध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) ग्राम पंचायत सकलोर, पो.-हिरमी, सिमगा में स्थित बांध इस विभाग के अंतर्गत नहीं आता है. अतः अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग, हिरमी को सड़क निर्माण करने हेतु इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है. (ख) एवं (ग) उपरोक्त प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी शून्य समझी जाये.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि सकलौर ग्राम में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लाण्ट के द्वारा बांध के बीचो-बीच..।

अध्यक्ष महोदय:- जोगी जी, आप पूरक प्रश्न इधर कर रहे हैं कि इस पर कर रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- इस पर पूरक प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न था कि बांध के बीचो-बीच सड़क बना दिया गया था । इसके पहले भी एक क्वेश्चन लगा, जिसके कारण बांध को तुरन्त उखाड़कर फेंक दिया गया । जनभावनाओं को देखते हुये माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने इसमें सहयोग किया । वह सिंचाई का मामला है, उस क्षेत्र के हजारों किसानों की सिंचाई का मामला है, सदन में यह जानकारी दिया जाता है कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या जो गलत जानकारी दे रहे हैं, बांध के जल स्त्रोत को खत्म किया गया है, उसकी जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र चौबे :- एक बार फिर से पूछना ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ग्राम सकलौर में बांध के बीचो-बीच प्लाण्ट के द्वारा सड़क बना दिया गया था । इसके पूर्व मंत्री जी ने पहल करके रोड को उखाड़कर फेंक दिया गया, लेकिन माननीय अकबर जी के पास शिकायत किये थे, बांध के स्त्रोत को खत्म कर दिया गया है । मैं मांग करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करायेंगे क्या कि पूर्व में बिना अनुमति के रोड क्यों बना लिये और गलत जानकारी दिये कि किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हुई जबकि लिखित में सील-ठप्पे के साथ सैकड़ों बार शिकायत हुई लेकिन सदन में अधिकारी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हुई?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, कार्यवाही भी हुई वह खुद स्वीकार कर रहे हैं लेकिन चूंकि आपने सिंचाई विभाग को प्रश्न किया था, ये साईड और ये बांध सिंचाई विभाग के अंतर्गत है ही नहीं इसलिए कुल मिलाकर नहीं उत्तर दिया गया। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि शिकायत की गई उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो माननीय विधायक की शिकायत पर कोई कार्रवाई न हो ऐसा नहीं होगा।

श्री प्रमोद शर्मा :- कार्यवाही हुआ न। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई की इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे से कार्रवाई किए, जबकि अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने की कार्यवाही की गई उसके बाद भी कार्यवाही की गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन में गलत जानकारी देते हैं कि इससे पूर्व कोई शिकायत नहीं हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- अकबर भाई के प्रश्न को आप चौबे जी से पूछ रहे हैं।

श्री प्रमोद शर्मा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दोनों में प्रश्न लगा दिया था।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सब के लिए बहुत ही गंभीर मामला है कि एक सीमेंट कंपनी की इतनी हिम्मत कि वह न तो राज्य शासन से पूछता है, न जिला प्रशासन से पूछता है, न विधायक से और न सांसद से पूछता है और बना हुआ बांध है उसके बीच से सड़क बना देता है और जब उसकी शिकायत होती है और प्रश्न लग जाता है तो उसको तोड़ दिया और जो नुकसान हुआ, वहां पर बांध बना हुआ था, उसका स्रोत खत्म हो गया उसके लिए वह जिम्मेदार है। ये एक सीमेंट कंपनी की करतूत है। ऐसे ही हमारे प्रदेश में ज्यादादर कंपनियां बिना शासन की परवाह किए, बिना जिले के प्रशासन की परवाह किए इस तरह की कार्रवाईयां कर रही हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को एक उदाहरण के रूप में लीजिए। मंत्री आदरणीय श्री अकबर जी ने व्यक्तिगत रूचि लेकर इसमें काम कराया, सड़क तोड़वाई जो कि एक बहुत अच्छी बात हुई पर जिस तरह से सीमेंट कंपनी ने बिना किसी की परवाह किये ये काम किया है ये बहुत गंभीर है। इसे आप एक उदाहरण के रूप में लीजिए और इस सीमेंट कंपनी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करिये और जो जल का स्रोत खत्म हो गया है वह उन्हीं से उन्हीं के खर्च से बनवाईये और विधायक जी जो चाहते हैं इस तरह से बने, वैसा बने।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ये केवल एक सीमेंट कंपनी का नहीं, आपने कहा कि उदाहरण बनना चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल के साथी अकबर भाई ने रूचि भी ली और उस अतिक्रमण को हटाया भी गया। आपने कहा कि इसे उदाहरण मान करके ऐसे सभी जलक्षेत्र जहां इस प्रकार से अगर किसी ने निर्माण कार्य किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। इसमें माननीय सदस्य को विचाराधीन नहीं है, शिकायत नहीं है इसलिए कहा गया क्योंकि आपने सिंचाई विभाग से प्रश्न किया और चूंकि सिंचाई विभाग के मार्फत वह नहीं थी इसलिए उसका उत्तर नहीं में दिया गया। लेकिन चूंकि जलभराव तो था, लोग 25-30 एकड़ में सिंचाई भी करते थे, कैचमेंट को रोका गया, यह तो सच्चाई है, तो इस प्रकार से और कहीं जल क्षेत्र में नहीं होना चाहिए हम जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न। इतने बड़े बांध में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी वाला छत्तीसगढ़ को अपनी जागीरदारी समझ लिया। बांध के अंदर सड़क! यह मैं पहली बार भारत वर्ष में सुना हूं कि बांध के अंदर सड़क बनी हो, मैं पहली बार भारतवर्ष में सुना हूं। बांध के अंदर सड़क बनी हो। उसका माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी ने तोड़ा, जनहित में कड़ा फैसला लिया ठीक है। बहुत अच्छा है उसके लिये बधाई हो। इससे सिंचाई प्रभावित हो गई है और उस बांध के अंदर जब सड़क बन रही थी तो वहां के जिले के अधिकारी जल स्त्रोत की रक्षा करने के लिये, आपने ही तो कहा है नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी। ये सभी उसी में आते हैं, जल स्त्रोत की रक्षा करने में आता है। पूरे प्रदेश में जहां जहां पर बांध हैं, ये उद्योगपति उस पर लालची दृष्टि से नजर लगाये बैठे हैं। उसको लूटने के चक्कर में....।

अध्यक्ष महोदय :- आपका कोई प्रश्न है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि वहां जो सिंचाई की व्यवस्था खत्म हो गई। क्या आप उसको ठीक करायेंगे ? उसका जो कैचवेंट एरिया में पानी आता है उसमें जो व्यवधान पैदा हो गया है, उसको आप ठीक करा करके यथास्थिति पूर्व की भांति करायेंगे क्या ? उसी से कराईये, हमको उससे मतलब नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री प्रमोद जी का प्रश्न है। उनसे सलाह ले करके जो कुछ भी संभव हो किया जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरे जिले का प्रश्न है।

अध्यक्ष जी :- आपके जिले का हो सकता है। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी प्रश्न का सही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया गया है । यदि बांध जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नहीं आता था तो विभाग को प्रश्न से संबधित विभाग को स्थानांतरित कर देना था। नहीं, तो विभाग को संबंधित विभाग से जानकारी लेकर उत्तर देना चाहिए था। ये आपका जो विभाग है, उसको इस मामले में सचेत कर दें। (मेजों की थपथपाहट)

<u>अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बीज विकास निगम में किसानों द्वारा बीजों का उत्पादन</u>

18. (*क्र. 670) श्री सौरभ सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीज विकास निगम द्वारा दिनांक 20-01-2019 की स्थिति में पिछलें 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने किसानों द्वारा कौन-कौन से अनाज, तिलहन और दलहन बीज का उत्पादन किया गया है ? (ख) मात्रा, रकबा एवं कृषक का नाम और ग्राम सहित जानकारी बताएं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विकासखंड अकलतरा एवं बलौदा में वर्ष 2016-17 वर्ष 2017-18 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 दिनांक 20-01-2019 तक में अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के अन्तर्गत धान, गेहूं, चना, मूंग एवं सरसों के बीजों उत्पादन किया गया है. विवरण निम्नानुसार है :—

फसल	कृषक संख्या		
	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (दिनांक 20-01-2019 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)
अनाज	114	96	132
दलहन	2	3	-
तिलहन	2	1	-
योग	118	100	132

फसलवार, विकासखंडवार कृषक संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) बीज मात्रा रकबा, कृषक का नाम एवं ग्राम की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बीज विकास निगम में वर्ष 2018, 2019 में अकलतरा विकासखंड में पंजीकृत कृषकों का जवाब दिया है। उसमें सिर्फ तीन गांव में मधुवा, पीपरसत्ती और अकलतरी में 51 में से 29 कृषक उसी गांव के हैं। एक सौ इक्यासी हेक्टेयर में से इक्यासी हेक्टेयर उन्हीं गांव के कृषकों को किया गया है। उस पूरे विकासखंड में 55 गांव हैं। 55 गांव में आदरणीय अधिकारी द्वारा इन्हीं तीन गांवों के कृषकों को क्यों लाभान्वित किया जा रहा है, अन्य गांव के कृषकों को क्यों नहीं किया जा रहा है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि तीन गांवों के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिन गांवों के किसानों का एप्लीकेशन होगा, सीट प्रोडक्शन का प्रोग्राम लेते होंगे। अगर आपका सुझाव होगा कि इसको विस्तारित करना चाहिए तो निश्चित रूप से उस दिशा में पहल करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हीं तीन गांव के कृषकों ने जो बीज इस वर्ष बीज विकास निगम को दिया है, इसके पिछले साल भी इन्हीं का रजिस्ट्रेशन था। कृपापूर्वक इनकी जांच कर लें। मैं जिम्मेदारी के साथ इस चीज को बोल रहा हूं कि इन तीन गांव के जो कृषक हैं, इन लोग खेती नहीं करते, इनके बीज को मंडी से खरीदकर किसी बिचौलिये द्वारा दिया जाता है। कृपापूर्वक इसी गांव के तीन किसानों की जांच कर लें और इनकी बीज की गुणवत्ता क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अगर सदन में कह रहे हैं कि किसानों ने सीट प्रोडक्शन का प्रोग्राम नहीं लिया और खरीद करके सीट सप्लाई किया गया। मैं विभाग के सबसे ऊंचे अधिकारी जिस लेवल से आप कहेंगे, डायरेक्टर लेवल से आपकी उपस्थिति में जांच करने का आदेश करूंगा और अगर ऐसा पाया गया तो जिन अधिकारियों ने ऐसा काम किया है, उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री केशव चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज उत्पादन से छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी बीज निगम जो बीज लेता है उसमें 200 रूपये की प्रोत्साहन राशि मंडी ने बंद कर दिया है और अगर बंद किये हैं तो ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, उसको बंद नहीं किये हैं, उसको जारी करेंगे।

<u>कृषि उपकरणों के अनुदान हेतु आबंटित राशि</u>

19. (*क्र. 1744) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में जनवरी, 19 तक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किस-किस जिले में कृषि उपकरणों के अनुदान के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" के उत्तर में वर्णित प्राप्त राशि में कितने-कितने किसानों को कौन-कौन से "उपकरण हेतु प्रदाय कर्ता एजेन्सीज" को उनके खातों में कितनी अनुदान राशि को जमा किया गया ? विकासखण्डवार उपकरणों की कीमत एवं की गई भुगतान का विवरण सहित जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में जनवरी 19 तक कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान हेतु प्रदाय राशि का जिलेवार, वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट-अ** पर है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित वर्षों में कृषि, उद्यानिकी एवं बीज निगम (चैम्प्स प्रणाली) द्वारा कृषकों को प्रदायित विभिन्न कृषि यंत्र/उपकरण एवं प्रदायक संस्था को प्रदाय की गई अनुदान राशि का जिलेवार, विकासखंडवार, वर्षवार, यंत्र/उपकरणवार विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट-ब, स एवं द** पर है।

श्री धनेन्द साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रायपुर संभाग के रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों में जो कृषि उपकरण हैं, ट्रैक्टर, पावर टीलर, थ्रेसर, रोटावेटर, सीव ड्रिल, केजविल, आदि की जो खरीदी और अनुदान किसानों को जो हुआ है। उसके संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी और उन्होंने पूरी जानकारी भी प्रदान की है। मैं इनमें ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो करोड़ों रूपये की खरीदी है और जो अनुदान दी गई है। ये जो खरीदी है वह नियमानुसार बीज विकास निगम के द्वारा होना चाहिए था। ये बीज विकास निगम के द्वारा न किया जा करके एजेंसियों के माध्यम से किया गया है। इन एजेंसियों की नियुक्ति किनके द्वारा की गई, खरीदी किनके द्वारा की गई, साथ ही दरों का निर्धारण किनके द्वारा किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत विस्तृत है। पूरे जिलों का है और खरीदी की प्रक्रिया के बारे में है। बीज निगम हमारी नोडल एजेंसी है। अब उसका माध्यम बनाते हैं और उसके माध्यम से ही सारी खरीदी होती है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। विस्तृत प्रश्न है। वे आपको विस्तृत उत्तर भिजवा देंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। अब मैं संक्षिप्त प्रश्न कर लेता हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा चौड़ा प्रश्न कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आप विस्तृत प्रश्न ही रखिये। आप विस्तृत जानकारी उनसे मांग लीजिए, वे दे देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना था कि बीज विकास निगम के द्वारा निविदा नहीं बुलायी गई है। उन्होंने खरीदी नहीं की है। उप संचालक के द्वारा जिनको मर्जी आये, उन एजेंसियों को ये आर्डर कर दिया है, इसकी पूरी जांच करा देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप भी तैयार रहें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और हम पिछले प्रश्नों में पिछले विधान सभा के दिवस में भी यहां इन सारे प्रकरणों की जांच की बात कही है और हम लोग इसमें प्रक्रिया को सुधारने भी जा रहे हैं, लेकिन माननीय धनेन्द्र भईया का ये उत्तर लगभग डेढ़ किलो है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहुंचा भी दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इतना सारा पढ़ना बड़ा कठिन काम है। एक तो आप सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत कठिन प्रश्न कर देते हैं, लेकिन विभाग सचेत भी है। खरीदी किस तरीके से सुचारू हो, सुव्यवस्थित हो, किसानों को ठीक सामग्री मिले, मैं आपका भी इसमें कोई और सुझाव होगा तो आमंत्रित करता हूँ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आपके द्वारा वह चीज पूरी नियंत्रित हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप वह डेढ़ किलो का उत्तर मांग लीजिए।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो खरीदी हुई है, पिछली जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जांच करा दें ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। कम समय बचा है, आप सीधा उत्तर ही पूछें।

<u>प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार का वितरण</u>

20. (*क्र. 1754) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आंगन-बाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार का वितरण किया जाता है ? (ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने समूहों द्वारा वितरण किया जा रहा है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जी हां. (ख) प्रदेश में वर्तमान में 19908 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही कर लेता हूँ। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आंगन-बाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट सप्लाई की जाती है ये जो सामग्री प्रदाय करने वाले समूह हैं, उन समूहों को भुगतान कितने दिनों के अंदर किया जाना चाहिए?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी पोषण आहार समूहों को भुगतान में थोड़ा विलंब हो जाता है...।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये, मैं आपसे दो प्रश्न कर लेता हूँ फिर आप जवाब दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :-आप दोनों मुस्कुरा के पूछ भी रहे हैं और जवाब भी मुस्कुरा के दे रहे हैं? बात क्या है?

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ये पूछा कि नियमत: उसमें कितने दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए?

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही हूँ। एक महीने के अंदर भुगतान होना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसमें कितने लोगों का भुगतान जो समूह का है, अभी तक नहीं हुआ है? और समूहों को भुगतान नहीं हुआ है तो उसके लिए जवाबदार कौन है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो समूह भटक रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। महिलाओं के संदर्भ में ही मैंने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप इधर देखिए।

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका भुगतान एक महीने के अंदर कर लिया जाता है अगर कहीं समूहों का भुगतान बचा होगा तो मैं दिखवाकर, अतिशीघ्र भुगतान करवा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप धन्यवाद दे दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, समूहों का भुगतान तो बहुत सारा बचा हुआ है, मेरी जानकारी में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जानबूझकर जो लटकाए हुए हैं, समूहों का भुगतान लंबित रखे हैं और परेशान कर रहे हैं तो इसके बाद भी यदि वे भुगतान नहीं करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परीक्षण करवा लूंगी। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो मैं अतिशीघ्र भुगतान करवा दूंगी। अगर कोई कारण होगा तो उसमें भी हम उनकी जांच करवा देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इसकी जो समय-समय पर सैम्पलिंग जांच कराते हैं तो ऐसे कितने सैम्पल जांच के लिए भेजे गए हैं और जो जांच के रिपोर्ट क्या आये हैं? और रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या कार्रवाई किये हैं?

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 हजार, 454 नमूना हम लोगों ने प्रेषित किये और रिपोर्ट आयी 16 हजार 299, सफल नमूना 16 हजार, 225, असफल नमूना 74 और इसके खिलाफ...।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, कितने नमूने फेल हुए हैं?

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 74।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या कार्रवाई किये हैं?

श्रीमती अनिला भेडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नमूने फेल होते हैं तो उसमें उनसे समानुपातिक राशि काट ली जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी आप प्रश्न पूछेंगे।

<u>भाटापारा तहसील के ग्राम पंचायतों के किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा का लंबित भुगतान</u>

21. (*क्र. 1631) श्री शिवरतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा तहसील की कितनी ग्राम पंचायतों के किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा का भुगतान लंबित है ? (ख) यदि हां, तो फसल बीमा का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम रबी 2017-18 हेतु भाटापारा तहसील के बीमित कृषकों में से 07 ग्राम पंचायतों के 38 किसानों का दावा भुगतान लंबित है. (ख) लंबित दावा भुगतान माह फरवरी 2019 अंत तक किया जाना संभावित है.

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है। एक मिनट। माननीय मंत्री जी आपने जो उत्तर दिया है क्या उसमें कोई ऐसी ग्राम पंचायत शेष है, जिसमें की शतप्रतिशत किसानों के बीमा का भुगतान बाकी है। आप बता दें?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप प्रश्न दोहरा दें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखती हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर चित्रकोट के पास की घटना है, वहां पर इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है और 4-5 लोग घायल हैं जिनको असपताल में भर्ती किया गया है। वहां के आस-पास के पूरे मकान क्रेक हो गये हैं और रोज आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं जिससे पूरी बस्ती में दहशत का वातावरण बना हुआ है। इस दहशत के वातावरण में जिस प्रकार से घटनायें घट रहीं हैं, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। इसमें हमने ध्यानाकर्षण दिया है, इस ध्यानाकर्षण को स्वीकार करेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपका ध्यानाकर्षण आज ही प्राप्त हुआ है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मरवाही विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा का भुगतान बहुत लंबे अर्से से लंबित है। मैंने शून्यकाल की सूचना दी हुई है और ये अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित विभाग को निर्देश दें कि कम से कम आगामी एक माह में जो 6-6 महीने, 8-8 महीने से मनरेगा का पेमेन्ट लंबित है, उसको अभियान चलाकर भुगतान करें। मजदूरों ने काम किया है। वह रोज कमाने, रोज खाने वाले मजदूर है, उनको 6-6 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। वह बहुत ज्यादा कष्ट में हैं और मेरे ख्याल से कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। कृपया निर्देश दें कि मनरेगा का भुगतान शीघ्र हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में ऑक्सीजोन है, डेढ़ साल पहले वहां आकर अचानक से 75 दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गईं और वह दुकानदार डेढ़ साल से भटक रहे हैं। उसमें छोटे-छोटे दुकानदार थे, गरीब-गरीब लोग थे। इस पर मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है, मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार कर लेंगे तो इस पर चर्चा हो जायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में पॉलीटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और अन्य कालेजों में संविदा नियुक्ति में प्रोफेसर, कर्मचारी कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने 07-12-2018 को निर्देश दिया है कि ऐसे लोग जो कार्यरत हैं कि इनको 3 माह के अंदर नियमित किया जाये। सरकार के जनघोषणा पत्र में भी था कि संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, पर जो 3 महीने की समय-सीमा थी, वह समय-सीमा समाप्त हो गई। सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और हजारों संविदा कर्मी भटक रहे हैं, इस पर हमारा ध्यानाकर्षण है और शून्यकाल की सूचना दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, मैं देख लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में चित्रकोट बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसको हिन्दुस्तान का नियाग्रा कहा जाता है, एशिया का सबसे चौड़ा है। देउर मंदिर बहुत आस्था का केन्द्र है, लाखों लोगों की भीड़ प्रतिदिन दर्शन के लिए जाती है। 24 फरवरी को वहां 3 लोग मर जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं और आज तक उसमें कोई कार्यवाहीं नहीं होती। वह नक्सल की घटना है, लैण्डमाईन की घटना है, किसी के आक्रमण की घटना है, मंदिर को उड़ाने का षडयंत्र है, आस्था के केन्द्र को खत्म करने का षडयंत्र है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रभावित करने का षडयंत्र है? इस दृष्टि से यह बहुत बड़ी घटना है और अपने तरह की मैदानी क्षेत्र में, जगदलपुर से लगे क्षेत्र में पहली बार इस तरह की घटना हुई। इसलिए आपसे आग्रह है कि सारे काम रोककर इसमें तत्काल चर्चा करवाई जाये।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ वैसे ही नक्सलवाद से कराह रहा है । इस तरह की घटना जो चित्रकूट पर्यटन केंद्र है जहां पूरे प्रदेश के नागरिक जाते हैं । एक बालक की मृत्यु हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हम लोगों ने उस पर ध्यानाकर्षण दिया है, स्थगन दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय नारायण चंदेल जी जानबूझकर जोर-जोर से बोल रहे हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- क्या कोई है ?

श्री अजय चंद्राकर :- है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको स्वीकार करके चर्चा कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल । श्री देवव्रत सिंह ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:06 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में जो साल्हेवारा क्षेत्र खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, वहां 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं । जिसमें कि साल्हेवारा और बकरकट्टा दोनों ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां से निकटस्थ केंद्र जहां पोस्टमॉर्टम हो सकता है वह 70 किलोमीटर है तो वहां के लगभग 80 से ऊपर गांव के लोगों की मृत्यु होने के बाद में पोस्टमॉर्टम करने के लिये 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 80 किलोमीटर से वापिस लाश को लाना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण दिया है कि बकरकट्टा-साल्हेवारा क्षेत्र में एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए और जब तक यह नियुक्ति नहीं होती तब तक राज्य शासन कम से कम एक शव वाहन की व्यवस्था करे । इतना दुर्भाग्यजनक है कि जब पोस्टमॉर्टम की जरूरत पड़ती है, पुलिस थाना वाले पोस्टमॉर्टम के लिये कहते हैं तो पोस्टमॉर्टम करने के लिये कोई एम.बी.बी.एस. डॉक्टर नहीं होने के कारण 70 से 80 गांव के लोगों को 50 किलोमीटर लाश को लेकर जाना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है कृपया इसको ग्राह्य करने की कृपा करेंगे ।

सभापति महोदय :- अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय अजय चंद्राकर जी ।

समय :
12:07 बजे **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

(1) <u>प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त न होना</u> ।

सर्वश्री अजय चंद्राकर (कुरूद), श्री शिवरतन शर्मा, श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत् 2 हैक्टेयर या इससे कम भूमि धारक किसानों को 3 किश्तों में 6000 रूपये प्रतिवर्ष मिलना है । छत्तीसगढ़ में लगभग 47 लाख कृषक परिवार हैं, उक्त कृषक परिवारों में अधिकतर परिवार दो हैक्टेयर के छोटे किसान हैं । भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को पात्रता रखने वाले किसानों की सूची, मुखिया का नाम, हिन्दी व अंग्रेजी में मुखिया का आधार नम्बर, जेन्डर, वर्ग, बैंक खाता नम्बर, जन्म तिथि, परिवार की कुल धारित भूमि व परिवार के पते के साथ भारत सरकार के पोर्टल में अपलोड कराने के लिये दिशा-निर्देश जारी किया गया है । शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है किंतु राज्य सरकार के अधिकारी इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना के प्रति उदासीन हैं । प्रदेश की सरकार राजनीतिक लाभ लेने हेतु इस योजना के क्रियान्वयन को प्रदेश में रोक रही है । छत्तीसढ़ में इस योजना का लाभ लगभग 25 लाख किसानों को मिलना है । सरकार के इस रवैये के कारण प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसान परिवार को 6000 रूपये वार्षिक सम्मान निधि तीन समान किश्तों में दिए जाने का प्रावधान है । योजना अंतर्गत परिवार के अंतर्गत पति, पत्नि एवं उनके नाबालिग बच्चे को सम्मिलित किया गया है तथा ऐसे परिवार जिनके द्वारा 2 हैक्टेयर तक की भूमि धारित की जाती है को लधु एवं सीमांत किसान परिवार माना गया है । भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01.02.2019 के अनुसार योजना का लाभ परिवारवार दिया जाना है, साथ ही साथ योजनांतर्गत अपवर्जन श्रेणी भी निर्धारित की गई है । यदि किसी लघु एवं सीमांत कृषक परिवार का एक या एक से अधिक सदस्य अपवर्जन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो योजनांतर्गत उस परिवार को पात्रता नहीं होगी । योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार के संबंध में परिवार के मुखिया का नाम, लिंग , वर्ग, आधार नंबर/पहचान पत्र क्रमांक एवं बैंक खाते का विवरण इत्यादि भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल में अपलोड किया जाना है । साथ ही साथ प्रत्येक लाभार्थी परिवार से योजना अंतर्गत पात्रता संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही संबंधित परिवार की जानकारी पीएम किसान पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है ।

2. राजस्व अभिलेख में भूमि का विवरण खसरा नंबरवार या भूमिस्वामीवार एवं धारणाधिकार वार तैयार किया जाता है न कि परिवारवार । योजनाअंतर्गत पीएम किसान पोर्टल में परिवारवार जानकारी अपलोड किया जाना है योजना अंतर्गत यदि किसी एक परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि धारित की जाती है तो परिवार के संपूर्ण सदस्यों के द्वारा धारित भूमि की जानकारी प्राप्त कर उसकी पात्रता निर्धारित कर योजना अंतर्गत लाभांवित परिवार की सूची तैयार करने तथा तैयार सूची पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश हैं

3. राज्य सरकार के द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग नामांकित करने के उपरांत राजस्व विभाग द्वारा ऐसे खातेदारों की सूची जिनके द्वारा दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम भूमि धारित की जाती है, तैयार कर प्रत्येक हल्का पटवारी को उनके भूईयां के लॉगिन आईडी पर प्रेषित की गई है तथा समस्त जिले के जिला नोडल अधिकारी को वीडिया कांफ्रेंस के माध्यम से योजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी एवं योजना से संबंधित दिशा-निर्देश की प्रति सभी जिला कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है । प्रत्येक परिवार की जानकारी प्रविष्ट करने के लिए एनआईसी के माध्यम से तैयार कराये गये सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया । योजना की प्रगति के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है तथा जिला स्तर पर हो रही कठिनाइयों एवं संदेह का निराकरण सतत् रूप से किया जा रहा है । प्रत्येक परिवार की जानकारी प्रविष्ट करने के लिए एनआईसी के माध्यम से तैयार कराये गये सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया । योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि की जानकारी संकलित करने तथा परिवार के द्वारा अपवर्जन श्रेणी में नहीं आने बाबत् स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पीएम किसान पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है । दिनांक 25.02.2019 को सायं 5.00 बजे तक 2,14,041 किसान परिवार के संबंध में जानकारी पीएम किसान पोर्टल में अपलोड की जा चुकी है । उक्त किसान परिवारों के विरूद्ध दिनांक 25.02.2019 को सायं 5.00 बजे तक भारत सरकार के द्वारा केवल 80 किसान परिवारों के लिए टोकन के रूप में सम्मान निधि जारी की गई है तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली नवीन परिवारों की सूची पीएम किसान पोर्टल में प्रतिदिन अपलोड करने की व्यवस्था की गई है । अत: स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही तत्परता से कार्यवाही की गई है तथा योजना के क्रियान्वयन की निरन्तर समीक्षा की जाकर सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अत: राज्य सरकार के द्वारा योजना क्रियान्वयन को लेकर राज्य के किसानों में कोई रोष व्याप्त नहीं है ।

समय :
12:13 बजे

(अध्यक्ष महोदय (श्री चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के प्रश्न करूंगा, आपका थोड़ा सा संरक्षण चाहिए । यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए राज्य सरकार ने अपलोड करने के लिए क्या-क्या कार्यक्रम, किस-किस तिथि के लिए जारी की है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, दिनांक 01.02.2019 भारत सरकार कृषि मंत्रालय से योजना की जानकारी कृषि विभाग को प्राप्त हुई । दिनांक 05.02.2019 को भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना के संबंध में वीडियो कांफ्रेस दिनांक 14.02.2019, राजस्व विभाग को नोडल विभाग नामांकित, दिनांक 15.02.2019 विभाग द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किये गये, दिनांक 15.02.2019 को जिले के नोडल अधिकारियों का वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से योजना की जानकारी दी गई । दिनांक 15.02.2019 को दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि के भूमि स्वामियों की सूची समस्त पटवारियों को उपलब्ध करवाई गई । किसानों की सहायता के लिए स्व-घोषणा पत्र का प्रारूप सभी पटवारियों, ग्राम तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया । दिनांक 20.02.2019 वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला नोडल अधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पीएम किसान पोर्टल में प्रविष्टि हेतु एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कर हितग्राहियों का डाटा अपलोड किया गया और वर्तमान में 20 फरवरी तक 30 हजार, 23 फरवरी तक 1 लाख, 86 हजार से अधिक और 25 फरवरी तक 2 लाख 14 हजार से अधिक, 27 फरवरी तक 3 लाख, 61 हजार से अधिक किसानों का डाटा अपलोड हुआ । दिनांक 27.02.2019 को पोर्टल में कुल 3 लाख 61 हजार 661 प्रविष्टियां दर्ज की गईं । इस प्रकार प्रतिदिन 60 हजार से अधिक हितग्राहियों का डाटा अपलोड किया गया है । भारत सरकार द्वारा केवल टोकन स्वरूप 80 हितग्राहियों के लिए एसटीओ राशि हस्तांतरित आदेश जारी किये गये हैं । वास्तविक हस्तांतरण 36 लोगों को अभी तक हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कार्यक्रम कौन-कौन सी तारीख उसका विस्तार से जो आपने दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण दिये और भारत सरकार ने जो मापदण्ड तय किये। आपने ध्यानाकर्षण के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि अपवर्जन की जो श्रेणी निर्धारित की गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितने किसान हैं जो प्रधानमंत्री योजना के लिए पात्र पाये गये और उसको कब तक सेन्ट्रल पोर्टल किसान पोर्टल में अपलोड कर लिया जायेगा जब आपने कार्यक्रम जारी किया है तो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि लगातार लगभग 60 हजार पर-डे किया जा रहा है और हम लोग जितने भी टोटल किसान हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपलोड करने में लगे हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह जल्दी से जल्दी शब्द में ही पेंच है असली बात। किन चीजों से है, यह हाउस में कहने का विषय नहीं हे। एक प्रदेश ऐसा है जहां एक दिन में एक करोड़ अपलोड होते हैं और एक दिन में एक करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित हो जाती है। मैंने यह पूछा है कि आप जल्दी से जल्दी करेंगे, देरी से देरी करेंगे, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में कितने लोग पात्र हैं और कितने दिन में आप कर लेंगे, पहले मुझे यह जानना है कि आपने प्रशिक्षण, आपने सब चीज किया। नोडल विभाग तय किया, उसके बाद कितने लोग हैं जो किसान सम्मान निधि के योग्य हैं और उसमें से उसका शत-प्रतिशत जो किसान पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उसमें एंट्री हो जायेगी, यह दूसरा विषय है। आपने कितने लोग तय किये हैं, यह बताइए। छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं? अपवर्जन सूची के बाद।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लघु व सीमांत कृषक का जो क्रियान्वयन करने में जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, व्यावहारिक समस्याएं तो साहब। इतना बड़ा अमला है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अमला है। राजस्व विभाग कोटवार तक, जमीन तक है। सरकार परेशानी गिनाएगी, इसके लिए सदन नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार हम भी रहते थे तो परेशानी नहीं गिनाते थे कि इस परेशानी के कारण क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न बहुत पाइण्टेड है कि जिस दिन से योजना 19 जनवरी से लागू हुई, आज तक आपने जितनी कार्यवाही की, उसमें कितने किसान हैं जो किसान सम्मान निधि के लिए पात्र हैं। एक लाइन का प्रश्न है। मैंने परेशानी नहीं पूछी कि देरी के कारण आपको क्या-क्या परेशानी हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं उसकी भी जानकारी दे रहा हूं। अभी तक आज दिनांक तक 28/02/2019 तक 3 लाख 90 हजार 738 लोगों का पंजीयन हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अपलोड को बता रहे हैं। मैं अपलोड नहीं पूछ रहा हूं। मैं किसी चीज से असहमत नहीं हूं। मूल बात यह है कि इतने दिन में जिस दिन से योजना लागू हुई। जिस दिन से राजस्व विभाग नोडल विभाग बना। हमने अनुमान लिखा है कि 47 लाख लगभग हो सकता है, हम तो सरकार में नहीं हैं। तो कितने किसान हैं जो पात्र हैं। पहले तो यह है, उसके बाद मैं अपलोड के बारे में पूछूंगा। कितने किसान पात्र हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपलोड करने में जो परेशानियां आ रही हैं, जो केन्द्र सरकार ने जो ये योजना बनाई है, इसमें जो व्यावहारिक समस्याएं हैं । छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं कि एक ही कारण से उसका अपलोड करने में एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उसी प्रकार का दूसरे का अपलोड कर लिया जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो योजना है उसमें जो प्रोब्लेम आ रही है, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं और परिवार द्वारा स्व-घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद ही..।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सब ध्यानाकर्षण में लिखा है। मैं उस जानकारी से, स्व-घोषणा पत्र सारी चीजों से सहमत हूं। दूसरे जो राज्य हैं। हिन्दुस्तान में 4-5 राज्य हैं, जिसमें उसी सॉफ्टवेयर में केन्द्र सरकार ने पूरे देश के लिए लागू किया है। बाकी 5 राज्यों को छोड़कर सब जगह सही चल रही है। छत्तीसगढ़ में परेशानी आ रही है। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है। जयसिंह जी ध्यानाकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारी बहस में जो सबसे अचछी बात यह हो रही है कि हम आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। तथ्यात्मक बात हो रही है और मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप बताएंगे कि इतने नोडल एजेंसी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बनने के बाद, आपके जांच-पड़ताल, आपके मापदण्डों में छत्तीसगढ़ में कितने किसान हैं जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तो पात्र हुए, उसके बाद फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 2015-16 की जनगणना अनुसार लगभग 30 लाख..।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2015-16 में जनगणना हुई नहीं है। कौन से जनगणना का आधार है?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- मैं कृषि के हिसाब से बता रहा हूँ। 2015-16 के हिसाब 30 लाख खातेदार लघु सीमान्त कृषक हैं। दूसरा, मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार के द्वारा स्व घोषणा-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अंतिम आकड़ें आयेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले पूछा था कार्यक्रम, उसके बाद पूछा था कि कितने पात्र हुए ? स्वघोषणा-पत्र कब तक भरेंगे ? इस कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित थी। मूल प्रश्न यही है कि उस समय तक जानबूझकर पालन नहीं करवाया जा रहा है तथा राजस्व अमले को इस काम से हटाकर दूसरे-दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। ध्यानाकर्षण या स्थगन का मुख्य विषय यही है। आप यह बतायें कि आपने स्वघोषणा-पत्र को भरने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की है ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 03 लाख 90 हजार अपलोड हो चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई साहब ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सुन लीजिये। 03 लाख 90 हजार अपलोड हो चुके हैं और प्रतिदिन लगातार 60 हजार अपलोड हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसको पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं उससे सहमत हूँ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- एक मिनट सुन लीजिये। मैं आपको बताऊंगा। हम लोग किसी भी व्यक्ति को स्वघोषणा-पत्र के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह पूछ ही नहीं रहा हूँ। आपने जो कार्यक्रम की घोषणा की। आप इसी हाऊस में पढ़े हैं कि स्वघोषणा-पत्र को किसानों को कब तक भरना है, वह भरने में राजस्व विभाग मदद करेगा। आपने स्वघोषणा-पत्र को भरने के लिए अंतिम तिथि कब तक निर्धारित की है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक एक ही प्रश्न किया है। उन्होंने घोषणा-पत्र बताया तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि घोषणा-पत्र कब तक भरेंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। आप पहले सुन लीजिये। जो मुख्य समस्या है वह यह है कि कृषकों में जो जिज्ञासा होनी चाहिए, आप इस चीज को बोल रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने योजना बनाई। आप आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोला कि राजनीति..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी नहीं बोला हूँ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- आपने पहले बोला है। अगर राजनीति करने के लिए उस नाम से इसको अपलोड करने से रोका गया होता तो आप पहले यह बता दीजिये कि अभी तक टोटल 36 किसानों को राशि हस्तान्तरित की क्यों की गई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर नहीं है। यह उद्‌भुत नहीं हो रहा है। यह प्रश्न नहीं है। हमारा जो प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं तो दे दीजिये नहीं तो मत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सुझाव दे दीजिये। विभाग को कोई कठिनाई हो रही है तो सुझाव दे सकते हैं।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने टोटल संख्या 30 लाख बता दिया।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ज्ञानी हैं। प्रश्न उद्‌भुत नहीं होता है तो जवाब दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको सुझाव दे दीजिये, वे वैसा संशोधन कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न मैंने आरोप लगाया, न मैंने कोई बात कही। मैंने जो प्रश्न किया, वह प्रक्रियाजनक की है। मैं आरोप की जगह सुझाव यह दूंगा कि आप 2 मार्च के पहले, जब बाकी प्रदेशों ने कर लिया तो आप यह बता दीजिये कि अभी तक कितने लोगों ने स्वघोषणा-पत्र भरा है ? आप उसको 2 मार्च तक अपलोड करवा देंगे क्या, यह बताईये ? चलिये इतना बता दीजिये। अभी तक कितने स्वघोषणा-पत्र भरे गये हैं और 2 मार्च तक सबको अपलोड करवा देंगे क्या ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये। 2 मार्च तक संभव नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लगभग 60 हजार प्रतिदिन हो रहे हैं। 2 मार्च तक इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- जय सिंह जी, देखिये, 03 लाख 60 हजार अपलोड हो गये हैं। 60 को मिले, 36 को नहीं मिले, आप इस लाईन में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे उसके पूर्व की स्थिति पर बात कर रहा हूँ। आपने पहले कहा कि कुल को नहीं बता सकते, आपने नहीं बताया। मैंने स्वघोषणा-पत्र भरने की तारीख पूछी, आपने नहीं बताया। फिर मैंने आपसे यह पूछा कि अब तक कितने घोषणा-पत्र भरे जा चुके हैं, तब आप बताते हैं कि अपलोड हो रहा है। आप मुझे किसी एक चीज का तो उत्तर दे दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक भी उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप शर्मा जी को पूछने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकाध उत्तर तो दिलवा दीजिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को सम्मान निधि मिलने से आप लोगों का बेड़ा पार होने वाला नहीं है।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जिस प्रकार से राशि का हस्तान्तरण नहीं हो रहा है तो कृषकों को रूचि नहीं है और 2 मार्च तक संभव नहीं है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान तहसील आफिस जा रहे हैं, पटवारी उनका फार्म नहीं भर रहे हैं। ये जानबूझकर उसको लंबित कर रहे हैं और आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों की इतनी चिंता है तो केन्द्र सरकार को बोले कि पैसा हस्तान्तरित करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वयं सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि रोज 60 हजार नाम अपलोड किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसानों की रूचि नहीं है । ये उत्तर में विरोधाभाष है कि नहीं, ये पहली बात ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी, चन्द्राकर जी ने कहा कि 2 मार्च को कर देंगे क्या ? मैंने बता दिया कि दो मार्च तक संभव नहीं है, मैंने उसका कारण बताया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो प्रश्न नहीं पूछा, आपने उसको बताया ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सारी चीजों का उत्तर दे रहे हैं। अगर किसानों के इतने हितैषी होते तो निर्देशों का सरलीकरण हो जाता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर का दूसरा विरोधाभाष आपके सामने रखता हूं । मंत्री जी ने कहा कि 3 लाख, 61 हजार लोगों का नाम अपलोड हुआ और 36 लोगों को राशि मिली और आपने ही उत्तर में राशि मिलने वालों की संख्या 80 लिखी ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी वही चीज बतायी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका लिखित उत्तर अलग है, सदन में मौखिक रूप से आप अलग बोल रहे हैं । अभी आपने सदन में 36 कहा और लिखित उत्तर में 80 लिखा है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी ने तो आरोप नहीं लगाया,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार इस योजना को लागू करने में इसलिए देर कर रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले किसानों का लाभ न मिल पाये । इसलिए सरकार इस काम को देर कर रही है।..(व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, इससे क्या होने वाला है ?

श्री अमरजीत भगत :- ये जो प्रश्न है...

श्री अजय चन्द्राकर :- शेडो मिनिस्टर, आप बैठ जाईए।

श्री अमरजीत भगत :- आप कहेंगे तो बैठ जाता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय :- आप आरोप भी लगा रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, एक मिनट ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपकी बात मानकर बैठ जाता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में चन्द्राकर जी को कहा कि 15-16 के हिसाब से लगभग 30 लाख लघु एवं सीमांत किसान हैं, वहीं जो लिखित उत्तर आया है, उस लिखित उत्तर में ये है कि राजस्व अभिलेख में भूमि का विवरण खसरा नम्बरवार या भूमि स्वामीवार एवं धारणाधिकारवार तैयार किया जाता है । साथ ही प्रत्येक लाभार्थी परिवार से योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही परिवार की जानकारी पी.एम. किसान पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है । माननीय मंत्री जी, आपके पास पूरा डाटा है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं । आपको खाली अपने को समय-सीमा का निर्धारण करके लगाना है कि ये फार्म भरवा लें । दो ग्राम पंचायत के पीछे एक पटवारी हलका है और एक पटवारी हलके को आप देते हो, एक हजार से ऊपर किसान उसकी श्रेणी में नहीं आयेगा । क्या चार दिन में ये काम पूरा नहीं कराया जा सकता ? आपको कोई समय-सीमा का निर्धारण करके राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि जो शर्मा जी ने कहा कि हमने 80 लोगों के लिखित उत्तर में दिया, मैं भी ये बोल रहा हूं । 80 लोगों के लिए एस.टी.ओ. जारी हुआ, जिसमें सिर्फ 36 लोगों की राशि हस्तांतरित हुई है । आप उस चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं । 80 लोगों में सिर्फ 36 लोगों को मिला है । 3 लाख, 90 हजार लोगों का नाम अपलोड हो चुका है, उसमें से सिर्फ 36 लोगों को मिला है तो इसलिए किसान रूचि नहीं ले रहे होंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है कि केवल 80 किसानों को सम्मान निधि जारी की गई और आप 36 बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एसटीओ जारी हुआ, लेकिन हस्तांतरण सिर्फ 36 लोगों को हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेशिफिक प्रश्न किया है कि आपके पास लघु और सीमांत किसानों का सारा डॉटा है, आप कोई समय-सीमा का निर्धारण करेंगे क्या कि इतने दिनों में सब कुछ पोर्टल में अपलोड करा देंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, ठीक है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो टोटल राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना बनाएं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया ।

श्री दीपक बैज :- ये 15 साल तक किसानों को नहीं दिये हैं और चुनाव में लाभ लेना चाह रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना बनाये हैं और अगर भारत सरकार वास्तव में किसानों के लिए काम कर रही है तो उसको पहले करना चाहिए । ये तो केवल ऊंगली कटाकर शहीद में नाम लिखा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, बैठिए ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, स्पेशिफिक प्रश्न का स्पेशिफिक उत्तर आना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेशिफिक प्रश्न का भी उत्तर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना बनाएं हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है कि आप कोई समय-सीमा का निर्धारण करेंगे क्या ? ये बता दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- इसमें से मंत्री कौन हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा किस आधार पर बताउं, आप ही बताईए । राजस्व विभाग के पास जो जानकारी है, वह..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पोर्टल में अपलोड करने के लिए कोई समय-सीमा का निर्धारण करेंगे क्या और कितने दिनों के अंदर सबका फार्म भरा दिया जायेगा और पोर्टल में अपलोड कर दिया जायेगा। मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन लोगों ने स्थगन दिया था, उसको हमने ध्यानाकर्षण में स्वीकार किया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है । जितनी जल्दी हो सके, आप विभाग से उसका कार्य कराएं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम इसमें जल्दी से जल्दी कराएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- धन्यवाद है, अध्यक्ष महोदय ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हॅू कि आपने इसे लिया और मंत्री जी को आदेशित किया । अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह 100 प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट एडेड योजना है । राज्य सरकार को एक रूपये की राशि देने की आवश्यकता नहीं है और एक वर्ष के लिए नहीं है । यह राशि प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में जाना है । इसलिए राज्य सरकार में मंत्री जी को कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री जी को यह भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि राशि मिलेगी तो वोट इधर देंगे या उधर देंगे । इसको टोटल राजनीतिक व्यूह से इसको देख रहे हैं । इसके कारण ही मैं बोल रहा हॅू..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी, अगर भारत सरकार की मंशा साफ थी तो चुनावी साल में इसको क्यों लाये ? आप इसे पहले क्यों नहीं लाये ? (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय नेता जी, अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था के बाद यह बात की जा रही है । इतने ज्ञानी जो हैं, क्यों बोल रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- व्यवस्था आ गई है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- (व्यवधान) शिवरतन जी ने बताया कि एक पटवारी हल्का नंबर दो गांव...(व्यवधान) एक हजार किसान का किया जाना संभव है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हॅू कि क्या पांच मार्च तक प्रदेश के ऐसे जो पात्र किसान है, उस पोर्टल सम्मान निधि में सब को अपलोड करा देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था करा दी है कि वह जल्दी से जल्दी इस काम को करायें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- कोई समयसीमा आ जाये । व्यवधान आपका निर्देश आ गया । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आ गई है, उसके बाद बार-बार...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, आप भी बैठिये ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक तो इसमें समयसीमा तय हो जाये । दूसरा, प्रत्येक तहसील कार्यालय में आप कोई सिंगल विंडो के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली ....। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था देने के बाद इस पर बोल रहे हैं..। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, नियम एवं शर्तें इतना कठिन है, नाम में एकरूपता होनी चाहिये ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वोट बटोरने के लिए लाया गया है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको जवाब देने के लायक नहीं समझा है । इसलिए आप इधर के बजाय उधर बैठे हो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इधर बैठना अलग बात है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था देने के बाद किस नियम के तहत आप खड़ा हो रहे हैं, यह बताईये ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है ।

अध्यक्ष महोदय:- शिवरतन जी बैठिये । (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इससरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो-जो मंत्री नहीं बन पाया है, वह जवाब देने केलिए खड़ा हो जाता है । यह बड़ी विचित्र स्थिति है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप मंत्री नहीं थे, आप क्यों खड़ें हो जाते थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-चलिये, आप अपनी बात कहिये । (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि.. (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :-डॉक्टर साहब आते हैं तो इन लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं । बाकी टाईम में इन लोग बैठे रहते हैं । आप आते हैं तो इलोगों में उछलकूद शुरू हो जाता है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-सुनिये, सुनिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव था, सभी तहसील कार्यालय में सिंगल विंडो के माध्यम से किसानों को कोई परेशानी मत हो। उनका प्रकरण दर्ज हो जाये, अपलोड हो जाये । यह मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी को है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इनका परीक्षण करा लीजिए कि उनके लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं क्या । जल्दी करिये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने विषय की गंभीरता लिया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी का सम्मान करिये । कम से कम आसंदी की तरफ देखकर बोलिये । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- आप लोग चिन्ता नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना, अंबिका सिंह देव ।

(2) <u>कोरिया जिले में हाथियों के आतंक से जन-धन की हानि होना</u>

श्रीमती अंबिका सिंहदेव (बैकुंठपुर) - माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले के वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से लगातार हाथियों के दल द्वारा हमले किये जा रहे हैं। बड़े कलुआ में 23/02/2019 को एक ग्रमीण के घर पर हाथी द्वारा हमला कर महिला फुलेश्वरी बाई पति गौरीशंकर उम्र 58 वर्ष को कुचल कर मार दिया गया तथा एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। लगातार हो रही जन एवं धन हानि को रोकने में अभी तक शासन/प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 508 किसानों की फसल बर्बाद करने के साथ ही 90 ग्रामीणों के घर तोड़ दिये गए तथा इनके हमलों से अभी तक काफी लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस कारण स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश व्याप्त है। मैं वन मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इस पर क्या कदम उठायेंगे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि कोरिया जिले के वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लगातार हाथियों के दल के द्वारा हमले किये जा रहे हैं। दिनांक 24/02/2019 को कोरिया वनमंडल के ग्राम बड़ेकलुआ में स्वर्गीया श्रीमती फुलेश्वरी बाई पति श्री गौरीशंकर उम्र 52 वर्ष की जंगली हाथी के हमले से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई तथा श्री जितेंद्र कुमार उम्र 15 वर्ष ग्राम फिरमिना, जिला कोरबा को जंगली हाथी द्वारा दिनांक 24/02/2019 को घायल किया गया। श्री जितेंद्र कुमार का ईलाज जिला अस्पताल अंबिकापुर में कराया जा रहा है तथा उनकी स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। मृतिका स्वर्गीया श्रीमती फुलेश्वरी बाई के परिवार को तात्कालिक सहायता राशि रूपये 25000/- का भुगतान किया गया। मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष राशि रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3,75,000/- का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। श्री जितेंद्र कुमार को ईलाज हेतु तात्कालिक मांग अनुसार राशि रूपये 7500/- का भुगतान किया गया है।

जंगली हाथियों से जन-धन की हानि को नियंत्रित किये जाने के लिए वन विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्रों में रात-दिन नियमित रूप से गश्त किया जा रहा है। ग्रामीणों को हाथी से बचाव संबंधित जानकारी, लाउडस्पीकर से प्रसार कर सावधान किये जाने, हाथियों से सुरक्षा संबंधी पाम्पलेट 'क्या करें, क्या न करें' का वितरण, नुक्कड़-नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्य, अति प्रभावित ग्रामों में सोलर मास्टलाईट की स्थापना एवं गजराज वाहन का उपयोग हाथियों को ग्रामीण ईलाकों से दूर रखने के प्रयास हेतु किया जा रहा है। अत: यह सही नहीं है कि लगातार हो रही जन एवं धन हानि को रोकने में शासन/प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है।

विगत 05 वर्षों में कोरिया जिले के अंतर्गत जनहानि के 07 प्रकरणों में सहायता राशि रूपये 23,20,000, जनघायल के 06 प्रकरणों में मुआवजा राशि रूपये 3,16,963, फसल क्षति के 825 प्रकरणों में मुआवजा राशि रूपये 39,42,378 तथा मकान एवं अन्य संपत्ति क्षति के 467 प्रकरणों में मुआवजा राशि रूपये 61,68,740 का भुगतान प्रभावितों को किया गया है। विभाग द्वारा सजगता के साथ वन्यप्राणियों से ग्रामीणों के बचाव के संबंध में सामयिक कार्यवाही किये जाने तथा प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के द्वारा वन्यप्राणी द्वंद को नियंत्रित किये जाने के सर्वसंभव प्रयास किये जाने के कारण स्थानीय लोगों में कोई आक्रोष व्याप्त नहीं है।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक 250 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 100 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें से 29 हाथियों को इलेक्ट्रिक करेंट लगाकर मौत की नींद सुलाया गया है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और 05 अक्टूबर, 2007 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलीफेंट कॉरीडोर की घोषणा की थी जिसमें लेमरू, तमोरपिंगला, बादलपुर, सेमरसोत ये सब इन्क्लूड किये गये थे। इसमें से मैं ये जानना चाहूंगी कि इनमें से लेमरू को क्यों निकाला गया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार का नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2011 में इस नोटिफिकेशन में जो सरगुजा, जशपुर एलिफेंट रिजर्व इस नाम से नोटिफिकेशन आया है इसमें तीन हैं। तमोरपिंगला, सेमरसोत, बादलपुर जहां तक आपने लेमरू के बारे में प्रश्न किया है। लेमरू के संबंध में दिनांक 01.07.2009 को तात्कालिन सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस मिटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि हाथी परियोजना के अंतर्गत सेमरसोत, तमोरपिंगला एवं बादलपुर अभ्यारण के पूर्व में घोषित अभ्यारणों में ही हाथी परियोजना संबंधित कार्यों को शुरू किया जाये। लेमरू परिक्षेत्र में फिरहाल कोई नया अभ्यारण नहीं बनाया जाये। ये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तात्कालिन सरकार ने फैसला लिया था, इस कारण ये नहीं बनाया गया और न ही इसका नोटिफिकेशन हुआ है।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एक सदन की समिति का गठन इसकी जांच के लिये किया जाये। क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथियों द्वारा फसल नुकसान होने पर कितनी राशि प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है और कितने दिनों में भुगतान करने का प्रावधान है। आज तक जो लंबित प्रकरण हैं, जिनके केस ट्रेजरी में जमा हो चुके हैं उनको कब तक भुगतान करा लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति हेक्टेयर फसल क्षति पर मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है । असिंचित क्षेत्र हेतु 6 हजार 800 रूपये, सिंचित क्षेत्र हेतु 13 हजार 500 रूपये और बारहमासी फसल हेतु 18 हजार ये प्रति एकड़ के हिसाब से है। घर का धान खा लेने पर धान क्रय दर के आधार पर है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये। यहां आदमी और हाथी मर रहे हैं आपको फसल की चिंता लगी है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथी के नुकसान का ही है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, निवेदन है कि इसके बाद हम लोग भी हाथी वाले क्षेत्र के हैं, एक एक प्रश्न पूछ लेते।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यहां जिंदगी और मौत का फैसला होना है, आप कहां धान वगरा बीच में ले आये। जितना बोलोगे उतना दिलवा देंगे, उतना दे देंगे, मरते भर रहो।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या ने आज जो प्रश्न उठाया है वह प्रदेश के लिये गंभीर कम, विषयों में से एक है। जो प्रदेश हाथी के आतंक को जानता भी नहीं था उस प्रदेश में आज, पूरे देश में सबसे ज्यादा आतंक हाथियों का है। जानमाल की जो हानि हो रही है, वह अवर्णिनीय है। इसे रोकने की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए वे बिल्कुल नगण्य है। पूरे सदन को आदरणीय मंत्री महोदय को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। पिछले एक दशक में मैंने आंकड़े निकालने की कोशिश की 120 प्रतिशत घटनाओं में वृद्धि हुई है, मौत हुई है, घायल हुए हैं, फसल नष्ट हुई है, घर नष्ट हुए हैं और इस तरह से प्रदेश के लगभग सभी जंगल के इलाकों में सरगुजा, कोरबा, विशेषकर और उनसे लगे हुए इलाकों में और जोड़कर हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हाथी के लिये जो मैं सोचता हूं कि ये आतंक बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोयला खदानें बहुत ज्यादा स्वीकृत हो गई है और हाथी के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए, वहां भी कोयला खदानें काम करने लगी हैं। पिछले 5 वर्षों में जो कोयला खदानें हमारे प्रदेश में स्वीकृत हुई हैं, उनकी कीमत 1 लाख, 80 हजार करोड़ रुपये है। मतलब कोयला खदानों से हमको पिछले 5 साल की नीलामी में ही इस प्रदेश को 1 लाख, 80 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये, आप क्या चाहते हैं ?

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आदरणीय जोगी जी, हाथी तो आपके साथ में है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये छोड़िए।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये हमारा हाथी है। अनुशासित है। आपका हाथी अनुशासनहीन है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। ये गंभीर प्रश्न चल रहा है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये गंभीर विषय है। मैं मंत्री जी से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जब रेवेन्यू के रूप में एक लाख, अस्सी हजार करोड़ रुपये आपको मिल रहा है। तो मुआवजे के रूप में इतनी कम राशि क्यों देते हैं ? फसल नष्ट हुई, उसका आप मुआवजा बढ़ाईये, मृत्यु हुई, उसका मुआवजा बढ़ाईये ? घायल हुआ, उसका मुआवजा बढ़ाईये, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको इतनी आमदनी हो रही है तो क्या मुआवजा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ? आप मुआवजा बढ़ाने का आदेश देंगे क्या ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाहूंगा कि वर्ष 2002 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने हंसदेव आरण्य में आने वाली करीब 30 कोयला खदानों को निरस्त किया था और लेमरू में वाईल्ड लाईफ सेन्चरी, विशेषकर हाथियों के लिए बनाने का निर्णय लिया था। केन्द्र सरकार ने औपचारिक सहमति भी दी थी, उनको बांध का पानी मिले, इसलिए बड़े बांध के किनारे ये ईलाका है इसलिए वहां पर एक एलीफेंट पार्क बन जाता। तो ज्यादातर हाथी, वहीं रहते वे इधर-उधर नहीं जाते।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले शासन द्वारा उस योजना को क्यों निरस्त किया गया ? क्या वर्तमान शासन उस योजना, लेमरू परियोजना को या वैसी ही अन्य कोई परियोजना को लागू करेगा, जिससे हाथी इधर-उधर न जायें, एक क्षेत्र तक सीमित हो जाए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी ने जो बातें कहीं, इनके सभी सुझावों पर बहुत गंभीरता से विचार करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय धर्मजीत भईया एक हाथी जो उधर किनारे में बैठता था, वह दूसरे के बाड़े में घुस गया है और इधर खड़ा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप प्रश्न करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- 2-3 प्रश्न नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 2-3 सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितने हाथी हर्ड हैं? क्या उसका आईडेंटिफिकेशन हुआ है ? वह कहां पर जा रहे हैं उसका आईडेंटिफिकेशन हुआ है ?एक और दूसरी चीज क्या उनको जी.पी.एस. के तहत ट्रेक किया जा रहा है? जी.पी.एस. के तहत ट्रेक करने की पद्धति है, क्या उसको ट्रेक किया जा रहा है ? नंबर 3 हमारे सरगुजा क्षेत्र में, उड़ीसा में ये प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया है। लोकल बच्चे हैं जो हैण्डलर का काम करते हैं जो हाथी को धीरे-धीरे हकालते ले जाते हैं। तो क्या उन हैण्लर्स का आईडेंटिफिकेशन किया गया है ? और जो हैण्डलर बच्चे हैं उनको क्या वन विभाग में प्रतिनियुक्ति देकर, रखकर उनको काम दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये माननी मंत्री जी। अच्छा भगत जी आप भी प्रश्न कर लीजिए उसके बाद एक साथ उत्तर देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय,ये जंगली हाथियों के आतंक से लगातार जो जनहानि हो रही है और जिससे पूरा क्षेत्र, पूरा सरगुजा संभाग क्या पूरा प्रदेश ही उससे प्रभावित हैं। ये विषय बहुत वृहद है और इससे जुड़े हुए लोग भी पूरे सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर आपका पुराना लोकसभा क्षेत्र, सभी लोग इससे प्रभावित हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें सब लोग बोलना चाहते हैं और सभी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, क्या इसके लिए अलग से कोई विशेष बैठक बुला करके सभी लोगों से अलग से चर्चा करने की कोई व्यवस्था करायेंगे और उनके सुझावों पर अमल किया जायेगा? क्या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में हाथी प्रभावित क्षेत्र के हमारे जो भी माननीय विधायक हैं, उनके साथ अलग से बैठक करके उनसे सुझाव लिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जुनेजा जी, आपके यहां तो हाथी नहीं हैं?

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, मेरे साथ घटित हुई है। हमारे प्रदेश में हाथियों का आतंक है, हाथियों से बहुत सारी जानें गई हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है। 6-8 महीने पहले मैं एक विवाह में शामिल होने श्रीलंका गया था, मेरे साथ पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जी थे। हम 4 लोग निकल रहे थे तो देखे कि बोर्ड लगा था,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम लोग वहां रूक गये, वह बोले कि यहां हाथी दर्शन कराते हैं, एक जन का टिकट 1 हजार रुपया है, हम चार लोग थे तो चार लोगों का टिकट 4 हजार रुपये लगेगा, हम लोग बोले कि हम लोगों को नहीं देखना है, हमारे यहां हाथियों से वैसे ही परेशानी है। वह बोले कि सर यहां एक टिकट का 1 हजार रुपये लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम 3 दिन से श्रीलंका में घूम रहे हैं, एक भी सरदार नहीं दिखा, आप हमारे को रख लो, 500 रुपये रख देना और 250 रुपये आप ले लेना और 250 रुपये हमको देना। (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका कहना है कि हाथी प्रतिनियुक्ति पर श्रीलंका भेज दिया जाये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय चंदेल जी बोलना चाह रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है, भाभी जी अध्यक्षीय दीर्घा में देखने आई हैं कि चंदेल जी कैसे बोलते हैं।

श्री दीपक बैज :- अमरजीत भैया, इसी के आधार पर उधर नंबर बढ़ेगा।

श्री यू.डी.मिंज (कुनकुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो एलीफेन्ट कारीडोर की बात हुई, उसमें बादलखोर अभ्यारण्य है, वह हमारे जशपुर जिले में आता है। जशपुर, कुनकुरी विधानसभा भी आता है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है?

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अभी लगातार उस क्षेत्र में बादलखोर अभ्यारण्य में फारेस्ट की डेन्सिटी लगातार कम होती जा रही है। उसमें अधिकारियों की लापरवाही, मिलीभगत भी है, वहां पर लगातार पेड़, टिम्बर वुड्स को काट दिये जा रहे हैं। सागौन के पेड़ों से भरा हुआ जंगल हुआ करता था, आज लगभग नहीं के बराबर है।

अध्यक्ष महोदय :- हाथी के बारे में बात करिये।

श्री यू.डी.मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथीं वहीं ज्यादातर विचरण करता है। अगर डेन्सिटी कम हो रही है तो उसकी वजह से हाथी बाहर आते हैं। अभी 25 जनवरी को हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां बड़ी संख्या में लकड़ी तस्करी करते हुए पकड़ा है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न गलत जगह जा रहा है, आप बैठ जाईये, अलग से तैयारी करके आईये।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो ध्यानाकर्षण है वह सिर्फ हाथी के द्वारा किसी एक व्यक्ति को मार देने और उसके मुआवजे की मांग के लिए नहीं है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आधा छत्तीसगढ़ जिसमें बिलासपुर, महासमुन्द, रायगढ़, कोरबा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, रामानुजगंज से लगता हुआ झारखंड के एरिया तक सारी आबादी प्रभावित है। प्रश्न ये नहीं है कि वह हाथी मारा और आपने कितना रुपया दिया। मैं एक जवाब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

था कि कुछ बढ़िया जवाब जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। मैंने 14 मार्च 2005 को एलीफेन्ट पार्क को बनाने के लिए इस सदन में अशासकीय संकल्प रखा था, उसमें बहुत चर्चा हुई थी। विभाग के द्वारा दिये गये जवाब को पढ़ता हूं। जंगली हाथियों से जन-धन की हानि को नियंत्रित किये जाने के लिए वन विभाग के क्षेत्रीय अमलों द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्रों में रात-दिन नियमित रूप से गश्त किया जा रहा है। उस गश्त का क्या फायदा? ग्रामीणों को हाथी से बचाव संबंधित जानकारी लाउडस्पीकर से दे रहे हैं, क्या हाथी रूकेगा? हाथियों से सुरक्षा संबंधी पंपलेट बांटे जा रहे हैं, क्या कोई चुनाव हो रहा है? कोई चुनाव हो रहा हो तो इस छाप को वोट दो, उस छाप को वोट दो। क्या हाथियों से बचाव के पंपलेट बांटने से हाथी के पास कोई असर होगा? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये सरकारी जवाब है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या नाटक देखकर हाथी भगेगा? ये बिना सिर-पैर का जवाब है, इससे हाथी की समस्या हल नहीं होगी । हाथी के पैर में सेंशर होता है और उसके चारों पैर में इतना सेंसेटिव सेंशर होता है कि जहां पर वह हाथी है और उससे 100 किलोमीटर दूर में, 50 किलोमीटर दूर में अगर किसी भी प्रकार का ब्लास्ट होगा तो वह हाथी उसके ऑपोजिट डॉयरेक्शन में चलना शुरू कर देता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी चीजें पूछूंगा । मैं पहले माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जनवरी, 2019 में भारत सरकार की फॉरेस्ट एडवॉयजरी कमेटी ने छत्तीसगढ़ के अरण्य जंगलों में 1878 वर्गकिलोमीटर वन भूमि में ओपन कास्ट माईनिंग हेतु 30 खदानों का चयन कर दिया । सरगुजा के घाटबेर्रा में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी महाजैका को कोयला खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के निजी और पट्टे को राजस्थान और महाराष्ट्र को कोल माइंस के लिये दे दिया गया और उसको मेसर्स अडानी ग्रुप को पहले से ही अपने खदानों के लिये खोदने की अनुमति दी यानी जमीन हमारी और आप महाराष्ट्र और राजस्थान को दे दिये और यहां माल कमाने के लिये उसमें अडानी आ गया, हाथी इधर-उधर भाग रहा है तो आखिर इस खनिज संपदा को लूटने के लिये ददुआ गिरौह सरीखे काम क्यों हो रहा है ? खनिज संपदा हमारी है, उसका दोहन करिये, शोषण मत करिये । ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो यह बांटे गये हैं, इसमें एक श्वेतपत्र जारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लेकर आज तारीख तक इस सदन में जितने माईंस खासकर के एलीफेंट कॉरीडोर में हैं उसके बारे में श्वेतपत्र जारी होना चाहिए और मेरा तो यह आग्रह है कि यह चाहे अडानी का हो, अंबानी का हो या किसी का हो, हमारी खनिज संपदा का दोहन-शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, यदि सरकार में हिम्मत हो चूंकि माननीय राहूल गांधी वहां गये भी थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था, जब वे मदनपुर के पास गये थे । माननीय अध्यक्ष जी आप भी थे, रामपुर के पास लोग लाईन लगाकर खड़े थे कि हाथी से बचाओ । अब तो आपकी सरकार आ गयी है, याद कीजिये माननीय राहूल जी ने आज से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3-4 साल पहले वहां पर कहा था कि हम खदानों को नहीं देंगे और गरीबों की रक्षा करेंगे । माननीय मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक हाईपॉवर कमेटी बनाकर के प्रश्न-संदर्भ समिति में इसकी जांच करा लीजिये और सरकार को इस बात के लिये तैयार होना चाहिए कि जो भी खदान है उनको निरस्त किया जाये । 30 हाथी करेंट से मर गये, टोटल 100 हाथी मर गये, 480 स्क्वेयर किलोमीटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलीफेंट पॉर्क को रिजर्व करने के लिये उसको भी बांट दिये । आखिर प्रदेश की जनता कहां जाये ? हमारे गरीबों की कीमत 5 लाख या 10 लाख नहीं हो सकती ? हमारे गरीबों को 2 बोरा धान का पैसा देकर आप मरने के लिये नहीं छोड़ सकते और अगर ऐसा ही है तो इस सदन में बैठे हुए मंत्री और इस सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को जहां-जहां 20-20 हाथी हों वहां ले जाकर इनको छोड़िए फिर पता चलेगा कि कैसा पॉम्पलेट बनाने से और नुक्कड़-नाटक करने से होगा ? इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप यह बताईये कि इन खदानों को निरस्त करने के लिये सरकार की तरफ से पहल करके क्या एनजीटी और दिल्ली की सरकार को भेजेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय, आप हाथी के बारे में बात करिये, खदान के बारे में नहीं है । यह हाथी के बारे में है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथी की जड़ खदान है । खदान रहेगा तो हाथी की समस्या चूंकि श्रीलंका में कैसे वह 4 हाथी दिखा रहे थे, यहां हाथी हमें ही देख लेगा । हाथी और खदान का बहुत अटूट रिश्ता है, जहां खदान रहेगा वहां हाथी भगेगा । यदि उसको शांति से विचरण करने दें, जंगल रहेगा बिना ब्लास्ट के, बिना व्यवधान के तो हाथी से ज्यादा बुद्धिमान भी कोई नहीं है इसलिये क्या आप हाथी का अभ्यारण्य क्षेत्र बनायेंगे और बनायेंगे तो कहां-कहां बनायेंगे ? कब तक बनायेंगे और उसके आसपास 50 किलोमीटर दूर तक, 100 किलोमीटर दूर तक कोई कोयला खदान या ऐसा खदान जिसमें ब्लास्ट होता हो वह नहीं देंगे इस बात के माननीय मंत्री जी आप बताईये और आपने यह जो उपाय बताया है । ये बिल्कुल नाकाफी उपाय हैं । इससे हाथी तो हाथी, मुर्गी तक नहीं भागने वाली है । इसलिए माननीय मंत्री जी यह बताइए ।

समय :
1:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मैं प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपता हूं । (मेजो की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:01 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1 श्री सौरभ सिंह,
2 श्री धरमलाल कौशिक,
3 श्री अमितेश शुक्ल,
4 श्री गुलाब कमरो,
5 श्री लालजीत सिंह राठिया

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, किसी ने जांच भी नहीं मांगी, आप कहां से सौंप दिये अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हू कि यह कितना गंभीर है, इसमें क्या खेल है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने मांग की भी है ।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने मांग की भी है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कौन मांग किया है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने मांग की है कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेजा जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका पूरा भाषण तो खदान की तरफ था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजा जाए, रिकॉर्ड में है ।

समय :
1:02 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

1. छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2019

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7, सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की जाए ।

अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

3. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, में छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9, सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1	छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4, सन् 2019)	30 मिनट
2	छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6, सन 2019)	1 घंटा
3	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7, सन 2019)	30 मिनट
4	छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन 2019)	30 मिनट
5	छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9, सन 2019)	30 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

4. छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3, सन 2019) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष जी, बहुत संक्षिप्त सा संशोधन विधेयक है । छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम 2006 में राज्य गठन के पश्चात जो अनुसूचि दर्ज की गई । उसमें सदस्य निरर्हता के कानून से छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता अधिनियम मद 19 की सारिणी में सरल क्रमांक 90 के पश्चात् यह जो संख्या और नाम दिया गया है, उसको जोड़ा गया है। आने वाले समय में इन पदों को भी लाभ के पद से पृथक किया गया है। सदस्यता निरर्हता के कानून से इसको अलग किया गया है। उसी के लिए यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पर विचार किया जाये। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 एक राजनीतिक मजबूरी के कारण प्रस्तुत किया गया है। कल विनियोग विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने एक विषय रखा था, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री शायद उपस्थित नहीं थे। मैंने इस सरकार के मुख्यमंत्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री शब्द का उपयोग किया था और सबसे सर्वशक्तिशाली शब्द का उपयोग करने के पीछे कारण मैंने यह दिया था कि पहली बार ऐसी सरकार बनी है, जिस सरकार को 3 चौथाई बहुमत इस सदन में प्राप्त है और एक तरफ वह माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी बड़ी शक्ति प्रदान करती है वही शक्ति इनके लिए एक मजबूरी भी बन गई है। विधेयक के माध्यम से केन्द्र में कितने मंत्री होंगे उसकी संख्या निर्धारित है। सदन के 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते।

समय :
1:07 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित 13 लोग मंत्री बन सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तो अपने विधेयक दल के असंतोष को रोकने के लिए 12 लोगों को मंत्री बनाकर एक पद रिक्त रखा है और यह एक पद लॉलीपाप की तरह सारे विधायकों को दिखाया जा रहा है कि लोकसभा के बाद इसमें तुम्हारा नंबर आ सकता है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शासकीय संकल्प इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि लोकसभा चुनाव निपटने के पश्चात् विधायकों को संतुष्ट करने के लिए यह जो सूची दी गई है, लगभग 38 पदों की है। इन 38 पदों में अपने विधायकों को उपकृत किया जा सके इसलिए यह विधेयक लाया गया है। मंत्री के मामले में तो एक अनार सौ बीमार हैं। इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भैया, 68 लोग जीतकर भी तो आये हैं, कैसे करेंगे? बताओ न। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तुम्हारी व्यथा को ही रख रहा हूं भाई।

श्री सौरभ सिंह :- आपकी व्यवस्था हो रही है, उसमें छांट लो। किसमें-किसमें बनोगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तुम्हारी ही बात रख रहा हूं। यह आपके पक्ष की बात है। आपके ही हित में लाया गया है। इसी बात को तो मैं भी रख रहा हूं भाई। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने 38 पदों को विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण से अलग करने की बात की है, इसमें 3 ऐसे पद हैं, जिसमें हमेशा टेक्नीकल नियुक्ति होती है। माननीय चौबे जी, आपने जो सूची दी है उसमें 100 नंबर पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला है और फैसले में इस बात का निर्धारण किया गया है कि इसमें जो भी चेयरमैन बनेगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन तय है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी स्तर का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं बनेगा तो जिस मंडल के लिए ट्रिब्यूनल का फैसला हो, क्वालिफिकेशन तय किया हो, यह स्थान राजनीति के लिए नहीं है। विशेषज्ञताओं के पद हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने दूसरा विषय, 115 नंबर में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को रखा है। अब छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, शासन के रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति बैठेगा, तो वह हमेशा आरोपों के घेरे में रहेगा। आपकी नियुक्ति कितनी भी पारदर्शी होगी, तो भी उस पर हमेशा आरोप लगेंगे। हमेशा एक जांच का विषय, निष्पक्षता पर ऊंगली उठती रहेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- शुरू में जो पी0एस0सी0 मेम्बर बनाये गये थे, पहले पी0एस0सी0 हुई, उसमें दो सदस्य कितने दिनों तक फरार थे ? आप उसको बताईयेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उत्तर में तो बताऊंगा। जब आपने पूछ ही दिया तो बता रहा हूँ कि व्यवसायिक परीक्षा मण्डल में ऐसे राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुईं। उसके बावजूद भी राजनीति के क्षेत्र में सर्वोच्च पद में रहने वाले लोग भी कितनी बार हाईकोर्ट के चक्कर लगाये हैं, यह मध्यप्रदेश का उदाहरण है। इसलिए शिवरतन जी, उदाहरणों से ऐसा संभव नहीं होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अपने यहां यह कहा जाता है कि व्यक्ति को ईमानदार होना ही नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल में चेयरमेन के पद पर चाहे आपके दल का व्यक्ति बैठे, चाहे हमारे दल का व्यक्ति बैठे, वह हमेशा आरोपों के घेरे में रहेगा। वह कितना भी निष्पक्ष होकर पारदर्शी ढंग से काम करेगा तो भी लोग ऊंगली उठाने से नहीं चूकेंगे। इसलिए इस स्थान को भी राजनीतिक नियुक्ति से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड का पूर्ववर्ती सरकार ने गठन किया था। कार्पोरेशन का गठन करने के पश्चात सचिव स्तर का अधिकारी जो टेक्नीकल योग्यता रखता था, उसकी नियुक्ति चेयरमेन के पद पर की गई। अब यह भी टेक्नीकल पद है। आप यहां भी राजनीतिक नियुक्ति करोगे, तो यह अच्छा संदेश नहीं जायेगा। हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि आपके विधायकों को संतुष्ट करने के लिए यह संशोधन विधेयक आपकी मजबूरी है। यदि आप इन तीनों को अलग कर दें, तो समर्थन करने को भी तैयार हैं। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रेल्वे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्पोरेशन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, यदि आप इन तीनों को अलग करते हैं, तो हम आपको इसमें समर्थन करने के लिए सहमत हैं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक-3 सन् 2019) इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और इस सदन से निवेदन करता हूँ कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसको पास किया जाये।

श्री सौरभ सिंह :- मोहन जी, आप किसमें बनोगे, बता दो ?

श्री मोहन मरकाम :- अब जिसको भी बनाये, बाद की बात है।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, आप भी बनने के लिए लालायित हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- दीपक जी, आपको कौन सा लॉलीपाप दिया गया है ?

श्री सौरभ सिंह :- आपका कौन सा है ?

श्री दीपक बैज :- क्या है शिवरतन भैय्या, जनता ने उधर से उठाकर इधर भेज दिया, इससे बड़ा लॉलीपाप और क्या हो सकता है। (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (कमांक-16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 90 के पश्चात् सरल क्रमांक- 91 से 128 तक जोड़ने की सदन से मांग की गई है। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। माननीय शिवरतन शर्मा जी कह रहे थे कि राजनीतिक मजबूरी है, लालीपाप है । शर्मा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप लोग इस सदन में 48-49 सदस्य हुआ करते थे, उसके बाद भी 12-13 संसदीय सचिव और 40-50 निगम मण्डलों में अपने विधायकों को लालीपाप दे रहे थे तो क्या वह लालीपाप नहीं था । अगर हमारी सरकार कुछ सोच रही है, कुछ योजना बनाकर अच्छा काम करना चाह रही है तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो विधेयक लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

4 <u>छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमशः)</u>

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । निश्चित रूप से पिछली सरकार में लगभग 90 के आसपास कारपोरेशन थे और संस्थाएं थीं, उसमें निरर्हता से उसको मुक्त किया गया था और आफिस और प्राफिट से मुक्त करने के कारण बहुत सारे विधायक साथियों को उसमें जाने का मौका मिला । जब ये नियम पार्लियामेंट में आया था तो मुझे इस बात का गौरव है कि मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था और श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं और कांग्रेस की सरकार के इस विधेयक को लाने के बाद में उस समय तो आगे बढ़ गया था, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पद को छोड़कर दोबारा चुनाव लड़कर राजनीति में सुचिता का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था तो निश्चित रूप से उनके उस पद को छोड़ने के बाद में नेशनल एडवायजरी कौंसिल (एनएसी) थी, जो सबसे पावरफूल संस्था थी, सोनिया जी उसकी अध्यक्ष थीं और जब उन्होंने उस पद को छोड़ा था तो एक बड़ी घटना पूरे देश में आई थी और इस एक्ट को लोगों ने जाना था, पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे विधायक जीतकर आते हैं, लगभग दो लाख, सवा दो लाख मतदाता के बीच से जीतकर आते हैं और विधायक के रूप में तो वे काम करते हैं, पर मंत्री बनने का अवसर या अन्य पदों पर पहुंचने का अवसर कम होता है और इस एक्ट के तहत विधान सभा के अंदर बहुत सारे साथी जो बहुत योग्य हैं, वे कहीं न कहीं मंत्री नहीं बन पाते । आज भी छत्तीसगढ़ की विधान सभा में बहुत सारे लोग हैं, जिनको मंत्री पद पर पहुंचना चाहिए और मैं समझता हूं कि नये विधायकों को इन संस्थाओं में हम नियुक्त करते हैं तो उससे उनको अनुभव भी प्राप्त होगा और गवर्नमेंट की वर्किंग है, उसको समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसका समर्थन करना चाहेंगे । केवल मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जो सात सहकारी बैंक है, जिसमें जिला राजनांदगांव है और सात बैंकें हैं, उनमें भी विधायकों को सदस्य बनाने की बात हुई है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग पहले भी विधायक के रूप में उसमें मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, इस एक्ट के आने के बाद हम लोग उससे हट गए तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिले के विधायक हैं, उनको बैंक में आप अपने आप पदेन सदस्य मनोनीत कर देंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं और उसकी अनुसूची 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) में अनुसूची के मद 19 की सारणी में सरल क्रमांक 90 के पश्चात् 91 से लेकर 128 तक जोड़ा गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- और 29 सफेद हाथी यहां और आ गया । चढ़िए, हाथी चढ़िए, मजा करिए ।

श्री दीपक बैज :- धर्मजी भैया, हाथी तो आपके पीछे है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ही लोगों के लिए है, बृहस्पत सिंह, मरकाम, आप, मजा करो ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण संशोधन विधेयक, 2019 क्रमांक 3 सन 2019 पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण संशोधन विधेयक 2019 क्रमांक 3 सन 2019 पारित किया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण संशोधन विधेयक, 2019 क्रमांक 3 सन 2019 पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

5. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन 2019)

विधि विधायी कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन 2019) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि-छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन 2019) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, माध्यस्थम संस्कृत में लिखे हैं क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कभी-कभी क्या है, ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं । मैं अभी एक माननीय सदस्य को बोला कि इसमें आपको बोलना है । बोले कि इसको तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बोल कैसे पाऊंगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे भी बोला गया तो मैं बोला कि मैं संस्कृत का एक शब्द नहीं जानता ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, कभी-कभी हिन्दी नाम, आप आसंदी में है, इसलिए नहीं कहूंगा, इधर बैठते हैं तो आप अच्छे से उद्धरण करते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत कठिन है भई । क्या है, इसको थोड़ा समझा तो देना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इस सदन में कुछ एक सदस्य बेहद विद्वान है । आदरणीय सौरभ जी, जो इसकी शुरूआत कर रहे हैं ना, शब्दों में भी, विचारों में भी, ज्ञान में भी, इसलिए धर्मजीत भईया, जो आपका प्रश्न है ना, सौरभ जी, अपनी बात कहेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन 2019) पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, यह कुल मिलाकर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है । हम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूपन में कौन सा केस लेकर जायेंगे, कौन सा केस लेकर नहीं जायेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल कहा ना, धरमजीत भईया बड़े प्रसन्न हो गये, हिन्दी में जब मैं नाम पढ़ा ना, उनको कठिनाई होने लगी थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं ईमानदारी से बता रहा हॅू कि आप से पूछने से पहले देवव्रत जी से पूछा कि क्या बला है । मैं सीधा आप ही से पूछ लेता हॅू । यह माध्यस्थम, माध्यस्थम में समझ नहीं रहा था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- धर्मजीत भईया, आप और हम नहीं समझेंगे, लेकिन बोल रहे हैं वो, जिनसे आपने पूछा, वह सबसे ज्यादा समझते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्हीं लोगों से पूछा ना कि आर्बिट्रेशन में ये लोग बहुत जाते हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का दायरा था, मेनली रोड और एरिगेशन का था । कोई रोड और एरिगेशन के ऐसे केसेस होते हैं, जो तीन साल तक फोर क्लोजर हो जाते हैं, तीन साल तक ठेकेदार छोड़कर भाग जाता है, काम नहीं करता है तो ट्रिब्यूनल में जाकर उस मामले को क्लॉज में दिया जाता है । यह मामला कोर्ट में न जाये करके दिया जाता है, कोर्ट में मामला जायेगा तो बहुत दूर तक लंबित हो जाता है, उसका निराकरण नहीं होता है, काम नहीं होता है । इसलिए शार्ट प्रोसेस में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाया जाता है, इसमें सारी चीजों की स्थापना को जोड़ा गया है, वह पी.एच.ई. से जुड़ा हुआ मामला है, पम्प का ड्रिलिंग वर्क है, चबुतरा निर्माण है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बड़े काम के लिए ठीक है, कि इन्टेकवेल निर्माण है, जल संवर्धन का काम है, फलोराईड वाटर का आपने लिखा है, बड़े कामों के लिए ठीक है आप ट्रिब्यूनल में चले जाईये । छोटा-छोटा काम, हैण्डपम्प की स्थापना, ड्रिलिंग वर्क, वाटर पम्प का कार्य, इसके लिए क्या ट्रिब्यूनल की जरूरत है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय, क्या हो जाता है कि वह पैकेज जैसा हो जाता है न तो वह भी काम बड़े हो जाते हैं। हालांकि ड्रिलिंग बहुत छोटा काम हो जाता है लेकिन जब पूरे जिले का पैकेज में कोई कांट्रेक्टर आता है तो जरूरी हो जाता है कि ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका हल हो जाए। बस इतना ही है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ट्रिब्यूनल रायपुर में स्थापित है। मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में चाहूंगा कि वहां पूर्व में जो पी.डब्ल्यू.डी. और सिंचाई विभाग के केसेस हैं, ट्रिब्यूनल के ऊपर कितना लोड है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड। जब वह ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड ही नहीं दे रहा है और ट्रिब्यूनल के अवार्ड में देरी हो रही है और फिर हम अब ट्रिब्यूनल को काम दे रहे हैं कि आप अतिरिक्त काम करो? मैं माननीय मंत्री जी से उनके जवाब में चाहूंगा कि पुराने कितने केसेस लंबित हैं क्योंकि अभी जब हम ये नोटीफिकेशन देंगे तब पी.एच.ई. के केसेस जायेंगे। सड़क के मुख्यत: जो केस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूके हुए हैं उसमें आर्बिट्रेशन के जो केसेस हैं वह केसेस लैंड एक्वीजीशन के केसेस हैं तो उन केसेस में ट्रिब्यूनल में ऐसे कितने केसेस रूके हुए हैं, ट्रिब्यूनल का आर्डर कितने में आया और कितने में नहीं आया और ट्रिब्यूनल का जो आर्डर आया उसमें कितने ऐसे आर्डर थे जो हाईकोर्ट में चैलेंज हुए? क्योंकि उनके पास जगह है वह ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद हाईकोर्ट चले जायेंगे तो ऐसे कितने केसेसे थे जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद वह गये?

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वह इन तीनों चीजों पर जो केसेस इंस्टीट्यूट हुए, जो केसेस डिस्पोज हुए और जो केसेस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं इस पर ट्रिब्यूनल से लीगल विभाग जानकारी मांग सकता है कि कहां-कहां पर ये केसेस हैं। तो ट्रिब्यूनल का जो मुख्य काम है, ट्रिब्युनल ओवरलोडेड है। ट्रिब्युनल से काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, सदन को कृपापूर्वक यह जानकारी बतायें कि ट्रिब्यूनल में हम चीजें तो दे रहे हैं पर ट्रिब्यूनल पूर्व का काम कैसे कर रही है? पूर्व केसेस के डिस्पोजल का क्या रेट है? ये ट्रिब्यूनल 1983 में बना था। इस ट्रिब्यूनल के तहत आर्डर सेक्सन 30 में और रेगुलेशन सेक्सन 10 में असेंबली में ट्रिब्युनल की पद्धति को टेबल करने का प्रावधान है तो मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में ये भी जानना चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल में ट्रिब्यूनल की वर्किंग के लिए जो असेंबली में पद्धति है वह टेबलिंग क्यों नहीं हुई और हुई तो कब हुई और कैसे हुई? इस पर प्रावधान है तो वह प्रावधान होगा तो ट्रिब्यूनल का जो वर्क है वह वर्क कैसा चल रहा है, वह ट्रिब्यूनल का वर्क यहां पर आयेगा। माननीय सभापति महोदय, इन चीजों को कर दें और ट्रिब्यूनल के काम करने की पद्धति को सुधार लिया जाए तो हम समर्थन में है।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधि एवं विधायी कार्य मंत्री द्वारा जो छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस विधेयक को पास करने का सदन से आग्रह करता हूं। इस विधेयक में धारा 2 में संशोधन करने की बात की गई है। जिसमें ट्यूबवेल, ड्रिलिंग वर्क, चबूतरा निर्माण तथा हैंडपंप स्थापना का कार्य, जलशुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य, इंटेकवेल निर्माण कार्य, सभी प्रकार के पाईप प्रदाय एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य, पंप हाऊस निर्माण कार्य, उच्च स्तरीय टंकी/संपवेल निर्माण कार्य, रॉ/क्लीयर वॉटर पंप के कार्य, आयरन रिम्हूवल प्लांट/फ्लोराईड रिम्हूवल प्लांट का प्रदाय एवं स्थापना का कार्य, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य, भू-जल संवर्धन से संबंधित रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य सब इसमें अंत:स्थापित किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरणों को सुना जा सके। यह, मध्यस्थ मुकदमों में शासन द्वारा उपगत अत्यधिक वित्तीय व्यय से बचायेगा, इसलिए यह संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने लाया है इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करता हूं।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो विधेयक रखा है निश्चित रूप से आज विधेयक की बहुत अधिक आवश्यकता है और ये जो पी.एच.ई. विभाग से संबंधित जो नये उपबंध किए हैं उन्हें पारित किया जाए, विधेयक में शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक जब लाया गया था, इस विधेयक के दो मतलब थे, एक तो अनावश्यक कानूनी व्यवस्था में यह उलझे मत और दूसरा कहीं न कहीं इसमें मीडियेशन की बात भी थी कि जो मामले वहां पर जा रहे हैं वह छोटे-छोटे गरीब लोगों से कंसर्न हैं, शासन का पक्ष है, अधिकारियों का पक्ष है तो उसमें मीडियेशन की भी एक बात थी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। आज इस माध्यस्थम प्राधिकरण के माध्यम से जो निर्णय हो रहे हैं, उसमें इतना समय लग जा रहा है, विशेष करके जहां पावर ग्रिड कार्पोरेशन का मामला आता है। क्योंकि पावर ग्रिड कार्पोरेशन पूरी तरीके से केन्द्र से संचालित है। इसमें जिन लोगों की जमीन जाना है, लैंड का मामला है, कभी कभी जमीन भी वे लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, तो पावर ग्रिड कार्पोरेशन आपके क्षेत्र में भी और हमारे क्षेत्र में भी बड़ा मामला है और अधिकतर लोग यहीं जाते हैं। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि इस विधेयक में आपने बहुत सारे उपबंध किये हैं पर इसमें भविष्य में और उपबंध करने की आवश्यकता है। इसमें एक संशोधन विधेयक भविष्य में लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन ट्रिब्यूनल के फैसले से प्रभावित हो के उपभोक्ता फोरम में चले जाते हैं, कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं। इसमें जल्दी निराकरण हो ताकि अपील के लिये किसी को जाना है तो उसके लिये इस अभिकरण में समय सीमा करें। ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। इसमें समय सीमा तय होनी चाहिए ताकि व्यक्ति उपभोक्ता फोरम, कोर्ट या न्यायालय तक पहुंच सकें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 का माननीय विधि विधाई मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, संशोधित करने हेतु उसका मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को शुद्ध पेयजल देने के लिये, निर्माण कार्य के लिये छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अभिकरण अधिनियम 1983 की धारा 2,1 झ में संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया है। उसका मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

विधि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी, श्री मोहन करकाम जी, श्री देवव्रत सिंह, आदरणीया श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ने इस विधेयक पर अपनी अपनी बातें कही। हालांकि केवल बेहद संक्षिप्त सा संशोधन है। पी.एच.ई के कुछ कामों का ट्रेवलर का जिसका आपने कुछ जिक्र किया उसको इस विधेयक के खण्ड 2 में शामिल किया गया है। आपने पूछा कि पेण्डेन्सी बहुत ज्यादा है और काम क्यों बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं जानकारी विभाग से मंगाया, लगभग 60, 65 के आस पास प्रकरण पेण्डेन्सी है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा स्टेट है, इतने निर्माण इन्फ्रस्टकचर के होंगे तो सारी बातें आती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जिन कामों का आपने जिक्र किया उसके शामिल होने से कोई बहुत ज्यादा पेण्डेन्सी बढ़ने जैसी बात नहीं है। वर्क्स डिपार्टमेंट में जो कुछ काम, अभी जैसा आदरणीय श्री देवव्रत जी अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि समीक्षा करना चाहिए। यहां पॉवर ग्रिड के मामले पेंडिंग हैं किसान तकलीफ पाते हैं ट्रिब्यूनल में क्यों लंबित होता है? निश्चित रूप से ये जानकारी लेने की बात है और इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। इसके बाद लोग हाईकोर्ट में जाते हैं तो ये सुलभ न्याय प्रणाली है। कहां उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, इसके बारे में न तो हमें चर्चा करनी चाहिए, न हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें शामिल करने का आशय ये है कि विवाद की स्थिति कम हो, कोर्ट तक कम जायें, हम dispute को अपने विथइन जो पार्टीज हैं, उसको ही कर लें। इसलिए तो इसको ट्रिब्यूनल में सौंपा जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा अड़चन नहीं है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये सदन के पटल पर इसका प्रतिवेदन आना चाहिए। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर सारे works डिपार्टमेंट के अगर इस प्रकार के dispute की स्थितियां हैं और अगर हम सदन में लाकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इसका निपटारा हो तो हमें जानने का भी हक है और आने वाले समय में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम सब प्रतिवेदन में सुझाव भी दे सकें, इसलिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। इस संशोधन विधेयक में सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको सर्वानुमति से पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये आप भी पहला कानून बना रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- माननीय अजय भईया, जब ये कानून बनाते हैं तो वापस करने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है।

6. **<u>छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019)</u>**

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, अच्छा आखिरी में बोलेंगे।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, भूमि अर्जन अधिनियम धारा 26, यही है न साहब ? आप धारा 26 में ही संशोधन चाह रहे हैं ? इसमें पारदर्शिता इधर-उधर जितनी भी बात आप कर रहे हैं, सब घूमा-फिराकर कहने वाली बातें हैं। सरकार में यदि किसानों के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी है, थोड़ी भी सहृदयता है और छत्तीसगढ़ के हितों का थोड़ा भी ख्याल रखते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी उद्देश्यों के कथन में कुछ कहेंगे, सोच रहा था। पर उनका पहला विधेयक है उन्होंने उद्देश्यों के कथन पर प्रकाश नहीं डाला और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दो गुना से चार गुना करने का तो स्वागत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको लाया कैसे गया? आज क्यों लाया गया? इतनी जल्दी क्यों लाया गया? इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने ये तय कर लिया था कि इसको लाना है और इसके लाने के पीछे जो पृष्ठभूमि है वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये निर्णय है कि उचित दर पर मुआवजा इस तरह से दिया जाये। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपनी बात करेंगे तो इस बात को स्पष्ट करेंगे। मेरी मांग तो सिर्फ इतनी है, जिस दिन से इस विषय में फैसला आया, इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करें और भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते हैं, आज की डेट से यदि लागू करते हैं तो दो से जो चार गुना किया गया है, उसको दो से छः गुना करें। नहीं तो हमारी मांग है कि यदि इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा तो हम इसका समर्थन करेंगे या छः गुना करने की बात कही जाये तो हम इसका समर्थन करेंगे। क्योंकि यह सरकार की कोई मौलिक योजना नहीं है, यह माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोप में ये संशोधन विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाये जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय हाई कोर्ट के फैसले का लाभ मिले। यदि आप अपने विवेक से करते हैं, आज से लागू करते हैं तो दो गुना की जगह में छः गुना करिये। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है, दो का चार कर रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी प्रश्न ये है, चाहे जिस किसान की भी खेती की जमीन जिस चीज के लिए भी लेंगे, उसके बाद उसको उसके दुरगामी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। आप जमीन का दो का चार दे रहे हैं, ठीक बात है। अध्यक्ष जी, मान लीजिए वहां कोई उद्योग खुला, कोई सड़क बनी, कोई खदान खुली, तो किसान की आजू-बाजू की जो बची हुई जमीन है वह तो तबाह हो गई। इसलिए इसको दो का दस गुना करिये। इसलिए करिये कि जो उद्योगपति हैं वह तो माल कमायेंगे, टनाटन लेते हैं, हैदराबाद में बैठकर मजा करते हैं तो आप हमारे किसान को भी दो पीढ़ी का इंतजाम करा दो। भूललक्षी प्रभाव, पुराना, आगे, पीछे से सब देखकर करिये। आपको क्या तकलीफ है? आपको तो रेट ही फिक्स करना है, कुछ देना थोड़ी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- वैसे ही किसानों की सरकार कहला रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको क्या तकलीफ है? इससे हमारा नरूगा, गरूआ, गांव सब सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप तो इसको बढ़ाईये। इसमें चार गुना करने की बात तो लीपापोती वाला काम है, बेचारा किसान मर जायेगा, तबाह हो जायेगा। उसको जो धूल, धूंआ आयेगा, उसके कारण उसकी दूसरी 10 एकड़ जमीन बरबाद होगी। तो वह 10 एकड़ जमीन को भी इसी में जोड़कर उसको रेट दे दीजिए। यह आपसे आग्रह है।

श्री दीपक बैज :- धर्मजीत भैया, उधर से भूतलक्षी बोल रहे हैं, हमको भूत वाला काम करना ही नहीं है, हमें वर्तमानलक्षी करना है।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिलने पर उनमें असंतोष पैदा होता है जिसके कारण वे न्यायालय की शरण में जाते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकहित में विकास कार्य अवरूद्ध होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा लोकहित की पूर्ति हेतु लाये गये प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। सभी से अनुरोध करता हूं कि इसे ध्वनिमत से पारित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत अनिवार्य है, क्योकि लगातार किसान कोर्ट, अदालत का चक्कर काटते रहते हैं। लगातार किसी भी निर्माण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसा प्रावधान करने से कम से कम कोर्ट का चक्कर छुटेगा, लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। इसलिए जो विधेयक लाया गया है, किसी भी शासकीय काम में व्यवधान भी उत्पन्न न हो और किसानों को उचित कीमत मिल सके, दो गुना का चार गुना मिल सके, इस उद्देश्य से विधेयक लाया गया है, यह इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अजय चंद्राकर :- श्री बृहस्पत जी, आपने किसान हित में भाषण दे दिया ? आप किसान हित की बहुत लंबी-लंबी बातें करते हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, आपने 15 साल बहुत भाषण दिया इसलिये आपको उधर कर दिये । (व्यवधान) यह सरकार केवल भाषण देना भर नहीं चाहती है बल्कि कुछ करके दिखाना चाहती है ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, श्री देवव्रत जी बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- भैया, आप भूतलक्षी की बात क्यों कर रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- हम भाषण देना नहीं चाहते, इनके लिये कुछ करना चाहते हैं इसलिये भाषण दे रहा हूं । (व्यवधान)

अजय चंद्राकर :- हाईकोर्ट के निर्देश हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, यह उचित नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अजय चंद्राकर जी, भूतपूर्व मंत्री होने के साथ आपको भूत सवार हो गया है इसीलिये भूत की तरह बात कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसमें 2 का 10 बोल दो न । 10 गुना दे दो न भई, क्या दिक्कत है ? इनको थोड़ी देना है, रेट तय करना है भई आलूगुंडा 2 रूपया। बस इतना ही तो है और क्या है ।

सभापति महोदय :- बैठिए । श्री देवव्रत सिंह ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, शासन द्वारा यह संशोधन किया गया है कि इसको 2 का 4 गुना किया जाये । यह जो पूरी हाईकोर्ट की परिभाषा है, जो कम्प्लीट निर्णय हुआ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर भूमि अधिग्रहण के हरियाणा के मामले में, पंजाब के मामले में और अन्य राज्यों के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसान की भूमि का अधिग्रहण होना है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि भविष्य में अधिग्रहण के क्या लाभ, क्या प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेंगे तो जो व्यक्ति जिसकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वह तो वहां से बेदखल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया तो जब भविष्य में उस भूमि का निर्धारण आप करेंगे उसकी जो वेल्यू बढ़ेगी, उसकी वेल्यू बढ़ने से उसके लाभ जो उसको मिल सकते थे वह बल्कि नुकसान में चले जायेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ा विस्तृत ऑर्डर किया है कि राज्य शासन को, सरकार को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि उसके परिवार की 3 पीढ़ी के बारे में अधिग्रहणकर्ता को सोचना चाहिए, सुप्रीमकोर्ट की बात आयी है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूमि का रेट बढ़ा है । आप रायपुर की बात कर लें, जब नया रायपुर बना तो जिस रेट पर अधिग्रहण किया गया था आज केवल 10 वर्षों में नया रायपुर में जिस रेट में अधिग्रहण किया था उससे 20 गुना बढ़ चुका है । 20 गुना रेट बढ़ा है तो ऐसे में कम से कम 10 गुना तो रेट छत्तीसगढ़ में निर्धारित होना चाहिए क्योंकि जिन भूमि का अधिग्रहण होता है, चाहे रेल्वे कॉरीडोर के लिये हो चाहे हाईवे के लिये हो चाहे सरकारी उसके लिये हो उसका व्यावसायिक प्रायोजन होता ही है और वैसे ही जमीन बढ़ती है । माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें एक किसान का मामला है तो इसमें कम से कम 10 गुना बढ़ना चाहिए । चाहे तो संशोधन दोबारा ले आयें लेकिन छत्तीसगढ़ के हितों में चूंकि बहुत सारे औद्योगिक घराने छत्तीसगढ़ में आंख लगाकर बैठे हैं वे आयेंगे लेकिन अगर हम केवल रायपुर को एक मॉडल ले लें तो 10 साल पहले नया रायपुर के लिये जो भूमि अधिग्रहित की गयी थी, आज 20 गुना से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ऊपर वहां पर रेट बढ़ गया है । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि हम संशोधन कर रहे हैं, चूंकि यह नियम बनेगा तो अगर संशोधन कर रहे हैं तो उसको कम से कम 10 गुना और भूतलक्षी प्रभाव से होना चाहिए कि भविष्य में क्या होना है इसको लेकर हम करें । मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन को कम से कम 10 गुना करने की कृपा करें ।

श्री पुरूषोत्तम कंवर (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा लाये गये छत्तीगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, भूमि अर्जन में जो मुआवजे का प्रावधान है उसको दुगूना से चार गुना किया गया है यह बहुत ही अच्छा कदम है इससे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की और गांव की दशा सुधरेगी । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोयला खदानों या अन्य उद्योगों के कारण जो विस्थापित परिवार हैं वे तो लंबे समय से हुए हैं, सन् 1972-73 के समय जो बांगो बांध बना था, जो 57 गांव थे । उनमें मिंझवार, मंझवार, बोर, कंवर और जो आदिवासी परिवार और अन्य परिवार विस्थापित हुए हैं और अभी उद्योगों में जो प्रभावित परिवार हैं उनका व्यापक सर्वे करवायें कि वे वर्तमान में कैसे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । यह बहुत आवश्यक है । जो नौकरी के मामले लंबित हैं, 35-40 सालों से लंबित हैं । कटघोरा विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है । वहां नौकरी के मामले 35-40 सालों से लंबित हैं । उनका भी निराकरण की दिशा में माननीय राजस्व मंत्री जी जल्द से जल्द कदम उठाएंगे । इन्हीं मांगों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद् ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा जो एक से चार गुना का प्रस्ताव लाया गया है । अध्यक्ष महोदय, एक बाद यदि किसी किसान की जमीन जाती है तो वह किसान उस जमीन से वंचित हो जाता है । केवल उस जमीन से ही वंचित नहीं होता बल्कि उसकी तमाम चीजें प्रभावित होती हैं । आसपास की जमीन बची रहती है वह भी प्रभावित होती है, उनका परिवार प्रभावित होता है । माननीय मंत्री जी जो एक से चार गुने की बात कर रहे हैं। यह तो कोर्ट का निर्णय है कि कम से कम इतना मिलना चाहिए । अभी यह सरकार अपने आप को किसानों के प्रति संवेदनशील बता रही है । इसमें किसानों के हित की बात करें और यदि हम चाहते हैं कि किसान के परिवार को न्याय मिले तो कम से कम आज जो कानून बन रहा है उसमें चार गुना नहीं बल्कि दस गुना की बात होनी चाहिए । जो किसान जीवन भर अपनी जमीन से वंचित हो रहे हैं उन्हें सही मूल्य मिल सके, वे कहीं विस्थापित हो सकें, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करना चाहता हूं और जैसा कि आदरणीय धर्मजीत जी ने कहा कि आपको थोड़े ही देना । उद्योग आएगा, वह छत्तीसगढ़ में आकर पैसा कमाएगा तो वह देगा । मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो इस प्रस्ताव को वापस ले लें या फिर एक से उस गुना किया जाए या फिर इसमें सुधार करके दस गुने की बात रखी जाए, धन्यवाद् ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा जो संशोधन लाया गया है । हम सब जानते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर लाया गया है । इसमें जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उसे राशि देने के लिए 6 गुना और 10 गुना की बात आई । अभी तक चाहे हमारी सरकार रही, चाहे आपकी सरकार रही, जमीन अधिग्रहित की गई । उद्योग लग गए लेकिन जिस किसान या जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की गई उसे क्या लाभ मिला ? इस विषय पर आप विचार करो । मेरे अपने जिले में सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट लगे हैं । शासन से स:शर्त जमीन अधिग्रहण करने की अनुमति दी, जमीन विक्रय की अनुमति दी । खासकर अनुसूचित जनजाति परिवारों में तो कलेक्टर ने जो जमीन बेचने की अनुमति दी उसमें यह शर्त जुड़ी कि यदि एक हेक्टेयर तक की जमीन ली जाती है तो प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को उस प्लांट में उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी । यदि दो हेक्टेयर से अधिक जमीन ली जाती है तो उस परिवार के दो व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी । लेकिन क्या उसका पालन हुआ । जमीन की रजिस्ट्री हो गई, प्रभावित परिवार के सदस्यों को ठेकेदारों के अंडर नौकरी में दे दिया गया और 2 साल, 3 साल बाद उनको निकाल दिया गया । आप कीमत के निर्धारण के साथ-साथ पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए कि जिस किसान की जमीन जा रही है उसको हम भू अर्जन की राशि दिए जाने के साथ-साथ उसका पुनर्वास कैसे करेंगे । आज स्थित यह बन गई है कि छत्तीसगढ़ का किसान की जमीन की कीमत मिलती है, जमीन चली जाती है । उसका जो सदुपयोग होना चाहिए । यदि मेरी पांच एकड़ जमीन गई, अच्छी कीमत मिली तो हमारी सोच यह होनी चाहिए कि कहीं दूसरी जगह उतनी जमीन खरीद लें । लेकिन 90 परसेंट लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं और एक बार किसान के हाथ से जमीन चली गई और यदि वह यह सोचे कि पांच साल बाद खरीद लूंगा तो छत्तीसगढ़ में दुबारा खरीदना संभव नहीं होगा । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें दो-तीन व्यवस्थाएं और करना चाहिए । पहला तो पुनर्वास की व्यवस्था । जिस उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है उसमें पूरे रोजगार देने की व्यवस्था और किसान को इस बात के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था करें कि उसकी जितनी जमीन महंगी कीमत में जा रही है, दूसरी जगह सस्ती जमीन खरीद सके तो छत्तीसगढ़ के लोगों का हित होगा और जो माननीय धर्मजीत जी ने कहा कि हमारी जेब से या सरकार की जेब से क्या जा रहा है? आप जमीन वितरित करोगे तो। ज्यादातर जमीन उद्योगपतियों की अधिग्रहित होती है। जो उद्योग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगाएगा, वह उसका भुगतान करेगा। यह प्रावधान करने में हमें क्या तकलीफ है? यह प्रावधान किया जाना चाहिए। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ के भू-स्वामियों के हित में।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उद्योग लगाने के लिए हो या सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है, उसके साथ-साथ जिनका भी जमीन जाता है, जिन किसानों का भी उनको उचित न्याय मिले। उनको सही रेट मिले। बाजार मूल्य से चार गुना मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार करना चाह रही है। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। सभापति जी, जब केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार थी। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 लाया था। उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि जिनका भी जमीन जायेगा उनको चार गुना मुआवजा मिलेगा। जमीन के बदले जमीन और एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान था। उसके साथ-साथ 5 साल में अगर उस जगह पर जो अधिग्रहित जमीन है, उसमें अगर उद्योग नहीं लगता तो उसको वापस करने का प्रावधान किया गया था। जब वर्ष 2014 में केन्द्र में एन.डी.ए. सरकार आयी, उस अधिनियम को कमजोर करने का अध्यादेश के माध्यम से लगातार प्रयास किया। लगातार दो-तीन बार अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया। चाहे हमारी केन्द्र में सरकार हो, यू.पी.ए. सरकार हो या छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हो, किसानों का बहुत ज्यादा ख्याल कर रही है और किसानों के हित में निर्णय ले रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक लाया है और छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा लोक हित में पूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसी योजना के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से कारक निर्धारण का मूल्य, जिसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य को गुणांक में किया जा जाना इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को जिनकी जमीन जा रही है उससे कहीं न कहीं बेहतर लाभ मिलेगा। हमने देखा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ जमीन अधिग्रहित करने का प्रयास किया मगर किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। इसीलिए हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने किसानों का विशेष ख्याल करने के लिए यह विधेयक लाया है। इसीलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- दस गुना की मांग कर दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- देखिए, हमने दो की जगह चार गुना किया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- तो दस करेंगे तो और बड़ी बात होगी।

श्री दीपक बैज :- चन्द्रा जी, इसमें दो चीजें है न। दो की जगह चार कर रहे हैं। वापस भी कर रहे हैं। फायदा ही दे रहे हैं डबल-डबल।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति महोदय, आज एक छोटा सा विधेयक लेकर आया गया है परंतु यह विधेयक पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के भविष्य का फैसला करने वाला विधेयक है। इस विधेयक से उस किसान और उसके परिवार के पूरे जीवन-मरण का सवाल है। आप उसमें रेट निर्धारित करना चाहते हैं और अधिग्रहण करेंगे। आपका उसके पीछे जो उद्देश्य है अगर रेट दुगुना कर रहे हैं तो क्या आपने इसका विचार करके किया। आपने कोई कल्पना की या हाईकोर्ट के सीधे मार्गदर्शन से आपने निर्णय लिया। आपने अपने स्वयं का विचार उसमें विवेक छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में लगाया कि केवल मार्गदर्शन के लिए कि हाईकोर्ट के आदेश से आया। ये दो बातें हैं। अगर आपका इसमें स्वयं का विवेक है कि हम किसानों की जमीन का रेट तय करेंगे, न केवल किसान बल्कि उसके परिवार की पूरी-पूरी जिम्मेदारी, उसके सुरक्षित भविष्य को लेकर के हमें रेट तय करना है। रेट तो एक पक्ष होता है। लेकिन उनके पुनर्व्यवस्थापन का भी मामला है। आप देख लीजियेगा, जब ये रेट निर्धारित करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजियेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि पैसा लेकर भी उसका नेरवा उखड़ जाता है, मतलब वह दोबारा नहीं जा पाता है। आपका उद्देश्य किसानों के हित में निर्णय लेना है। तो उसको नौकरी मिल जाये, उसको घर मिल जाये, उसको उचित मुआवजा मिल जाये। जब आप देखेंगे, तभी कर पायेंगे। होता क्या है, व्यवहारिक क्या हो रहा है ? जब आप इसका व्यवहारिक रेट देखेंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन होता है, उसमें दलाल लग जाते हैं। बड़े-बड़े दलाल उसमें लगकर नोटिफिकेशन के बाद भी जमीन खरीदी का काम करते हैं। जब भू-अर्जन के लिए नोटिफिकेशन हो गया, तो जमीन खरीदी-बिक्री बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी दलालों के माध्यम से औने-पौने में खरीदी का प्रकरण करते हैं। आपको उसको भी चैकपाईंट करना पड़ेगा। तभी किसानों के हित में, उसको वह रेट मिल पायेग। यदि आप खरीदी-बिक्री का चैकपाईंट नहीं करेंगे, तो उसके साथ कभी न्याय नहीं हो सकता है। हम जमीन का रेट दो गुना, तीन गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन यह देखने को नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ कि किसानों की जमीन ली गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कहीं पर जमीन की कीमत 15 लाख रूपये दे रहे थे और कहीं ढाई लाख, तीन लाख रूपये में किसानों ने रजिस्ट्री कराया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, सीपत एन0टी0पी0सी0 में हजारों किसानों की जमीन ली गई है। भले ही केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए लिया गया। उनकी जमीन यह कहकर लिया गया कि हम उनको नौकरी देंगे, लेकिन आज तक छः सौ लोगों में से जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्हें किन्तु-परन्तु करके दिया गया, उन लोगों को नौकरी दी गई। बोले हम तो आरक्षण का पालन करेंगे। आपने भू अधिग्रहण किया है, जिस किसान का भू अधिग्रहण किया है, उसमें आरक्षण नियम लागू नहीं होता है। आपने जिन किसानों का जमीन लिया है, उसे तो नौकरी दे देना चाहिए। परन्तु माननीय मंत्री जी, आज तक उन किसानों में लगभग दो सौ किसान आज भी नौकरी से वंचित हैं। वे परेशान हो गए हैं, दिल्ली जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन उनके लिए पहल करने वाला कोई नहीं है। जिला कलेक्टर से बात करते हैं, तो किसानों के हित में बोलने वाला कोई नहीं है। मंत्री जी, आप इस पर ध्यान दीजियेगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर आपको कोई दस्तावेज मिलता है, आपकी जानकारी में ला देता है भू अधिग्रहण नोटिफिकेशन के बाद दलालों के माध्यम से खरीदी किया गया है तो क्या मंत्री जी उसका सही रेट दिलाने के लिए काम करेंगे? आप उनको मदद करेंगे ? आप किसानों की जमीन का रेट निधारित करना चाहते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि जमीन शहर से 10 कलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर तो कोई 100 किलोमीटर दूर पर है, तब उस स्थिति में उस जमीन का क्या रेट तय करेंगे ? मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप रेट का निर्धारण कर रहे हैं तो इस पर कई सदस्यों ने कहा कि दो गुना, चार गुना रेट नहीं, जो किसानों के भविष्य के लिए, जो किसानों के परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सके, उनके आने वाले समय के लिए हो, इस तरीके से रेट का निर्धारण होना है। दोगुना, चारगुना रेट से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 हजार दे रहे हैं, 10 हजार दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि 10 हजार में उसका काम हो जायेगा ? यदि आप उसको नौकरी देंगे तो उसका जीवन बन जायेगा। आप इसको इसके साथ संलग्न कीजिये। रेट निर्धारण के लिए अपनी बात कहकर, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, किसानों ने एन0टी0पी0सी0 को जमीन दी। आजू-बाजू, एकाध-दो किलोमीटर तक उसके राखड़ से खेत ढंके हुए हैं। आप नौकरी नहीं दिए।   जब आप दे ही रहे हो तो 4 का 10 कर दो, आपको क्या दिक्कत है ? जिसको लेना होगा वह लेगा। किसानों का कम से कम भला होगा। न नौकरी देते, न क्षतिपूर्ति देते, न फसल नुकसान होता है, उसका मुआवजा देते, लोगों का चेहरा काला पड़ रहा है, कपड़ा काला पड़ रहा है, घर में कालिख आ गई है। आप इससे बचाओ। 4 का 10 करो। आपको तो सिर्फ बोलना भर ही है कि मैं इस रेट में जमीन खरीदने-बेचने दूंगा। आपको देना नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :-कोरबा के प्रदूषण के कारण ही तो बाल नहीं झड़े हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- कोरबा के प्रदूषण के कारण ही बाल झड़े हैं।

सभापति महोदय :- श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा प्रस्तावित छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 का समर्थन करती हूं । अभी भूमि अधिग्रहण पर बहुत सारी चर्चा हुई है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने विचार रखना चाहती हूं कि भू अधिग्रहण पर जैसा कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि मध्यप्रदेश के समय में जब छत्तीसगढ़ का स्थान आता था तो जब एनटीपीसी, सीपत के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुई थी तो मैंने स्वयं पार्षद रहते हुए आंदोलन खड़ा किया था कि एनटीपीसी को यहां भूमि नहीं दी जाये क्योंकि मैं भविष्य के दूरगामी परिणामों पर चर्चा करना चाहती थी कि उसके प्रदूषण से बिलासपुर के आसपास की सारी कृषि भूमि व्यर्थ चली जायेगी और वहां कृषि कार्य करना दूभर हो जायेगा और साथ ही वहां सारे बांधों का पानी इस प्रकार की परियोजनाओं को दिया जाने लगेगा, जो कि भविष्य में हुआ भी । बहुत सारे ऐसे कोयला आधारित बिजली संयंत्र बिलासपुर जिले के आसपास लग गए और हमारा जो आग्रह था, जैसा माननीय शिवरतन जी ने कहा, माननीय बांधी जी ने कहा, मैं आजतक उस आंदोलन के लोगों से जुड़ी हुई हूं और मुझे मालूम है कि वहां पर 200 लोगों को अभी भी किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी गयी है। जैसा की शिवरतन जी ने कहा है तो मेरा भी स्वयं का विचार है कि जिनको भूमि का मुआवजा बहुत ही ऊंची दर में मिलता है तो उस पैसे को वे बाजार में खर्च कर देते हैं । वाहन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, महंगे मोबाईल खरीद लेते हैं, टी.वी. खरीद लेते हैं और खाया-पीया हजम हो जाता है, जबकि पैतृक रूप से कई पीढ़ी से उसी भूमि से वे कमाते रहते हैं और कृषि कार्य में लगे रहते हैं और उनके परिवार का लालन-पालन होता रहता है। यह देखने में आता है कि जो उस परिवार के वयोवृद्ध सदस्य होते हैं, वे भूमि के मुआवजे को अच्छा नहीं मानते क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चे उस पैसे को ले लेते हैं और इस तरह से व्यय कर देते हैं । मेरा भी निवेदन है, सभी विधायकों से मेरा आग्रह है कि जहां पर भी उनके क्षेत्र में यदि कोई भूमि अधिग्रहण हो रहा है और उसका मुआवजा बंट रहा है तो वहां हम स्वत: एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित होकर उन्हें प्रेरित करें कि कृषि भूमि से मिलने वाले मुआवजे से अन्यत्र कृषि भूमि ही खरीदें, जिससे वे पैतृक व्यवसाय से विरत मत हों और वही कार्य करते रहे और उनकी कई पीढ़ी के लालन-पालन में उस पैसे का उपयोग होता रहे । मैं पुन: कहना चाहूंगा कि मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं । धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) : - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, वह वास्तव में आज की जो आवश्यकता है चाहे वह डेम के लिए हो,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्योग के लिए हो, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह संशोधन मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, उसमें हमें कुछ बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । आज भी आप देखेंगे कि भू अर्जन की जो प्रक्रिया है, कार्यवाही तो हो जाती है, राशि मिल जाती है, लेकिन राशि मिलने के बाद में जो पुनर्वास का मामला है, जो हमारे पुराने डेम बने हुए हैं, उसके पुनर्वास के लिए लोग घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को हम उनको कैसे व्यवस्थित कर सकें, हम उनको बसा सकें या जिनको जमीन देनी है, जो लिखा हुआ है, ऐसे किसानों को उसके बदले में जमीन दे दी जाये, जो उनको पुनर्वास की व्यवस्था के अंतर्गत भवन बनाने की व्यवस्था है, बस्ती को बसाने की व्यवस्था है, जो डूबान क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसे लोगों का मामला वर्षों से लंबित है, यदि उस विषय पर आप कार्यवाही करेंगे और पूरे प्रदेश में एक बार उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है । ये अभी का मामला नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय का मामला है । मेरा आग्रह है कि ऐसे जो प्रकरण हम संशोधन के लिए लाये हैं तो जो हमारे पुराने प्रकरण के लंबित मामले हैं, उसको एक बार आप परीक्षण करवाएं और परीक्षण कराने के बाद में इसको दिखाएंगे कि अभी भी कितने लोगों का मुआवजा बचा हुआ है और यदि बचे हुए हैं तो एक समयावधि के अंतर्गत उसका निर्धारण करें और निर्धारण करने के बाद में यदि उसको हम व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, एक शहर और ग्रामीण एरिया का जो बाजार मूल्य है, उसको आपने दोगुने की बात की है तो आप देखेंगे कि सड़क के किनारे की जो जमीन है और उसके बाद में दो खेत के अंतराल की जो जमीन है, लेकिन जब उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका वेल्यू एडिशन निकालेंगे, उसमें जो किसान है, उसको नुकसान होता है । हम उसकी क्षतिपाई कर नहीं पाते हैं । उस किसान का जमीन हम लोग ले लेते हैं, लेने के बाद में उस किसान का भरपाई होना संभव नहीं होता है । इसलिए इसका आप कैसे निर्धारण करेंगे, उस बात की भी आप चिन्ता करेंगे । फिर आपने किसानों का खेत लिया, खेत का तो आपने मूल्यांकन निकाल लिया, रजिस्ट्री की जो रेट है, बाजार के जो भाव है उसके अनुसार से, अब उसमें तार के जो फेंसिंग लगे हुये हैं, वारवेट वायर लगा हुआ है, उस पर आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके बाद जो मकान बना हुआ है, इन सारे चीजों की आपको वेलवेशन निकालने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उस किसान को क्षति न पहुंचे, बल्कि उस किसान को लाभ दिलाया जा सके । माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में केनॉल के लिए बहुत सारी नहर के लिए जो जमीन निकाली गयी है, मैंने उस दिन प्रश्न में भी इस बात को किया था, आज भी वह मामला बहुत सारे लंबित है, जो भू-अर्जन की कार्यवाही होने के बाद में उनका जो प्रकाशन, प्रकाशन के बाद में मैंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया, इस बीच में आपके जो लिंगाराम होते हैं कि धारा 4 से लेकर, धारा 6 से लेकर, धारा 9 से लेकर, एक्वायर की हुई भूमि का जो भुगतान होना चाहिये, उसमें जो देरी होती है, जिस बात

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

का उल्लेख हो रहा है, आप यदि भूतलक्षी प्रभाव से उसको लागू करेंगे तो किसान को कितना फायदा होगा, आपको भी मालूम है । आपने 6 साल और 8 साल पहले उसका भू-अर्जन कर लिया, नहर बना दिया, सड़क आपने बना दिया, उद्योग को आपने दे दिया, डेम के लिए आपने दे दिया, लेकिन पैसा जो उसको उस समय मिल जाते तो आज उसका जो मूल्यांकन होता और जो खेत खरीदे होते, लेकिन उसी पैसा से आज आप उसके बगल में खेत नहीं खरीद सकते । उतनी जमीन आप वापस उस पैसे से ले नहीं सकते । इसलिए हम लोगों का इसमें आग्रह यह है कि किसान के हित में है, लेकिन किसान के हित में है तो जो किसानों को इसमें नुकसान हुआ है, मंत्री जी यदि भूतलक्षी प्रभाव से इसको आप लागू करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा । जब आप उत्तर देंगे तो मुझे लगता है कि भूतलक्षी प्रभाव से आप लागू कर दें । सभापति महोदय, दूसरा विकल्प यह है कि इसको कम से कम में 6 गुना कर दे । आज की तारीख में यदि देना चाहते हैं, आज यदि लागू करना चाहते हैं तो 6 गुना आप कर दें । यदि 6 गुना करेंगे तो किसानों का वह भरपाई हो जायेगा । यह भूतलक्षी प्रभाव से आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका समर्थन करेंगे । हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी जब इस विधेयक को पारित करने के लिए बात करेंगे, तब दोनों में से कोई एक विषय भूतलक्षी प्रभाव से लागू करें या 6 गुना करें तो हमारा समर्थन रहेगा और सर्वसम्मति का आग्रह करेंगे । मंत्री जी से अभी आग्रह करते हैं कि विचार करें और अपनी बातों को रखें ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

राजस्व मंत्री (श्री जय सिंह अग्रवाल) :-माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1984 को निरस्त करते हुये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 दिनांक 26 सितम्बर 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया । यह अधिनियम पूरे देश में दिनांक 1 जनवरी 2014 से छत्तीसगढ़ सहित लागू हो गया । उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत बाजार मूल्य के आधार पर धारा 30 की उपधारा 2 की पहली अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि का कारक एक सिद्ध हो, निर्धारित करने हेतु शासन को अधिकार दिया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार देय मुआवजा पड़त भूमि के मामले में, 6 लाख प्रति एकड़ असिंचित एकफसली भूमि के मामले में रूपया 8 लाख प्रति एकड़ तथा सिंचित दो फसली भूमि के मामले में 10 लाख प्रति एकड़ मूल्य निर्धारित किया गया है । छत्तीसगढ़ प्रदेश की अधिसूचित परियोजनाओं में विकास योजनाओं हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 428/71/2014 के द्वारा अर्जित की जाने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का गुणांक कारक एक निर्धारित किया गया है । भारत सरकार की अधिसूचित परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के मामलों में मुआवजा निर्धारण हेतु अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2016 के माध्यम से....।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोगों ने आपका पूरा संशोधन विधेयक पढ़ा है आप लंबा भाषण देने के बजाय केवल इधर से जो सुझाव आये हैं उस सुझाव को आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर सीधे आ जाओ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पढ़ लेना, सदन में आज आपका विषय आ ही गया है। आप ये बताओ कि भारत सरकार ने यह बोल दिया है क्या कि दो गुना से ज्यादा नहीं दे सकते? उन्होंने मिनिमम रेट बताया कि कम से कम दो गुना, चार गुना जो भी करना है करिये लेकिन आपको तो छत्तीसगढ़ के हित को देखना है। अडानी, अंबानी और पता नहीं क्या-क्या दुनियाभर के लोग आ गये हैं नोच खा रहे हैं, भैय्या बचाओ और उसको दस गुना करो। नहीं तो यहां का किसान, मजदूर लंगोटी पहनकर घूमेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पक्ष-विपक्ष के जितने लोगों ने भाग लिया, छोटा सा दो गुणित चार का विधेयक है लेकिन इतने माननीय सदस्यों ने यदि भाग लिया मतलब उस छोटे से संशोधन के बाद भी उस विषय की गंभीरता काफी है। विषय की गंभीरता और छत्तीसगढ़ के हित का विषय है मतलब और मैं तो शुरू से आपको किसान नेता बोलता हूं तो आप मान ही लो, वह टेबल हो गया, हमने सब पढ़ लिया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भारत सरकार के अधिसूचित परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के मामले में मुआवजा निर्धारण हेतु अधिसूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 के माध्यम से गुणांक कारण दो निर्धारित है। इसी प्रकार अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड...।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो सब कुछ लिखा हुआ है ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। हम तो आपसे सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि किसानों के हित में दस गुना करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी जगह अगर अमितेश शुक्ला जी होते तो दस गुना करने की घोषणा कर देते।

श्री अमितेश शुक्ला :- सही समय में वह घोषणा भी करेंगे, आप चिन्ता मत करिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर के गणना के लिए भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 की धारा 107 के तहत भू अर्जन से प्रभावित कुटुंबों के लिए अधिक फायदेमंद किसी विधि को नियमित करने हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ने विभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा लोकहित की पूर्ति के लिए.....।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- (श्री अजय चंद्राकर द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर) चन्द्राकर साहब किसानों के इतने हितैषी थे तो आप धारा-135 में क्यों संशोधन कर रहे थे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी, मैंने सभी सदस्यों की बात सुनी है मैं उस पर अभी आगे आ रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उद्देश्य और वित्तीय ज्ञापन तो लगा हुआ है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्र की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 के खंड 3 के माध्यम से, कारक निर्धारण का मूल्य, जिसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, दो निर्धारित करना प्रस्तावित किया गया है ताकि कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावितों को उनकी भूमि का लाभकारी उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। उक्त प्रस्तावित नवीन विधेयक लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्यों ने कहा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब केंद्र में यू.पी.ए. की सरकार थी तो वर्ष 2013 में यह अधिनियम बना। उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इनको लागू करना चाहिए था लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जमीन के मामले में अभी रेलवे लाईन, रोड वगैरह के लिए बहुत सी जमीन अधिग्रहित हुई है। इसके पहले पुनर्वास की जो सबसे ज्यादा समस्या आई, जो जमीनें अधिग्रहित की गईं वह मेरे कोरबा जिले में हुई हैं। चाहे एसईसीएल की खदानें हों, चाहे एन.टी.पी.सी. का पॉवर प्लांट हो, चाहे बाल्को का कारखाना हो, चाहे सी.एस.ई.बी. का पॉवर प्लांट हो उस समय जब भी भूविस्थापितों की बात आई, मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान होगा, जब पिछली सरकार थी तो 02 मई, 2016 में गेवरा जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है उस खदान में भूविस्थापितों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन मैंने किया और उसका नेतृत्व मैंने किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इसीलिये तो आपसे कह रहे हैं आप करिये न।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, दो मिनट बोलने दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, सुन तो रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय उस समय आंदोलन किया। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जिला प्रशासन के मुखिया ने जबर्दस्ती अलग धाराओं के तहत मामले बनाये। हम लोगों के ऊपर फर्जी मामले बनाये गये जो आज भी लंबित हैं। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बार भू स्थापित लोग आंदोलन करते रहे। उनकी बातें नहीं सुनी गई। माननीय तात्कालिन मुख्यमंत्री जी जब भी कोरबा प्रवास पर गये, कलेक्टर पुनर्वास की एक फर्जी बैठक करते थे। उसका निर्णय आज तक नहीं हुआ। हम लोग सब चीजों को, जो पहले नहीं हुए उन कामों को करना चाहते हैं। अभी जो लागू किया गया है, मेरा निवेदन है...(मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी इसीलिये तो आपको मौका मिला है, दस गुणा कर दीजिये न। लोग उससे प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, अब आपको मौका मिला है, दस गुणा कर दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी सरकार ने दिल्ली में कायदा बनाया, प्रश्न आज ये भी नहीं है कि कौन पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने इसको पूरा नहीं किया। आज प्रश्न ये है कि आप सरकार में बैठे हैं। किसानों की बात कह रहे हैं, किसानों के नाम पर आपकी सरकार बनी है। किसानों की जमीन को उनको हक देने की बात आ रही है तो आप खाताबही देख रहे हैं। दो का चार कर रहे हैं, दो का दस करने में आपको क्या तकलीफ है। इस प्रदेश में एक लाख करोड़ रूपये का बजट है, अगर किसानों का आपको रेट फिक्स करना है कि एक रूपये का चीज दस रूपये में मिलेगा तो आपको क्या तकलीफ है ? सरकार के ऊपर वित्तीय प्रबंधन और भार कहां बढ़ रहा है। जो आयेंगे रेलवे ट्रैक बनाने, हवाई अड्डे बनाने, खदान खोलने, इलेक्ट्रीसिटी का पावर प्लांट खोलने, बालको का पावर प्लांट लगाने, और जो भी लगायेंगे वे लेंगे । आपको क्या तकलीफ है ? ये अनिल अग्रवाल, अंबानी, अडाणी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत है। इसलिए आप इसको एक का दस करिये। छत्तीसगढ़ के किसानों को हम इस तरह से लूटने नहीं देंगे। माननीय मंत्री जी आपको इसको एक का दस करना पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अभी आपने बताया कि आपने आंदोलन का नेतृत्व किया। समस्या का व्यावहारिक ज्ञान पूरी तरह से है। इसलिए नेतृत्व किया तो उसमें तो कुछ कीजिये। आपको करना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सभापति महोदय, आप घोषणा करिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार तो पड़ ही नहीं रहा है।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी, बैठिये, बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, तात्कालिन आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के तहत तात्कालिन सरकार बड़े बड़े ....।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हमको कोई सरकार से मतलब नहीं है। दिल्ली में कौन सरकार है, प्रदेश में कौन था। अभी इस सरकार से मतलब है।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ चुकी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 10 गुना कराना है, आप भी मदद करिये न। आप भी तो किसान हैं।

सभापति महोदय :- दो दो तीन तीन बार बात कही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम अभी ग्यारह बार करेंगे। क्योंकि हमको किसानों के बारे में बात करना है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, दस गुना होगा तो किसान का भला होगा । सरकार कंगाल नहीं होगी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, खाली सदन में पास कर दिये 10 गुना कर दो।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, शर्मा जी आंसू बहा रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- सभापति महोदय, ये लोग किसानों का जीना हराम कर दिये थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी किसानों को छला, इसलिये हम बहिष्कार कर रहे हैं।

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी एवं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।</u>

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा तथा माननीय श्री धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के सदस्यों द्वारा

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

श्री दीपक बैज :- सभापति महोदय, विरोध कर रहे हैं उधर न की आवाज भी नहीं आ रही है। विरोध कर रहे हैं और न भी नहीं बोल पा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, आप लोग किसानों को उचित मूल्य नहीं दिलाना चाहते हो। इसलिये हमने आपके प्रस्तावों का विरोध किया। इसको पूरा प्रदेश देख रहा है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, उधर विरोध कर रहे हैं और न की भी आवाज नहीं आ रही है। विरोध कर रहे हो और न भी नहीं बोल पा रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोग किसान को उचित कीमत नहीं दिलाना चाहते हो। इसलिए आपने हमारे प्रस्ताव का विरोध किया है। (व्यवधान) और इसका परिणाम आप लोगों को भोगना पड़ेगा।

श्री दीपक बैज :- आप लोग 15 सालों तक बहुत चिंता किये, इसलिए आप लोगों को उसी का परिणाम उधर मिल गया है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप प्रस्ताव करिये।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- माननीय बांधी साहब, आप लोग विरोध करके बाहर जा रहे हो। न बोलने के लिए आवाज भी नहीं कर रहे हो। जोर से चिल्लाना है न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, धीरे-धीरे ऐसी छोटी-छोटी बातों से इधर आ जाओगे। ऐसे ही आ जाओगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, प्रजातंत्र में डण्डा थोड़ी चलाना पड़ता है। (व्यवधान) के रूप में हमने विरोध कर दिया।

श्री दीपक बैज :- धर्मजीत भईया नहीं। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। आप विरोध भी कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। आप जोर से न भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपको न तो कम से कम जोर से बोलना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- गला खराब करने के लिए क्यों बोलें।

समय :
2:47 बजे

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) **तारांकित प्रश्न संख्या - 2 (क्रमांक - 36) के उत्तर से उद्भुत विषय**

सभापति महोदय :- दिनांक 15 फरवरी, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय आदिम जाति विकास मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-2(क्रमांक-36) के उत्तर से उद्भुत विषय पर श्री अजय चंद्राकर, चर्चा उठायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस लोक महत्व के विषय में और छत्तीसगढ़ में हमारे वनवासी बंधुओं के लिए मैं दिनांक 15 फरवरी, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय आदिम जाति विकास मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-2(क्रमांक-36) के उत्तर से उद्भुत विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस पंचम विधान सभा में आपने हमारे वनवासी और आदिवासी बंधुओं से संबंधित विषय पर विषय की गंभीरता को देखते हुए जो चर्चा स्वीकृत की उसके लिए पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। टी.आर.आई.(ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) एक एकेडमिक संस्था है, जो वनवासी बंधुओं और आदिवासी बंधुओं के जीवन में परिवर्तन के लिए और उनके प्रशासनिक चल रहे विकास कार्यों के लिए प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने लिखा है उन विषयों में काम करती है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने उस दिन भी प्रश्न में किसी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये थे। इस प्रश्न को आपने स्वीकृत किया, उसके लिए धन्यवाद देने के पीछे आशय ये है कि जो आदिवासी बंधु हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए जो काम करना है, वह प्रभाव दिखे। हमेशा ये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उत्तर आ जाता है कि ये सरकार थी, वो सरकार थी, ऐसी सरकार थी, वैसी सरकार थी, जो भी सरकार हो, जैसी भी सरकार हो, पर हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी बंधु 29 प्रतिशत हैं। इससे कोई नहीं नहीं बोल सकता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं बिल्कुल छोटी-छोटी बात पूछूंगा और आपसे ये आग्रह करूंगा कि मुझे उत्तर मिल जाए। जहां से वह बात शुरू हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चर्चा की ये है कि इसमें किसी तरह के आरोप-प्रत्यारोप, जांच की मांग नहीं है और इसमें यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुचेंगे तो प्रदेश के 29 प्रतिशत वनवासी बंधु हैं, उनके हितों की अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की लोगों की कुल मिलाकर यदि हम कहें तो प्रदेश के 93-94 प्रतिशत आबादी के हितों की रक्षा कर सकेंगे। आपने जो प्रश्न के उत्तर में जितने विषय टी.आर.आई. के बताये हैं मैं उसी विषय पर केन्द्रित रहकर और उससे संबंधित विषयों पर ही केन्द्रित रहकर, अपने विषय को शुरू करता हूं । मेरा पहला प्रश्न है जहां ये आधे घंटे की चर्चा सौंपी गई, जो जनजातीय शब्दों को हम यथावत स्वीकार कर लेते हैं और उसके कारण जो जनजातीय शब्दों में विभेद होता है और जो विभेद होता है, उसके कारण उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उस विभेद के कारण नहीं मिलता। पिछली सरकार ने कितनी जातियों के विभेद को सुधारने के लिए भारत सरकार में प्रस्ताव भेजा और भारत सरकार में अब तक क्या कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही के क्रियान्वयन के लिए विभाग क्या कर रहा है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, टी.आर.आई. (आदिम जाति रिसर्च इंस्टिट्यूट) जैसा कि इसको सब जानते हैं और यह आदिवासियों के हित के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए उसमें सब पूरा सर्वेक्षण करता है, उसके उपरांत जो भी आवेदन पत्र उसमें आते हैं, कुछ ऐसे आवेदन पत्र आते हैं जिनको की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उसको शामिल किया जाये। उसमें जब कोई आवेदन पत्र आता है तो उसका पूरा परीक्षण होता है। परीक्षण करने के उपरांत टी.आर.आई. खुद भारत सरकार को नहीं भेजता है, टी.आर.आई. विभाग को भेजता है और विभाग भारत सरकार को भेजता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अपने प्रश्न को सुधार लेता हूं। टी.आर.आई. ने काम करके विभाग को दिया और विभाग ने कितने को दिल्ली भेजा और दिल्ली में उसको स्वीकृत कराने के लिए आगे के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? यह सुधार लेता हूं, ठीक है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही बता रहा हूं। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 2008-09 में 3 प्रस्ताव भेजे गये थे, उसमें एक 'खड़िया' को अंतिम रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2009-10 में 2 प्रस्ताव भेजे गये थे, वह दिल्ली में लंबित हैं, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। वर्ष 2010-11 में एक प्रस्ताव भेजा गया था। क्या उसमें तारीख भी बताना है कि कब-कब भेजे गये थे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बताते जाईये, मैं पूछना होगा तो पूछ लूंगा, यदि मुझे जानने लायक होगा।

सभापति महोदय :- उसकी जरूरत नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, 2011-12 में 6 प्रस्ताव भेजे गये थे, उसमे से दो अबुझमारिया और पहाड़ी कोरवा को शामिल किया गया। वर्ष 2013-14 में 4 प्रस्ताव भेजे गये थे, 2014-15 में 4 प्रस्ताव भेजे गये थे, 2018-19 में 01 प्रस्ताव भेजा गया था, इस प्रकार के कुल 22 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये थे।

माननीय सभापति महोदयय, अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2007-08 में 3 प्रस्ताव भेज गये थे, उसमें एक 'तुर्री' को अंतिम रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2011-12 में 01 प्रस्ताव भेजा गया था, वर्ष 2013-14 में 02 प्रस्ताव भेजे गये थे, उसमें से 01 को शामिल किया गया। सईस, सहिस, सारथी, सुदसारथी और थनवर, ये जाति को उसमें अंतिम रूप में दिया गया। वर्ष 2014-15 में दो प्रस्ताव भेजे गये थे, 2015-16 में एक प्रस्ताव भेजा गया था, अनुसूचित जाति के कुल 9 प्रस्ताव भेजे गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपसे यह पूछा था कि जो मात्रात्मक या वर्तनी त्रुटि होती है उसके सुधार के लिए आपने कितने प्रस्ताव भेजे हैं? वह प्रस्ताव तो मुझे मालूम है, चलिये आपने और बता दिया, मैंने सुन लिया, पर मात्रात्मक त्रुटि जो परंपरागत रूप से आ रही है, उस वर्तनी त्रुटि को सुधारने के लिए कितने प्रस्ताव आपने भेजे हैं? भारत सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और आपने अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मात्रात्मक त्रुटि के लिये वर्ष 2014-15 में 10 प्रस्ताव भेजे गये थे और दसों प्रस्ताव अभी लंबित हैं ।

अजय चंद्राकर :- भारत सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है या आपने कोई पत्र लिखा है, आपने कोई कार्यवाही की है ? मात्रात्मक त्रुटि ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 में मात्रात्मक त्रुटि के लिये 10 प्रस्ताव यहां से अनुशंसा करके भेज दिया गया है । आपके दिल्ली में अभी वह लंबित हैं और जो जानकारी मिली है उसमें लंबित में से एक केबिनेट द्वारा अनुमोदित है धांगड़ उसकी अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जो विषय है । इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने प्रयास ही नहीं किये हैं । चाहे वह टी.आर.आई. के माध्यम से करे, चाहे विभाग करे ।

सभापति महोदय :- आपका जवाब आ गया है ।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरा केवल एक प्रश्न हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें न, कोई दिक्कत नहीं है ।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं विभाग वगैरह के उत्तर में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि वे स्वयं अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, वे विशेष समुदाय के लोग हैं । खैर मैं जातिगत बातें ज्यादा नहीं करता । माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि टी.आर.आई. ने 2 साल में, 3 साल में बता दीजिये । आपको जो सुविधाजनक लगे वह बता दीजिये । क्या आपने किसी प्रोजेक्ट का अध्ययन करवाया कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया ? आप कोई भी एक शासकीय योजना बता सकते हैं, मैंने कोरबा जिले में अध्ययन करवाया या धमतरी जिले में अध्ययन करवाया । सरगुजा आपके ईलाके में होगा, श्री धर्मजीत जी जो बैगा, पंडो की बात उठाते हैं । कितनी शासकीय योजनाओं का या एक जगह में अध्ययन कराया होगा और इस योजना के बाद उसके जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आये हैं यह मुझे बताने का कष्ट करेंगे और पिछली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उस योजना के बाद क्या अपनी नीति और कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन किया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर उसका मूल्यांकन होता रहता है ।

अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, यह मालूम है । मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी एक बता सकते हैं । मैंने आपसे 3 साल का पूछा, एक साल का, दो साल का, कोई एक-दो प्रोजेक्ट का, मैंने जगह का नाम भी बताया कि आपने अध्ययन करवाया और उसके जीवन में उस योजना से यह परिवर्तन आये ? मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे देता हूं कि मान लो हम असाध्य पंपों को बिजली देते थे या आप बीज देते थे या आप उसको वस्त्र देते थे इसके लिये आप जो भी योजना करते थे तो इतने दिनों से जब यह योजना चालू हो रही है तो क्या आपने अध्ययन करवाया ? टी.आर.आई. ने कितने अध्ययन किये ? एकाध तो बता सकते हैं, मैं नहीं बोलता कि आप विस्तृत रूप से 1-2 को बता दीजिये । आपने अध्ययन किया और टी.आर.आई. के अध्ययन के बाद आपने नीति और कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किया या उसको डस्टबिन में डाल दिया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के विशेषज्ञों को यहां पर बुलाते हैं और उनकी कार्यशाला होती है । उसमें आदिवासियों के स्वास्थ्य, कुपोषण की समस्या, कारण और निदान किस प्रकार से हो ।

अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से प्रश्न कर रहा हूं । यदि आप भारत सरकार के विशेषज्ञों को बुलाते हैं, आपने जो कहा उसे मैं भी जानता हूं । मैं जो नहीं जानता हूं, वह मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपके विभाग को और उस संस्था को जो करना चाहिए वह पूछ रहा हूं । मैं फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूं, एक लाईन और जोड़ देता हूं कि आपके अध्ययन में कितने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मानवशास्त्री शामिल थे, आप मुझे एकाध लाईन बता दीजिये । इस अध्ययन में इतने मानवशास्त्री शामिल थे और इस प्रोजेक्ट का अध्ययन किया जिसका परिणाम उसके जीवन में दिखा पंडों का या बिरहोर का या कमार का या किसी भी आदिवासी जीवन-स्तर उस योजना से ऊपर आया, यह टी.आर.आई. का काम है । आपने 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में कभी भी करवाया हो तो कोई एक चीज तो बतायें और क्या उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाला, कोई भी सरकार हो ।

सभापति महोदय :- एक साल, दो साल, तीन साल तो इनको हुआ ही नहीं है।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इसमें आपत्ति है । आपका थोड़ा सा संरक्षण चाहिए ।

सभापति महोदय :- संरक्षण क्या ? आप तो दो साल, तीन साल का पूछ रहे हैं ।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, टी.आर.आई. वर्ष 2004 से बनी है । टी.आर.आई. पर प्रश्न है, यह अवधि पर प्रश्न नहीं है ।

सभापति महोदय :- बनी होगी लेकिन आपने एक साल, दो साल, तीन साल कहा न ।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह टी.आर.आई. पर प्रश्न है और मैं यह पूछ रहा हूं कि आप टी.आर.आई. में कोई भी एक प्रोजेक्ट बता दें जिसमें अध्ययन किया हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न सरकार से है और छत्तीसगढ़ की सरकार 18 साल से चल रही है । कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है यह महत्वपूर्ण नहीं है । यह प्रश्न छत्तीसगढ़ की सरकार से है ।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी, बतायें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, हम उसमें बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे, अगर पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं की, इस तरह की राजनीतिक बात न करें । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैंने आपसे यह कहा कि आप बेहतर ढंग से करेंगे, पिछली सरकारों ने किया या नहीं किया, यह मेरा विषय बिल्कुल नहीं है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा है कि बेहतर ढंग से करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैंने एक लाईन पूछी कि आपने कोई अध्ययन करवाया क्या, अगर करवाया हो तो कितने मानव शास्त्री थे ? एक नीतिगत बात है कि उसका प्रभाव आदिवासियों के जीवन में क्या दिखा और क्या आपने उस रिपोर्ट के आधार पर, पिछली सरकारों ने या आपने कोई नीति, कोई कार्यक्रम बनाया क्या । हां या नहीं, बता दें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, वही तो मैं बता रहा हूं ये सुनना ही नहीं चाहते हैं । सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन कैसे होता है । शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो उत्तर में लिखा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कहां लिखा है, यह तो मैं बता रहा हूं । अनुसूचित जातियों को ऋण की उपलब्धता के बारे में मूल्यांकन होता है । (अस्पष्ट) विशेष रूप से कमजोर जनजाति परिवारों में, उनके आवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था का मूल्यांकन होता है, आदिवासी क्षेत्र में संचालित आईसीडीएफ संचालन की स्थिति का मूल्यांकन होता है । इस तरह सारी चीज का मूल्यांकन करते हैं और जहां कमी है उसकी पूर्ति करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, सर, सर । इस चीजों का मूल्यांकन करते हैं, मैं सहमत हूं । मैंने आपसे कहा कि आदिवासी योजना, आदिवासी उपयोजना में टीआरआई का काम, उनके लिए चल रहे विकास कार्यों का अध्ययन करना है । आपने लिखा है यह उत्तर में है कहा । आपने किसी एक योजना का कभी अध्ययन करवाया है कि जो टीआरआई का मूल काम है । मैंने आपको उदाहरण दिया कि असाध्य पम्पों के ऊर्जीकृत करने के लिए मान लो, मैंने मान लो कहा ना, न मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, न मैं किसी का विरोध कर रहा हैं । एकेडेमिक बात है। तो उसका आदिवासियों के जीवन पर, पिछड़े वर्ग के जीवन पर या अनुसूचित जाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक उदाहरण के तौर पर बताया । क्या आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट अध्ययन करवाया है क्या, हां या नहीं में बता दीजिए ? यदि करवाया हो तो उसके प्रभाव बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाउंगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपका सुझाव अच्छा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, जानकारी मांग रहा हू।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हम इसका पूरा मूल्यांकन करवाएंगे । जिन जिन में मूल्यांकन होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जानता हूं उसको ।

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी आपने कहा कि करवाएंगे । चलिए बात खत्म हो गई । जब मंत्री जी ने बोल दिया कि करवाएंगे तो आप क्या पूछना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि आप आसंदी में हैं । लेकिन यह जनहित का विषय है और आपने कहा कि करवाएंगे । मैं तो 18-20 सालों से देख रहा हूं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बोल तो रहे हैं कि करवाएंगे । अभी उनको 60 दिन पूरा हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो रमन सिंह जी की सरकार में करवाया हो तो उसको भी बता दें, नहीं करवाया हो तो उसको भी बता दें । चलिए साहब आगे पूछ लेता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं बता रहा हूं ना ।

सभापति महोदय :- चलिए वे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ लेने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं आपसे एक गुजारिश के साथ कहूंगा कि मुझे उत्तर दिलवा दीजिएगा । पहले दो प्रश्नों का तो आपने नहीं दिलवाया । मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद कितनी जनजातियां मिली हैं, छत्तीसगढ़ को । उस अधिसूचना में 10, 20, 30, 40 50 जो भी होंगी । उनमें से छत्तीसगढ़ मूल के जो नहीं हैं, उनको आपने विलोपित करने के लिए कोई कार्यवाही की है क्या । छत्तीसगढ़ में कितने लोग मिले । आज 18 साल, 20 साल हो गए जो यहां के लोग नहीं हैं । मैं उदाहरण दे दूंगा । सहरिया यहां के लोग नहीं हैं, भील यहां के नहीं हैं, कोरकू यहां के नहीं हैं, सार यहां के लोग नहीं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अनुसूचि में ये शामिल चले आ रहे हैं तो उनके विलोपन के लिए या उसको जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे या विलोपन के लिए आपने कोई कार्यवाही की है क्या या आगे करेंगे क्या । अभी तक कोई कार्यवाही की है तो उसको बता दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप खुद ही बोल रहे हैं कि टीआरआई का गठन 2004 में हुआ है तो 2004 के बाद ही इसमें कोई कार्यवाही होगी ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा प्रश्न मैं फिर दोहरा देता हूं । मध्यप्रदेश की अधिसूचना हमने ज्यौं की त्यौं एडॉप्ट की, यह 40, 42, 50 जातियां हैं । जो छत्तीसगढ़ में आती हैं । उनमें से छत्तीसगढ़ ने अपनी सूची बनाई क्या कि जो यहां के आदिवासी नहीं हैं उनको उस अधिसूचना से विलोपित करने के लिए कोई कार्यवाही की है क्या या करेंगे क्या ? एकदम सीधा सादा प्रश्न है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के समय जो आदिवासी थे और विभाजन के बाद अगर यहां नहीं हैं तो उसका विलोपन किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सैद्धांतिक बात नहीं पूछ रहा हूं। आपने किया है, नहीं किया है, करेंगे या एज इट इज रखेंगे, यह पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी नहीं किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा बोलिए न।

सभापति महोदय :- और आगे करेंगे क्या? आगे करेंगे क्या बता दीजिए?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसका परीक्षण कर लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो वह भी करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। चलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भुजिया है और जो पंडो है, उसको छत्तीसगढ़ राज्य शासन में किसके राज्य में और कौन से समय मैं यह नहीं बोलूंगा, उसमें यह पॉलिटिकल हो जायेगा क्वेशचन और मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं करना चाहता। जो इनको राज्य शासन ने P.V.T.G. Particular Vulnerable Tribal Group पूछ लेंगे, समझ जायेंगे। उसका दर्जा राज्य शासन ने दो लोगों को दिया है। आप केन्द्र सरकार में उसको मान्यता के लिए कोई कोशिश किये हैं, करेंगे। नहीं किया है। नहीं करेंगे। यह बिल्कुल पाइण्टेड दे दीजिए जैसा मैं पाइण्टेड पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- दो जो पण्डो और पहाड़ी कोरवा इसका राज्य के द्वारा प्रयास होता है और बाकी के लिए प्रयास करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, बहुत पाइण्टेड है कि आपने मतलब मैंने सरकार से पूछा। मैंने नाम नहीं लिया इसकी सरकार में। मैं कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। आपने अब तक क्या-क्या कोशिश किया है और क्या आगे करेंगे? मैं यह पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हम लोग यहां से कई प्रस्ताव भेजते हैं लेकिन कई प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एकाक ठोक तारीख बता दीजिए। जैसे उसमें तारीख बता रहे थे कि हमने इतने प्रस्ताव भेजे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भुजिया और पण्डो...।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, वह मालूम है। आपने..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भेजा गया था और वह अमान्य हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, आपकी सरकार ने हमने उनने नहीं कहा..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं-नहीं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसको दिल्ली से भी मान्यता मिल जाए उसके लिए प्रयास कब-कब किये हैं, यह बता दो। रिजेक्ट हो गया, यह नहीं पूछा। मैंने यह पूछा है कि कब-कब प्रयास किये हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं-नहीं। बता दिया न। माननीय सभापति महोदय, ये भुजिया और पण्डो के विषय में यहां से भेजा गया था और वह भारत सरकार से अमान्य हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक।

सभापति महोदय :- बस माननीय मंत्री जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी दस मिनट हुआ है। मैं भी घड़ी देख रहा हूं। आधे घण्टे का आपने समय दिया है।

सभापति महोदय :- कोई विषय ही नहीं रहा न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- विषय कैसे नहीं रहा जी। किसी का उत्तर ही नहीं आया। आप यह बताइये..।

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी क्या आप माननीय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि मैं आरोप-प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। एक एकेडमिक चर्चा हो रही है। मैं उसको घेर नहीं रहा हूं। आपने नहीं कहा मैं बैठ गया चुप-चाप। वह प्रदेश की जनता जाने। जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं, उनके जो हित है वे अपने-अपने हित जानेंगे। इतना अवेयर बनेगा। तो मैं जो पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय बोलियां कितनी हैं और उसका कितने का श्रेणीकरण किया है। उसके मजबूतीकरण के लिए टी.आर.आई. ने या अनुसूचित जनजाति विभाग ने क्या-क्या किया? संस्कृति के प्रभाव से वे बोलियां लुप्त हो रही हैं। कितनी बोलिया हैं? और कितनी बोलियों में टी.आर.आई. ने अध्ययन किया है या नहीं किया है या अध्ययन करने की कोई योजना है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, बोलियों का जो अध्ययन होता है वह तो सतत् प्रक्रिया है। चलता रहता है। सरगुजिया है, कुडुक है, झारिया है। यह तो चलता रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको क्या पूछा हूं ? फिर से पूछ देता हूं। यह पूछ देता हूं कि कितनी बोलियां लुप्त हो गई हैं? यह पूछ देता हूं कि कितने बोलने वाले हैं? फिर लंबा होगा। आपने उनके संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रयास किये हैं ? आपने किताब छपवाई होगी। आपने व्याकरण बनवाया होगा। आपने उसके सिलेबस बनवाये होंगे। आपने उसके पढ़ाने के कोई संस्थान खोले होंगे। मैंने यह पूछा कि आपने उनके संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रयास किया? यह सतत् प्रक्रिया है। आपके कामों में शामिल है, मैं यह जानता हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है और इसके लिए हम लोगों की जो स्थानीय बोली है चाहे आपका गोंडी हो, भरथरी हो, सरगुजिया हो, कुडुक हो। इन सबके लिए एक किताब छपवाई है। उसका व्याकरण बनवाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा कि संरक्षण के लिए क्या-क्या कार्य किये हैं, कितनी बोलियां लुप्त हो गई हैं या नहीं हुई हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कुडुक बोली में वार्तालाप संक्षिप्त का हिन्दी भरथरी शब्दकोष, हिन्दी भरथरी वार्तालाप संक्षिप्त का हिन्दी हलबी शब्दकोष। हिन्दी परजा शब्दकोष। सागरी बोली में वार्तालाप संक्षिप्त का, हिन्दी गोंडी में वार्तालाप संक्षिप्त का हिन्दी गोंडी शब्दकोष परजा बोली में वार्तालाप संक्षिप्त का हिंदी दोरली वार्तालाप संक्षिप्त का हिन्दी दोरली शब्दकोष। हिन्दी हलबी वार्तालाप संक्षिप्त का और हिन्दी गोंडी धमानी, माड़िया इन सब पर कार्यवाही चल रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे सदस्यों का नाम बुलाईयेगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न कर लेता हूँ। जाति प्रमाण-पत्र की छानबीन करना, मेरा इसमें कोई आरोप नहीं है। परन्तु जाति प्रमाण-पत्र की जांच में आपके पास कितने मानवशास्त्री हैं ? उसमें कितने सदस्य हैं ? जाति प्रमाण-पत्र में कितने मामलें लंबित हैं, कितने दिन से लंबित है और उसमें कितने में छानबीन हुई है और छानबीन में कितना समय लेंगे ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जाति प्रमाण-पत्र की छानबीन पहले टी0आर0आई0 के यहां होता था। लेकिन अब यहां से हटाकर जिलों में कर दिया गया है। अब वहीं छानबीन होती है। उसकी सतत प्रक्रिया चलती रहती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि छानबीन जिलों में होती है। आपके अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि शिकायतों की जांच टी0आर0आई0 करती है। मैं अभी भी कह रहा हूं। आप मुझे इस विषय भर में निर्देश दिखा दें कि जिले में यह कमेटी बनी है जो छानबीन करती है। आप मुझे बता दें कि इस तारीख को उसको कान्स्टीट्यूट किया गया और ये-ये मेम्बर हैं। हर जिले में कितने प्रकरण हैं बता दीजिये ? आप प्रदेश स्तर में नहीं बता रहे हैं आप जिले में चल दिए तो आप मुझको जिला स्तर पर बता दीजिये कि प्रत्येक जिले में कितने मानवशास्त्री लोग हैं ? आपने क्या प्रक्रिया सुनिश्चित की है ? जातियों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में कितने आवेदन लंबित हैं ? जब आप जिले को दे दिए हैं तो।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कमेटी जो बनती है ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बनती है नहीं, आपने कहा कि जिले को दे दिया गया है। इसलिए आप बताईये कि जिले में कौन-कौन करते हैं और कितने जिले में कितने प्रकरण लंबित हैं ? उसको कौन-कौन करते हैं ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जिले में सत्यापन कमेटी होती है, सत्यापन करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे शब्दों में नहीं उलझना है। मेरा मामला छोटा सा और पाईंटेड है कि फर्जी जाति की छानबीन कमेटी में कितने मानवशास्त्री हैं, यह पूछा ? प्रदेश स्तर पर कितने मामलें कब से लंबित हैं ? कितने निराकृत कर दिए और बाकी का कब तक निराकरण करेंगे ? यह मैंने पूछा। आपने कहा कि जिला स्तर में दे दिया गया है। तो जिला स्तर पर कौन सी कमेटी कब कान्स्टीट्यूट हुई, कौन-कौन से जिले में कितने मामलें लंबित है और कितना जांच हो गया है, यह बता दीजिये ? मेरा मानना है और मैं इसमें कायम हूँ कि जिला स्तर पर कोई छानबीन नहीं होती है। यदि आप कह रहे हैं तो मैं आरोप-प्रत्यारोप में हूं। आप मुझे बताईये कि कब, कौन से निर्देश से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कमेटी कान्स्टीट्यूट हुई ? यदि आप प्रदेश स्तर का नहीं बता सकते हैं तो आप कोई दो जिला बता दीजिये, चार जिला बता दीजिये ? कितने मामलें लंबित हैं और कितने की जांच कितने दिन में उसको निराकृत करना है ? आपके निर्देश क्या हैं ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह तो टी0आर0आई0 का था। जाति प्रमाण-पत्र का इसमें था ही नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब देखिये, माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आखिर फिर उल्टा उत्तर आ रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, मेरी एक मिनट सुनिये। आपका मूल प्रश्न है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिमजाति इन्स्टीट्यूट रिसर्च का गठन कब हुआ ? मंत्री जी ने बता दिया। उनका उद्देश्य क्या है ? मंत्री जी ने लिखित में जवाब दे दिया। अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। माननीय दूसरे सदस्य कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, एक मिनट। आपने प्रश्नों को पढ़ा। 7 उद्देश्य बताये हैं, फिर आप आसंदी से उनको भी पढ़ दीजिये। मैं यदि उसके बाहर प्रश्न कर रहा हूँ, आपकी व्यवस्था पर मैंने आधे घंटे की चर्चा का लगाया है।

सभापति महोदय :- आप बहुत व्यापक प्रश्न कर रहे हैं। आप पूरे प्रदेश आंकड़े मांग रहे हैं, कहां से दिए जायेंगे ? देखिये, प्रश्न व्यापक मत कीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं व्यापक नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप प्रदेश के आंकड़ें मांग रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, आप सुन लीजिये। मैं फिर से दोहरा देता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। अध्यक्ष जी, कल आसंदी से यह व्यवस्था आई है कि यदि प्रश्नों में मंत्री का जवाब है तो उस जवाब के आधार पर हम पूरक प्रश्न कर सकते हैं। यह व्यवस्था कल अध्यक्ष जी ने दी।

सभापति महोदय :- लेकिन व्यापक प्रश्न करने का कहीं निर्देश नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी की व्यवस्था है।

सभापति महोदय :- मैं आसंदी से ही बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा विस्तृत प्रश्न नहीं हो सकता है। व्यापक प्रश्न कैसे होगा ? कृपया सदन की कार्यवाही में सहयोग करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, मैं संक्षिप्त कर देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जिस दिन प्रश्न लगा, यदि मंत्री जी का समुचित उत्तर आ गया होता तो आधे घण्टे की चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। आधे घंटे की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चर्चा का आशय ही यह है कि जो प्रश्न हैं, वे सारे क्लीयर हो जायें और मंत्री जी का संक्षिप्त रूप से जवाब आ जाये।

सभापति महोदय :- लेकिन, व्यापक प्रश्न न पूछे। प्रश्न व्यापक है, माननीय नेता जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- जो उद्भुत हो रहा है, उतना आ जाये।

सभापति महोदय :- पूरे प्रदेश की जानकारी मांग रहे हैं। मंत्री जी अभी कहां से देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न कर देता हूं । मैंने पहले ये पूछा कि मेरी जानकारी के हिसाब से टी.आर.आई. जांच करती है, उसमें कितने मानव शास्त्री हैं, कितने मामले पेंडिंग हैं और पेंडिंग मामले को कब तक निपटा देंगे, मेरा ये प्रश्न टी.आर.आई. से संबंधित था ? फिर माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि जिले को छानबीन करने के लिए दी गई तो मैंने इतना ही पूछा कि आपने जिले को कब, कांस्टीट्यूट की कौन सी कमेटी को दिया, एकाध-दो जिले का ही उदाहरण बता दें, जिसमें कितने मामले लंबित हैं और कब तक जांच कर देंगे, मैंने यह मंत्री जी के ऊपर ही छोड़ा कि कोई भी एक जिले बता दें ? मैंने 27 जिले का बिल्कुल नहीं पूछा है । अब आप दोबारा खड़े होकर बोले कि ये काम टी.आर.आई. का है तो फिर वे टी.आर.आई. के लिए खुद आ गए । मैं उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं, आप सहमत हो जाएंगे कि ये फर्जी जाति प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है और 50 लोग जेल गए हैं, 50 लोगों की नियुक्तियां रद्द हो गई हैं, छत्तीसगढ़ के जो मूल पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका अधिकार मारा जा रहा है और ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और प्रश्न की महत्ता इसलिए ज्यादा है कि मैंने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया कि आप सही कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया तो यदि आपके पास टी.आर.आई. है तो वह बता दें, नहीं तो आपने जिले में कौन सी कमेटी कब कांस्टीट्यूट की ? कोई एक जिले का सैम्पल मुझे बता दीजिए और मैं अपना विषय समाप्त कर दूंगा, फिर आप दूसरे को अवसर दे दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने ये कहा कि जिला स्तर पर छानबीन नहीं, सत्यापन कमेटी बनी हुई है । जिला स्तर पर सत्यापन कमेटी बनी हुई है, छानबीन कमेटी तो राज्य में होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू से ही छानबीन पूछा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- छानबीन कमेटी तो राज्य में होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने वही पूछा, शुरू से छानबीन पूछा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वह छानबीन करती है, वह जिले में होता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- अब इसमें काफी विस्तृत चर्चा हो गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बस एक सेकण्ड, उसी से उद्भूत है । मैं कोई अतिरिक्त जवाब नहीं चाहता, प्रदेश स्तर में सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होती है, उसमें मेरा एक प्रश्न है कि कितने मानव शास्त्री सदस्य हैं और कितने मामले पेंडिंग हैं, बस इतना ही प्रश्न है, उसको बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, क्या पूछे

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपकी प्रदेश स्तरीय छानबीन कमेटी है, उसमें कितने मानव शास्त्री सदस्य हैं और कितने मामले आपके पास पेंडिंग हैं, मुझे इतना बस बता दीजिए, मैं अपना प्रश्न समाप्त कर रहा हूं ।

सभापति महोदय :- इसमें विस्तृत चर्चा हो चुकी है, अब और क्या करना है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, कितनी समिति है, कौन है, क्या है, यह जानकारी मैं आपको दे दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे पृथक से जानकारी नहीं चाहिए, इस बात को पूरा सदन और पूरा प्रदेश जानें और मैं इस बात को सरकारों के ऊपर नहीं डाला । भाषण नहीं देता, सभापति जी, आप दूसरों को बुलवा लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के पर्याप्त उत्तर से हम लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट थे इसलिए आधे घंटे की चर्चा मांगी। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने प्रश्न किया और लगभग-लगभग प्रश्नों के जवाब नहीं आये ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिए न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं प्वाइंटेड प्रश्न कर रहा हूं और प्वाइंटेड उत्तर दिलाने की व्यवस्था कर देंगे, मैं लंबा भाषण देकर प्वाइंटेड उत्तर चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने टी.आर.आई. गठन के जो उद्देश्य बताये हैं, उसमें नम्बर 4 में है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का नृ जाति और मानव शास्त्री परीक्षण कर शासन को अभिमत देना । आपको कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उन अभ्यावेदनों में आपने कितने अभ्यावेदन का परीक्षण किया और परीक्षण करके शासन को टी.आर.आई. ने कितने का अभिमत दिलाया ? ये बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जो आवेदन पत्र आते हैं, उनका पूरी परीक्षण होता है, उनकी जांच होती है, उसके बाद मैंने बताया कि वहां पर 22 प्रकरण भेजे, कुछ स्वीकृत हुए, कुछ स्वीकृत नहीं हुए। जैसा मैंने पहले बताया कि 2007-08 में एस.टी. के 3 प्रस्ताव भेजे गए थे

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

और एस.सी. के 2 प्रस्ताव भेजे गए थे, 2008-09 में एस.टी. और एस.सी. के 1-1 प्रस्ताव भेजे गए थे, 2011 में कोई प्रस्ताव नहीं आया था, 2012-13 में 4 प्रस्ताव भेजे गए थे और 2013-14 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजे गए थे और 2014-15 में 6 प्रस्ताव भेजे गए थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नृ जाति और मानव शास्त्री परीक्षण कराकर शासन को अभिमत देना था । जब परीक्षण करके अभिमत भेजा गया तो इसके विशेषज्ञ कौन-कौन थे, ये बता दीजिए ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी आवेदन पत्र उसमें आते हैं, जैसा कि बताया गया है कि नृजाति है, उसका स्टडी होता है, मानवशास्त्रीय है, उसमें अध्ययन होता है । कौन-कौन से उसमें रहते हैं..।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये तो माननीय मंत्री जी आपने लिखित में बता दिया कि हम इस-इस स्तर में परीक्षण कराते हैं । इस परीक्षण के लिए शासन ने या टी.आर.आई. ने किसको विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया था, कौन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुआ था, यह तो आप बता दीजिए । मानवशास्त्रीय के रूप में या एस्ट्रोनॉजिकल के रूप में कौन था । आप यह बता दीजिए ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टी.आर.आई. में विशेषज्ञ रहते हैं वही तो करते हैं । कोई बाहर से उसमें नहीं आता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप नाम बता दीजिए ना । माननीय मंत्री जी का आया है । उस प्रश्न पर ही मैंने प्रश्न किया है ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, व्यापक चर्चा हो गयी है, कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आधे घण्टे की चर्चा आसंदी ने स्वीकृत की है, अभी 20 मिनट हुआ है और मैंने पाईंटेड प्रश्न किया है, पाईंटेड प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । मैंने सीधा-सीधा पूछा है, कौन-कौन विशेषज्ञ थे, आप यह बता दो । चलिये आप इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

डॉ.प्रेमसायसिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जो टी.आर.आई. में विशेषज्ञ रहते हैं, उसमें अनुसंधान अधिकारी होता है, सहायक अनुसंधान अधिकारी होता है..।

श्री शिवरतन शर्मा :- यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन थे, आप नाम तो बता दो ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- सभापति जी, आधे घण्टे से ज्यादा हो गया है।

सभापति महोदय :- 30 मिनट से ज्यादा हो गया । अब मैं दूसरा...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, पाइंटेड प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी है और 12 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है । जब एक भी उत्तर नहीं आया हो तो क्या है । माननीय सभापति जी, प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है । सभापति का संरक्षण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधायकों को मिलना चाहिये । आप विधायकों को संरक्षण देने के बजाय मंत्री को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं माननीय सभापति जी ।

सभापति महोदय :- यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 44 परशेंट जाति अनुसूचित जाति और जनजाति की है और आपका संरक्षण नहीं मिलेगा ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 23 क्रमांक-1024 के उत्तर से उदभूत विषय

सभापति महोदय :- दिनांक 20 फरवरी, 2019 को प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 क्रमांक-1024 के उत्तर से उदभूत विषय पर श्री शैलेष पाण्डेय, चर्चा उठायेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय शैलेष पाण्डेय । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम प्रश्न जो किये हैं, उसका उत्तर दिलवा दीजिए ना । अंतिम प्रश्न का उत्तर आप दिलवा दीजिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अब कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अंतिम प्रश्न का उत्तर बता दे बस ।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ गई, कार्यवाही आगे बढ़ गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- केवल नाम उनको बताना है और कुछ नहीं करना है।

सभापति महोदय :- देखिये, कार्यवाही आगे बढ़ गई है, माननीय शैलेष पाण्डेय ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, चर्चा में यदि आपके संरक्षण के बाद भी माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आता है, अनुसूचित जाति, जनजातियों का मामला है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है । शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिगर्मन करते हैं ।

समय :
3:04 बजे

बहिगर्मन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिगर्मन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिवरेज परियोजना जो बिलासपुर में पिछले 10-11 वर्षों से चलाई जा रही है । उसके संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी के विभाग से प्रश्न किया था । माननीय सभापति महोदय, उसमें सबसे पहले बताना चाहता हूॅ कि बिलासपुर एक संस्कारधानी के नाम से जाना जाता था और हाई कोर्ट बनने के बाद न्यायधानी के नाम से जाना जाने लगा । जब से वहां पर सिवरेज परियोजना चालू की गयी है, तब से वह अन्यायधानी हो गया है । सिवरेज परियोजना का तात्पर्य वहां पर रहने वाले 50 हजार परिवार जो वहां पर 4 लाख जनता है, उस जनता के लिए बड़े-बड़े पाइपों के माध्यम से उनके घरों में शौचालयों को जोड़ा जाना था और उसको जाकर ट्रीटमेंट प्लाण्ट में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करना था, उसके लिए पूरे शहर भर में लगभग 250 किलोमीटर या उससे आगे जो है, पाईप लाईन डाली गई है । माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूॅ कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 18-3-2008 द्वारा रूपये 190 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई । तत्पश्चात राज्य शासन द्वारा भूमिगत सिवरेज परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति राशि 2206 करोड़ रूपये एवं निविदा उपरांत 75 करोड़ रूपये राशि और 13.7 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत राशि कुल 295.81 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई ।

समय :
3:05 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा उपरांत 75 करोड़ रूपये राशि और 13.7 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत राशि कुल 295.81 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय महोदय, मैं बताना चाहता हूं वर्ष 2008 से हम सीवरेज परियोजना चालू किए थे तो वर्ष 2013 में फिर 14.44 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति रेत भराई के लिए क्यों ली गई? इससे प्रश्न यह उठता है कि 10-04-2013 में रेत भराई के लिए जो राशि 14 करोड़ स्वीकृत की गई यदि पहले मिट्टी भराई की गई थी, जिसमें 70 प्रतिशत पाईप के ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांच साल बाद फिर रेत भराई क्यों चालू की गई? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा लगा कि हमको रेत भरना चाहिए?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मिट्टी धंस जाती है तो मिट्टी मत धसके और मजबूती बनी रहे कि सिवरेज की जो स्थिति है वह मजबूत बनी रहे इसलिए रेत डाली जाती है।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने ये परियोजना चालू की थी तब इसमें सभी तकनीकी विषय ध्यान रखने चाहिए थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे बिलासपुर को खोद डाला गया और पाईप बिछाये गये तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई तथा उसमें कोई कंप्रेशन नहीं किया गया। बिलासपुर की सड़कें धंसने लगी, एक्सीडेंट होने लगे, लोग मरने लगे तब जाकर इनको पता चला

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि हमसे गलती हो गई। यह पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी। पूरे शहर के 70 प्रतिशत जगह में मिट्टी डाल दी गई और रेत डालने की बात पांच साल बाद याद आई तब तक बिलासपुर में न जाने कितने लोग मर गये, कितनी सड़कें धंस गईं। आज भी विभाग नहीं जानता है कि शहर कहां से धंस जायेगा, कहां से क्या हो जायेगा। ये एक घोर अनियमितता है। माननीय मंत्री जी, यह पूर्ववर्ती सरकार की अनियमितता थी और ये गलती है जिसके कारण आज बिलासपुर परेशान है। आज वहां कुछ भी हो सकता है, वह खोखला हो चुका है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि सीवरेज परियोजना को उसके बाद पुनरीक्षित करके 422 करोड़ रूपये की स्वीकृति वर्ष 2016 में दी गई। प्रश्न यह उठता है कि 113 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति क्यों दी गई, शासन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जब योजना 295 करोड़ रूपये में फिक्स हो चुकी थी तो अतिरिक्त राशि की क्यों जरूरत पड़ी?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा में वृद्धि कर दी गई थी, समय के साथ मूल्य बढ़ जाता है इसलिए उसमें राशि की वृद्धि की गई है।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पहले दो साल का समय निर्धारित किया गया था तो वह दो का तीन हो सकता है, साढ़े तीन हो सकता है लेकिन यदि दो वर्ष की समय सीमा यदि किसी चीज के लिए बनाई गई थी, यदि दो वर्ष की प्लानिंग की गई थी तो दो वर्ष से वह ग्यारह वर्ष कैसे हो गई? यह तो बहुत बड़ी लापरवाही है यह मैं कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, इसे आप स्वीकार करते हैं कि यह घोर लापरवाही थी। मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सीवरेज परियोजना का कार्य वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया जिसकी दो वर्ष की सीमावधि थी, दो वर्ष में कार्य पूर्ण नहीं हुआ इसके बाद इन्होंने 15-11-2010 को फिर से एक साल की समय वृद्धि की। फिर 25-04-2012 को फिर से शासन ने एक साल की अनुमति दी, फिर 05 जनवरी, 2013 को फिर तीसरी बार भी अनुमति दी, फिर 08 जनवरी, 2014 को चौथी बार भी अनुमति दी। फिर 16 दिसंबर, 2014 को फिर से अनुमति दी गई। यह अनुमति 31-12-2015 तक थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के बाद शासन ने सीवरेज परियोजना में काम करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई, डेढ़ साल तक वहां बिना अनुमति के काम चलता रहा, इसका क्या कारण था?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज पाईप लाईन कार्य में सीवरेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण के लिए समय सीमा में सात बार वृद्धि की गई है। 01-07-2017 से अब इनकी कार्य अवधि 31-12-2019 तक बढ़ाई गई है। वर्ष 2019 तक इसे पूरा होना है। लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 20 प्रतिशत कार्य बाकी हैं जिसकी 31 दिसंबर तक समय सीमा है।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2015 के बाद अनुमति, अभी तक अनुमति आपने हर साल शासन में दी लेकिन 2015 के बाद अनुमति केवल नगर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निगम की एम.आई.सी के माध्यम से दी जाने लगी। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई भूल हुई है या कोई ठीक करना है या कोई अनुमति चाहिए। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं तो हम अपने ऊपर वाले से अनुमति मांगते हैं न कि हम अपने नीचे वाले से अनुमति मांगते हैं। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां 2015 के बाद शासन ने अनुमति नहीं दी, वह अनुमति नगर निगम सीमा में वहां एम.आई.सी. की बैठक में दी। मेरे पास सूचना के अधिकार में कागज रखी हुई है। वहां से अनुमति ली गई है। ये गलत है। जब शासन ने अनुमति नहीं दी तो केवल एम.आई.सी की बैठक से पास करके उसको एक्सटेंड किन अधिकारों के हिसाब से किया गया ? जबकि अधिकार उनके पास नहीं थे। क्या शासन ने अधिकार दिया था कि आप बढ़ा लीजिये ? पांच साल की एक्सटेंशन शासन ने दिया लेकिन उसके बाद शासन ने कहा कि एम.आई.सी की बैठक में कर लीजिये। क्या ये अधिकार उनको था ? ये अधिकार नहीं था। ये गलती है। ये लापरवाही है। वहां पर जिस प्रकार से मनमानी की गई है, जिस प्रकार से काम किया गया है ये गलत है। तीसरा प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं, ये तो कहिये ?

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात रख देता हूं फिर आपसे निवेदन करूंगा। इसमें मैनहार्ट कंपनी कंसनट्रेट के रूप में काम करती थी। उस कंसनट्रेट कंपनी को दो साल के लिये नियुक्त किया गया। दो साल की जगह उस कंपनी ने चार साल काम किया। 2013 में मैनहार्ट कंसनट्रेट कंपनी जो कि वहां पर आब्जरवेशन कर रही थी, वह भाग गई। उसको जो पैसा दिया गया, उसने उस पैसा का काम किया लेकिन इसकी समयावधि दो साल थी तो उसके बाद वह भाग गई। उसने शासन के विभाग से दस करोड़ रूपये मांगे। जब उसको दस करोड़ रूपये नहीं दिये गये तो वह हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने कुर्की का आदेश दे दिया और कहा कि आप जाईये नगर निगम में जाकर कुर्की कर दीजिये । उस कंपनी ने जाकर महापौर की गाड़ी में चस्पा कर दिया, निगम के टेबल में चस्पा कर दिया। उस कंपनी ने अपना भुगतान राजसात करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूं कि वह कंपनी क्यों भाग गई। जब उसको जिम्मेदारी दी गई थी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, तात्कालिन मंत्री महोदय ने कंसनट्रेट बनाया हुआ था। एग्रीमेंट निगम और कंपनी के बीच है, सरकार के बीच नहीं है। ये नगर निगम और कंपनी के बीच निर्माण का एग्रीमेंट हुआ है। दोनों में विवाद हुआ इसलिए वे भाग गये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता के साथ धोखा है, शहर के साथ धोखा है, योजना के साथ धोखा है। हमने कंपनी हायर की, उसका अनुबंध किया, उनको दो साल में काम करना था उसने चार साल काम किया। उसके बाद उसको पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया गया, वे भाग गई। कोर्ट में गई, कोर्ट में जाने के बाद कुर्की का आदेश हो गया। कुर्की का आदेश हुआ कि नगर निगम से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो के सब कुछ वसूल कर लीजिये। अभी भी वह लंबित है। ये भी अनियमितता है। मैं अगला प्रश्न ये करना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 260,270 मीटर की आपने लाईन डाली थी। पूर्ववर्ती सरकार ने डाली थी, हमारी सरकार ने नहीं किया था। जो 275 किलोमीटर की लाईन डाली गई थी, उसमें 150 किलोमीटर की पाईप लाईन वे सिर्फ 6 ईंच की पाईप डाली गयी थी। इतना मोटा, इतना मोटा पाईप 150 किलोमीटर मे डाली थी। 50 हजार परिवारों के मलमूत्र को निकालने के लिये 150 किलोमीटर डाले गये, जो कि अंदर टूट गये होंगे, उनके अंदर मिट्‌टी धंस गई है, जो दब चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहां का तकनीकी परीक्षण था। 150 एम.एम. डायमीटर जिससे घरों में अपना पानी निकल नहीं पाता है, पानी फंस जाती है, उसके लिये एक आदमी सफाई वाला बुलाना पड़ता है। अब आप बताईये कि शहर के पानी की निकासी 150 एम.एम डायमीटर से कैसे कर सकते थे ? क्या यह सही था ? क्या ये पाईप सही थे ? क्या ये पाईप अंदर में सही हैं ? क्या आप इसे सही मानते हैं ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- नहीं। ये जो डिजाईन तत्कालीन सरकार ने तय किया था और उसी के अनुरूप बनाया गया और कौन सा पाईप डाला गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सदस्य बता रहे हैं तो उस पाईप की भी जांच करवा लूंगा कि कौन सी पाईप डाली गई है ?उसको दिखवा लेंगे और कहीं कोई दिक्कत न हो, उसका प्रयास करेंगे।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा लगती है तो आपसे आग्रह है। मेरा कोई इंट्रप्शन नहीं है। जब किसी विषय में चर्चा लगती है तो विषय की महत्ता बढ़ जाती है इसमें आपने सहृदयता से चर्चा स्वीकृत की थी। आज माननीय एक मंत्री जी ने चर्चा में जितनी बातें बतानी थी, बताईं बाकी का दिया नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हाऊस में आये। जब आपने उसमें रूचि दिखायी थी तो बाद में बता देने के लिए चर्चा नहीं लगती। हाऊस रिकॉर्ड में आना चाहिए। सारे लोग जानना चाहते हैं उसकी महत्ता होती है इसलिए उसके लिए चर्चा स्वीकृत की जाती है।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि 260-70 किलोमीटर की पाईप लाईन डाली गई, आज तक उसकी हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं हुई। जो मैंने मेनहाट कंपनी थी। सिम्पलेक्स को ये ऑब्जर्वेशन कंसंटेंसी का काम दिया गया था। आज तक उसकी हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं की गई। यानी कि जो एस.टी.पी. बनाये गये, उन एस.टी.पी. में उन पाईप के माध्यमों से मल मूत्र जाना था। इस तरफ का इधर एस.टी.पी. के और उधर का उधर जाना था। दोनों में आज तक हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ? माननीय मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस कंपनी को हमने काम दिया था। आज 10-11 वर्ष हो गये। आज तक हाईड्रोलिक टेस्टिंग क्यों नहीं की ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, अगर मैं अपना घर बनाता हूँ और उसमें लेट्रिन बाथरूम बनता है जब मेरे घर में बनता है तो वहां से पानी डालकर चेक किया जाता है कि वह पानी नीचे चेम्बर में जाता है या नहीं जाता है? उसके बाद घर वाले रहने आते हैं। यहां पर 10-11 साल हो गये। आज तक हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं की गई है। क्यों, क्योंकि वहां की पाईप लाईन टूटी हुई है। क्यों, क्योंकि वहां अंदर मिट्टी भरी हुई है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वह योजना सफल नहीं है, वह असफल योजना है। इसके डर के मारे आज 10-11 साल हो गये, आज तक हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं की गई है। जबकि एक घर बनाने के लिए तत्काल रहने के पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। माननीय मंत्री जी ये गलत है।

अजय चन्द्राकर :- आप प्रश्न करिये।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि ये हाईड्रोलिक टेस्टिंग क्यों नहीं की गई?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय,सिम्पलेक्स द्वारा सिवरेज पाईप लाईन बिछाने के साथ-साथ हाईड्रोलिक टेस्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान तक सिवरेज नेटवर्किंग टेस्टिंग हेतु सिम्पलेक्स के चल देयकों से 2.10 करोड़ रुपये की राशि रोकी गई है। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में राशि 10 लाख रोकी गई है। उक्त रोकी गई राशि से हाईड्रोलिक टेस्टिंग का कार्य सिम्पलेक्स के रि-स्कैन कॉस्ट पर अन्य संस्था से कराये जाने की अनुमति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण को पत्र प्रेषित किया गया है और वहां से अनुमति आ जाएगी तो वह टेस्टिंग भी करवा लेंगे।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय मंत्री जी, हाईड्रोलिक टेस्टिंग, वह योजना असफल है, उसकी नहीं हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में एक ई.इन.सी.जैन साहब थे। वे एक बार आये थे, उन्होंने जांच की और उन्होंने उसको तत्काल एक ही दिन में बोल दिया था कि यह योजना असफल है। अगले दिन अखबारों में बड़ा-बड़ा छपा था। विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि ये योजना असफल है और इस योजना में हाईड्रोलिक टेस्टिंग नहीं हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विभाग द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह विभाग सही नहीं है, वो योजना में पाईप टूट चुके हैं। इसलिए आज तक उसकी टेस्टिंग नहीं की गई है। भईया एक मिनट, माननीय मंत्री जी, वरना अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो पाईप डल रहे हैं, उनकी रोज हाईड्रोलिक टेस्टिंग होती है। क्यों, आप करवा रहे हैं? हमारी सरकार करवा रही है लेकिन पहले नहीं हुई है, आप इस बात को मानिये कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है और हाईड्रोलिक टेस्टिंग इसलिए नहीं की गई क्योंकि वह योजना असफल रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मान ही रहा हूँ कि टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं हुआ है और आपको सिवरेज लाईन जो बिछ रही है उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसी के नाम से आप यहां चुनकर आ गये हो।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वहां की जनता को धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका हो गया?

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और दो मिनट। मैं प्रश्न, प्रश्न पूछ लेता हूँ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से ज्यादा तो विधायक जी जान रहे हैं। पूरे सदन को बहुत लम्बी जानकारी दे दिये। वह तो विभाग और मंत्री जी नहीं जान रहे हैं, जितना माननीय विधायक जी जान रहे हैं।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के लिए दो बातें बहुत जरूरी है कि जब यह योजना असफल हुई...

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आपके कार्यकाल का है, यह इसलिए है।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वर्ष 2013 में चुनाव आने वाला था। वहां पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री, उन्होंने क्या किया कि जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए उस सरकार ने वर्ष 2013 में ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर दिया। अब सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एस.टी.पी. है उसका उद्घाटन करना, जबकि पूरे शहर भर में पाईप लाईन बिछी नहीं थी और ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर दिया । मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया और उनकी आंख मे भी धूल झोंकी गई। जब सीवरेज योजना चालू नहीं थी तो चुनाव के पहले ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का उद्घाटन क्यों किया ? सीवरेज योजना कंपलीट नहीं हुई, फिर 2018 का चुनाव आया, फिर से दूसरा ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाये, इस बार मुख्यमंत्री जी समझ गये कि फर्जीवाड़ा था तो वह नहीं आये। उसके बाद स्वयं पूर्व मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। प्रत्येक ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट को चलाने के लिए 2 करोड़ रुपये सलाना दिये जाते हैं। ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट में जो मशीनें लगी हैं उसमें जंग लग चुका है। जब वहां पर पानी जाता ही नहीं है, शहर में पाईपलाईन बिछी ही नहीं है तो ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का उद्घाटन क्यों किया गया ? यह जनता के साथ खिलवाड़ और धोखा है, क्या माननीय मंत्री जी मानते हैं कि यह जनता के साथ धोखा, खिलवाड़ है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब तक हाईड्रोलिक टेस्ट नहीं होगा, हम उसको हैंडओवर भी नहीं लेंगे।

श्री शैलेष पांडे :- मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 वर्षों में सुरक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं किये गये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आप बोल रहे हैं कि सहमत हैं तो क्या मंत्री जी सहमत हैं ? आप नहीं सहमत हैं, वह खुद ही बोल दिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सब किया-कराया आपके पुराने मंत्री जी का है, जवाब हमको देना पड़ रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- हमारे घर की तो सीवरेज लाईन चल रही है, हम चलके दिखा देंगे।

श्री शैलेष पांडे :- सौरभ भैया, प्लीज, बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं चूंकि इस योजना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उस पूरे शहर में अव्यवस्थायें थीं, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, आर्थिक अनियमिततायें बहुत हुईं, तकनीकी रूप से अनियमिततायें थीं, घोर भ्रष्टाचार हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ, पूरा शहर परेशान रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये मांग करता हूं बिलासपुर की जनता के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी की गई है, कृपया करके मैं इसमें ज्वाईन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी की जांच की मांग करता हूं और जांच के उपरांत मैं चाहता हूं [XX][5]

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है। कौन सी जांच हुई है, क्या हुई है .. (व्यवधान)..

श्री सौरभ सिंह :- इसमे मंत्री के खिलाफ क्या एफ.आई.आर. होगी ? कौन सी जांच हुई है, क्या कोई जांच हुई है ?... (व्यवधान)..

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या सदन में जांच की मांग नहीं कर सकते हैं ? ..(व्यवधान).

श्री अजय चन्द्राकर :- जे.पी.सी. के बाद जो होगा, वह करेंगे, यह तय करने वाले कौन होते हैं कि मंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. की जाये ?... (व्यवधान)..

श्री नारायण चंदेल :- बहुत ही गलत तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं।

श्री शैलेष पांडे :- आप लोग बैठिये तो, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके सरकार का भ्रष्टाचार का मामला है, खुल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। [XX]

श्री सौरभ सिंह :- आप जांच कराईये, वह जांच के पहले कैसे घोषणा कर देंगे कि एफ.आई.आर. होगा? यह थोड़ी तय करने वाले हैं कि एफ.आई.आर. कौन करेगा होगी।

श्री शैलेष पांडे :- मेरी बात पूरी होने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जांच के उपरांत अगर ये योजना असफल होती है तब उस दशा में संबंधित अधिकारियों, नेताओं के ऊपर

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी एफ.आई.आर. होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता के पैसों के साथ धोखा किया है और सारी मौतें हुई हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईन्ट आफ आर्डर है। हमारे सदन की ये परंपरा है कि कहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना है तो पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि [XX][6] इसको विलोपित करायें और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए खेद व्यक्त करें। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं किसके बारे में बोला ? किसका नाम लिया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी आपने कहा, इधर इशारा करके कहा कि भ्रष्टाचार किये हो। ...(व्यवधान)..

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आप किये हो ? हमने नाम नहीं लिया है।... (व्यवधान)..

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रिकार्ड निकलवा कर देख लीजिए। .. (व्यवधान)..

श्री नारायण चंदेल :- यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन लेता हूं। मैं उसको देख लेता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यहां एक सर्वमान्य परंपरा है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 से ज्यादा मौते हो गईं, विधिसम्मत निर्णय नहीं लिये गये। एम.आई.सी. को जो अधिकार दिये गये हैं, आयुक्त को जो अधिकार दिये गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भाषण नहीं होगा, जब तक उसमें खेद व्यक्त नहीं होगा। ...(वयवधान) ..

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चिल्लाओं न जितना चिल्लाना है। चिल्लाना है तो आप चिल्ला सकते हैं। ... (व्यवधान)..

श्री धरमलाल कौशिक :- आप रिकार्ड निकलवा लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- खड़े होकर चिल्लाओ, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। चिल्लाईए आपका अधिकार है और जो किया है वह हम बतायेंगे। ... (व्यवधान)..

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है कि हम जांच की मांग कर सकते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह मंत्री की भाषा ठीक नहीं है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए । जो नियम-प्रक्रिया में है उसके अंतर्गत सदन में कार्यवाही चलेगी । किसी के ऊपर आरोप लगा

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है तो नियम-प्रक्रिया में है आप उसका लिखित में दीजिये और आरोप लगाईये । (व्यवधान) और जो सदन में नहीं हैं उनके नाम लेकर कैसे आरोप लगायेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विशेष अनुरोध के साथ दो बातें कहना चाहूंगा । पहले तो चूंकि आपने इस सदन को बहुत उंचाईयों में पहुंचाया है इसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूं कि आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की जो एक एकेडमिक चर्चा हुई । बिलासपुर शहर की बहुत बड़ी समस्या है, वह किसके द्वारा कब पैदा हुई उसी पर ही बहस हो रही है । आपने उसकी विषय की गंभीरता देखकर स्वीकृत किया इसके लिये हम सबसे पहले पूरे सदन की ओर से, हमारी ओर से भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जनहित के विषय में आपकी रूचि दिखी, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है यह विषय नहीं हैं । दो बातें जिसके लिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य श्री शैलेश पांडे जेपीसी की मांग करते हैं, आपका विवेक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कहना कि पूर्व मंत्री के ऊपर एफआईआर की जाये एक, दूसरी शब्दावली यह आयी कि इतना भ्रष्टाचार हुआ तो भी पेट नहीं भरा यह मंत्री जी के द्वारा आया । यह संसदीय शब्दावली....।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने किसी का नाम नहीं लिया । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लोगों की जान चली गयी । पिछली सरकार के सामने लगातार हम लोग प्रदर्शन करते रहे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे भी अधिकार की बात है अगर लोगों की जान जा रही है और हम अपनी बात को रख रहे हैं । (व्यवधान) तो जिस तरीके से आवाज को दबाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवेंद्र यादव जी, आप बैठिए । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह कड़वी सच्चाई है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवेंद्र यादव आप बैठ जायें । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये । हम लोग जो 18 लोगों की मृत्यु हुई है उस विषय को रखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले बैठ जायें, मैं उनकी सुन रहा हूं । पहले मैं उनकी सुन लेता हूं फिर आपकी भी सुनूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो दो शब्दावली आयी । हमने यह मांग की कि हम हाऊस में इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल या सुनने के लिये नहीं आये हैं, न यह परंपरा रही है । मेरा यह आग्रह है कि आप जो व्यवस्था दें, जैसी व्यवस्था दें । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी का नाम नहीं लिया है । (व्यवधान)

श्री सत्यनायण शर्मा :- किसी का नाम थोड़ी लिया है । किसी का नाम लिया है तो बताईये और भ्रष्टाचार हुआ है यह कहने में क्या दिक्कत है ? यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको हम लोग सौ बार कहेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सत्यनारायण शर्मा जी तो अभी बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने सुना भी नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषा, जो संसदीय भाषा बोली जाती है । लगातार उस भाषा का उपयोग आपकी निर्देश के बावजूद हो रहा है यह दुखद है, मैं चाहता हूं कि इस संबंध में आपकी कोई न कोई व्यवस्था आये ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी व्यवस्था यह है कि मैं कार्यवाही देख लूंगा । जो भी आपत्तिजनक होगा, मैं उसे विलोपित कर दूंगा । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब कोई नया सदस्य बोलता है तो माननीय अजय चंद्राकर जी उसका मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवेंद्र यादव आप क्या बोलना चाहते हैं ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य की बातें सुन रहा था, इन्होंने जो शैली इस्तेमाल की ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब्जेक्ट पर बात करिये । आपको इस पर कुछ बोलना है ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि 18 लोगों की मृत्यु हुई है और यह बहुत गंभीर विषय है । जिस गंभीरता से आपने इस विषय को लिया है उसी गंभीरता के साथ मैं सम्माननीय सभी सदस्यों से यह आग्रह करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इसको ढंकने की कोशिश न करें, इस पर कार्यवाही का समर्थन करें ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई नहीं ढंक रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इसमें प्रश्न करने की अनुमति दी जाये, हम भी इसमें प्रश्न करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेंद्र यादव :- हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसी चीजों में सहयोग करिये, जो 18-18 लोगों की मौत हो गयी और इसके बाद भी आवाज को रोका जायेगा तो यह गलत है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें आपसे संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विकास उपाध्याय ।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सम्माननीय सदस्य अपनी पीड़ा जो बिलासपुर की पीड़ा है उसको यहां रखने का प्रयास कर रहे हैं, 15 साल की क्या स्थिति रही है उसे पूरा प्रदेश बहुत अच्छी तरह से जानता है, सब चीजों को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर रहे हैं ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी हां मैं प्रश्न कर रहा हूं, आपके माध्यम से कर रहा हूं और पूरी विनम्रता से कर रहा हूं । मैं आपको एक बात बताता हूं । मैं बिलासपुर में पढ़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- कब पढ़े हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एसबीआर कॉलेज में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है। बी.कॉम. प्रिवियस में मैं रायपुर आया ।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही साल रहे ना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, परियोजना में गड़बड़ हुई, जांच हुई भ्रष्टाचार हुआ, गलत बनी, इस पर आप जो भी व्यवस्था दें । उस दिन से सुन रहे थे, मानव क्षति का जो प्रश्न आया, माननीय धर्मजीत जी ने भी उस बात को कहा कि सीवरेज परियोजना में 18 लोग और अमृत मिशन में 1 मरा । उस दिन उत्तर में यह आया कि एक को पांच लाख रूपया दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 18 लोग मरे, उनको मुआवजा देने का उस योजना में कोई प्रावधान था या नहीं था ? आरबीसी के नियमों के तहत उसको दिया गया या परियोजना के कास्ट में शामिल था या आपदा के तहत उसको किस नियम के तहत उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, परियोजना के अनुबंध में था या नहीं था ? दूसरा, एक को पांच लाख रूपया मुआवजा दिया गया वह किन नियमों के तहत सिर्फ पांच लाख रूपया दिया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां की बात कर रहे हैं, हमने तो पांच लाख दिया नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इधर उधर की बात, कहां की, आप उधर से बात कर सकते हैं । मैं फिर से दोहरा देता हूं । कल धर्मजीत जी भी थे 18 लोग जो मरे, एग्रीमेट में शामिल था, मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किन नियमों से मिलना चाहिए और किसी प्रोजेक्ट में जन क्षति होती है उसको किन नियमों के तहत कितना मुआवजा मृत्यु पर मिलता है और इस परियोजना के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए क्या प्रावधान थे ? दिया गया है, नहीं दिया गया है या देंगे क्या, वह एक ही विषय बनता है। दूसरी बात, एक प्रकरण में जो पांच लाख मिला, यदि वह उद्भुत नहीं होता है जवाब मत दें । उद्भुत होता है तो पांच लाख ही क्यों दिया, किन नियमों के तहत दिया गया उसको, अमृत मिशन में ?

अध्यक्ष महोदय :- अमृत मिशन का सवाल तो नहीं है यह ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- यह सीवरेज परियोजना की बात है और वे कहां अमृत मिशन में चले गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने सीवरेज परियोजना की 18 मृत्यु के बारे में भी पूछा है ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- सीवरेज परियोजना में 18 मृत्यु हुई ही नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर आप बता दें कितनी मृत्यु हुई है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- अभी कैसे जवाब आ रहा था कि 18 मृत्यु हुई है ? अभी सदन में 18 मृत्यु की बात आई है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी को बोलो 18 मृत्यु हुई है ।

श्री शैलेश पांडे :- मृत्यु हुई है और वहां सत्ता के दबाव में भले ही उसको, उसका नाम न दिया गया हो । इसमें पुलिस भी शामिल है । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आज आप लोग यहां दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो। उस समय सत्ता में रहकर आवाज दबाई । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इन 18 लोगों का रिकार्ड हमारे पास नहीं है । 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर दो लोगों की मृत्यु हुई है तो किन नियमों के तहत कितना मुआवजा दिया गया है । वह परियोजना कास्ट से दिया गया या शासन के नियमों के तहत दिया गया है और मृत्यु पर मुआवजे में कितने का प्रावधान था और कितना मुआवजा दिया गया है, दो लोगों का ही बता दें ?

श्री सौरभ सिंह :- 18 लोगों की मृत्यु के बारे में बताइए ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा कि उत्तर आना चाहिए । मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है, आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है । किन नियमों के तहत दिया गया, कितना दिया गया और उस परियोजना में मृत्यु पर मुआवजे के क्या प्रावधान थे । दो लोगों का बता रहे हैं तो दो लोगों के बारे में ही बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आ रहा है, जब तक इनका प्रश्न हो जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए । प्रश्न यह भी नहीं है कि कितने मर गए हैं । प्रश्न यह है कि एक समस्या, एक बला के रूप में यह प्रोजेक्ट बिलासपुर आया और पिछले 8 सालों से बिलासपुर की हर गली, हर कूचे में स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सिनेमा हॉल, मॉल, ट्रैफिक, बीच सड़क में बेतरतीब गड्ढे खोदे गए । मैं कई बड़े शहरों में गया वहां सेफ्टी का अरेंजमेंट रहता है, यहां सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, गड्ढे में गिर गया। चलती कार बिलासपुर के सीवरेज में अंदर धस गयी है। किसी की गंभीरता दिखाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। कोई महिला सब्जी लेने जा रही है तो किनारे गड्ढे में उसका पैर टूट गया। कोई लड़की मोटर-साइकिल चलाती रही है, उसमें गिरकर चोट लग गई। प्रश्न यह पूछना चाहते हैं कि एक परियोजना 200 करोड़ से शुरू हुई, वह 800 करोड़ तक पहुंच रही है 600 करोड़ तक। अभी तक पूरी नहीं हुई। लोगों को धूल-धुआं, धक्का, गड्ढा। इंश्योरेंस कराये हैं कि नहीं कराये हैं। कब गिरकर कहां कौन मर जाए, ऐसे गंभीर प्रोजेक्ट को आपने, आपकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव के पहले कहा था। बहुत विरोध किये थे कि यह बहुत खराब योजना है। आप इसको बंद कराएंगे। आपने चुनाव में भाषण भी दिया था। आप मुआवजा दें या न दें, मैं आपसे और सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिलासपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट का यह सरकार क्या करना चाह रही है? क्या आप उस सीवरेज प्रोजेक्ट से सहमत हैं? तो उसको बनाएंगे। अगर आप असहमत हैं तो क्या उस प्रोजेक्ट को जहां जैसा और जिस स्थिति में है, उसको बंद करेंगे। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- रूकिए-रूकिए..।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आग्रह करना चाहूंगी..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कल आग्रह किया था कि एक बार पूछ लिया करो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आग्रह करना चाहूंगी कि सीवरेज परियोजना जब से चल रही है उस बीच दो बार बिलासपुर में विधान सभा के चुनाव हुए और अधिकारियों को मालूम होता था कि सीवरेज का काम पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद 2013 के विधान सभा चुनाव के पहले भी सारी सड़कें बना दी गईं। 2018 के चुनाव के पहले भी सारी सड़कें पूरी सही सलामत बना दी गईं। तो इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मैं मांग करती हूं। जिन अधिकारियों को यह मालूम था कि सीवरेज का काम अभी निरंतर चलते रहना है, उसके बावजूद सड़क में सरकारी धन का दुरूपयोग क्यों किया गया?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारी...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में मैंने यह बात कही थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे। मैं कल ही संबंधित अधिकारियों को और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं बिलासपुर जिले के, उन सब की बैठक कल दोपहर में यहां मैं बुला लेता हूं। यहीं सब बैठकर अधिकारी भी रहेंगे। प्रदेश के अधिकारी भी रहेंगे और जिले के अधिकारियों को भी मैं बुला लेता हूं और कल बैठक करके जो उचित लगे, वह कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार स्काई वॉक का भी हम लोग कल ही रायपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यही हाल रायपुर का है। रायपुर में भी ऐसी स्थिति है। यहां का रायपुर का सीवरेज का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। करोड़ों रूपये खर्च हो गये। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रायपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को भी आप समीक्षा में ले लें। बड़ी कृपा होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी जो मरे हैं, उनकी सरकार के समय में जो मर गये हैं, जो घायल हुए हैं उनको भी तो क्षतिपूर्ति की राशि दे दीजिए। एक मिनट सर। अभी अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री जी ने अमृत मिशन के अंतर्गत जहां खुदाई हो रहा है, उसमें मरने वाले को 5 लाख का मुआवजा दिये हैं। माननीय मंत्री जी का कहना है कि 18 लोग नहीं मरे हैं। 2 मरे होंगे। 4 मरे होंगे। 6 मरे होंगे। तो उनकी क्या गलती है? उनको भी मुआवजा दे दो। उसी बिलासपुर में खुदाई के कारण सरकार की लापरवाही के कारण मरे हैं और बच्चियों के हाथ-पैर टूटे हैं। कई लोगों की कार गड्ढे में घूस गई है तो आप कृपा करके उसमें अनुदान क्षतिपूर्ति की घोषणा कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि कल इस मामले में बैठेंगे और विस्तार से चर्चा हो जायेगी। जो दुर्घटना हुई, उसके बारे में भी चर्चा हो जायेगी और इसको किस प्रकार से किया जाये, उसके बारे में भी चर्चा हो जायेगी और मैंने सदन में आश्वासन दिया कि कल बैठकर इसमें विस्तार से चर्चा कर लेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, रायपुर के बारे में मैंने जिक्र किया। रायपुर के भी सीवरेज की यही स्थिति है। क्या आप उसके भी विषय में कल समीक्षा करेंगे ? रायपुर और बिलासपुर दोनों के विषय में चर्चा करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अभी सबसे बड़ी समस्या रायपुर की स्काई वॉक के रूप में है। उसकी मैं आपसे जरूर बैठक करूंगा और जो सीवरेज के मामले में माननीय सदस्यों ने बिलासपुर के साथियों ने जो बात कही, इन दोनों की बैठक मैं इसी विधान सभा परिसर में करेंगे। आपको बैठक की सूचना दी जायेगी। अधिकारियों को बुलाकर इस मामले में चर्चा करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- रायपुर सीवरेज के बारे में भी आप बैठक कर लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अभी कहां वह प्रश्न आया था। दोनों को पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर..।

श्री धर्मजीत सिंह :- रायपुर में तो सीवरेज लागू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अब मुख्यमंत्री जी के जवाब के बाद इस प्रकरण को जांच हेतु किसी समिति को सौंपना उचित नहीं समझता। वह जांच के बाद निर्धारित करेंगे।

घोषणा

नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लॉबी में स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 01 मार्च, 2019 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा 'नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर' आयोजित है। कृपया, माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2019 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(3 बजकर 40 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 28 फरवरी, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं